खण्ड–492, अंक–1
बुधवार, 29 माघ, शक संवत् 1936
(18 फरवरी, 2015 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

-: 0 :-

## (अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2015)

(खण्ड 492 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2015

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

# विषय-सूची


| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| सोलहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची, महामहिम श्री राज्यपाल, मंत्रि-परिषद्, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल की सूची ... ... ... | 1-12 |
| उपस्थित सदस्य ... ... ... | 13-18 |
| राष्ट्रीय गीत ... ... ... | 19 |
| श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर व्यवस्था का प्रश्न ... ... | 19-20 |
| श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ ... ... | 21-72 |
| उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया-कलाप (निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-01 सन् 2015) (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... ... | 72 |
| उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-2 सन् 2015) (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... | 72 |
| उत्तर प्रदेश विनियोग (2014-2015 का अनुपूरक) विधेयक, 2014 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)... ... ... | 73 |
| उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2014 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ... ... | 73 |
| डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2014 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ... | 73 |
| उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ... ... | 73-74 |
| उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक, 2014 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ... ... | 74 |
| उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2014 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ... ... | 74 |
| उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ... ... | 74 |
| उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ... ... ... | 75 |
| कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत) ... ... | 75-78 |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा
## सोलहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद़
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
5. अजय, श्री — वाराणसी
6. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
7. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
8. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
9. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
10. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी — अम्बेडकर नगर
11. अताउररहमान, श्री — बरेली
12. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
13. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
14. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
15. अनीसुर्ररहमान, श्री — मुरादाबाद
16. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
17. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
18. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
19. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
20. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
21. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
22. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
23. अभिषेक मिश्र, श्री — लखनऊ
24. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
25. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
26. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
27. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
28. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
29. अराधना मिश्र 'मोना' श्रीमती — प्रतापगढ़
30. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
31. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
32. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती — कानपुर नगर
33. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
34. अली यूसूफ अली, श्री — रामपुर
35. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
36. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
37. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
38. अविनाश कुशवाहा, श्री — सोनभद्र
39. अशफाक अली खां, श्री — अमरोहा
40. आदिल शेख, श्री — आजमगढ़
41. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
42. आबिद रजा खां, श्री — बदायूं
43. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
44. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
45. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
46. आशा किशोर, श्रीमती — अमेठी
47. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
48. आशीष यादव, श्री — बदायूं
49. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
50. आशुतोष टण्डन (गोपाल जी), श्री — लखनऊ
51. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
52. इकबाल, श्री — बिजनौर
53. इकबाल महमूद, श्री — संभल
54. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
55. इन्द्रजीत कोरी, श्री — कानपुर नगर
56. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
57. इन्द्रपाल सिंह, श्री — कानपुर देहात
58. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
59. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
60. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री — लखीमपुर खीरी

61. उदयराज, श्री उन्नाव
62. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी
63. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
64. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
65. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
66. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
67. ओम कुमार, श्री बिजनौर
68. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
69. ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री जौनपुर
70. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
71. कमाल अख्तर, श्री अमरोहा
72. कमाल युसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
73. करतार सिंह भड़ाना, श्री मुजफ्फरनगर
74. काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
75. काली चरन सुमन, श्री आगरा
76. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
77. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
78. कृष्ण गोपाल पटेल, श्री लखीमपुर खीरी
79. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
80. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
81. कैलाश, श्री गाजीपुर
82. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
83. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
84. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
85. गजराज सिंह, श्री हापुड़
86. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
87. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
88. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
89. गायत्री प्रसाद, श्री अमेठी
90. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
91. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
92. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
93. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
94. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस
95. गोमती यादव, श्री लखनऊ
96. गोरख पासवान, श्री बलिया
97. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
98. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
99. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
100. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
101. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
102. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
103. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
104. जगपाल, श्री सहारनपुर
105. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
106. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
107. जफर आलम, श्री अलीगढ़
108. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
109. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
110. जमील अहमद कास्मी, श्री मुजफ्फरनगर
111. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
112. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
113. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
114. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
115. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
116. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
117. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
118. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
119. तसलीम, श्री बिजनौर
120. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
121. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
122. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
123. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़

124. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
125. दलजीत सिंह, श्री बांदा
126. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
127. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
128. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
129. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
130. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
131. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
132. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री हाथरस
133. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
134. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
135. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
136. धर्मराज, श्री बाराबंकी
137. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
138. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
139. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कासगंज
140. नदीम जावेद, श्री जौनपुर
141. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
142. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
143. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
144. नवाजिश आलम खान, श्री मुजफ्फरनगर
145. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
146. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
147. नारद राय, श्री बलिया
148. नाहिद हसन, श्री शामली
149. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
150. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
151. नूर सलीम राणा, श्री मुजफ्फरनगर
152. पंकज कुमार मलिक, श्री शामली
153. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
154. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
155. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
156. पिंकी सिंह, श्रीमती संभल
157. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
158. पीतमराम, श्री पीलीभीत
159. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
160. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
161. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
162. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
163. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
164. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
165. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
166. प्रभूदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
167. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
168. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
169. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
170. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
171. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
172. फसीहा मंजर ''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
173. फेरन लाल, श्री ललितपुर
174. *बंशीधर बौद्ध, श्री बहराइच
175. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
176. बदलू खां, श्री उन्नाव
177. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
178. बाबू खां, श्री हरदोई
179. बाबूलाल, श्री गोण्डा
180. बावन सिंह, श्री गोण्डा
181. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
182. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
183. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
184. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
185. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
186. बैजनाथ, श्री मऊ
187. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर

188. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
189. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
190. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
191. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
192. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
193. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
194. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
195. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
196. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
197. मनबोध, श्री देवरिया
198. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
199. मनीष रावत, श्री सीतापुर
200. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
201. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
202. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
203. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
204. महबूब अली, श्री अमरोहा
205. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
206. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
207. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
208. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
209. महेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
210. माइकल चन्द्रा, श्री अमरोहा
211. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
212. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
213. मानपाल सिंह, श्री कासगंज
214. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
215. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
216. मुकेश शर्मा, श्री बुलन्दशहर
217. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
218. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
219. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानुपर नगर
220. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
221. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
222. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावास्ती
223. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
224. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
225. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
226. मो0 आसिफ जाफरी, सी0ए0 कौशाम्बी
227. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
228. मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
229. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
230. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
231. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
232. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
233. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
234. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
235. यासर शाह, श्री बहराइच
236. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
237. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
238. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
239. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
240. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
241. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
242. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
243. रणजीत सुमन, श्री एटा
244. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
245. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
246. रमेश प्रसाद कुशवाहा, श्री ललितपुर
247. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
248. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
249. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
250. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
251. रवि शर्मा, श्री झांसी

252. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
253. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
254. *राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा, श्री प्रतापगढ़
255. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
256. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
257. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
258. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
259. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
260. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
261. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
262. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
263. *राजिव, श्री सहारनपुर
264. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
265. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
266. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
267. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
268. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
269. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
270. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
271. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
272. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
273. राधे श्याम, श्री अमेठी
274. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
275. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
276. राम करन आर्य, श्री बस्ती
277. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री संभल
278. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
279. राम गोविन्द, श्री बलिया
280. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
281. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
282. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
283. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
284. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
285. राम मगन, श्री बाराबंकी
286. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
287. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
288. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
289. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
290. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
291. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
292. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
293. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
294. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
295. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
296. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
297. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
298. रुचिवीरा, श्रीमती बिजनौर
299. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
300. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
301. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
302. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
303. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती संभल
304. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
305. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
306. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
307. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
308. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
309. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
310. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
311. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
312. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
313. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
314. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
315. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)

316. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
317. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
318. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
319. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
320. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
321. विजय सिंह, श्री रामपुर
322. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्री फर्रुखाबाद
323. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
324. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
325. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
326. *विमला बाथम, श्रीमती गौतमबुद्धनगर
327. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
328. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
329. वीरपाल राठी, श्री बागपत
330. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
331. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
332. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
333. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
334. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
335. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
336. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
337. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
338. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
339. शाकिर अली, श्री देवरिया
340. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
341. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
342. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
343. शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
344. *शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
345. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
346. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
347. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
348. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
349. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
350. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
351. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
352. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
353. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
354. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
355. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
356. श्रीभगवान शर्मा, श्री बुलन्दशहर
357. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
358. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
359. संजय कपूर, श्री रामपुर
360. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
361. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
362. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
363. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
364. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
365. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
366. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
367. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
368. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
369. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
370. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
371. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
372. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
373. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
374. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
375. सियाराम सागर, डा0 बरेली
376. सीमा, श्रीमती जौनपुर
377. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर

378. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती — इटावा
379. सुदामा प्रसाद, श्री — महराजगंज
380. सुदेश शर्मा, श्री — गाजियाबाद
381. सुधाकर, श्री — मऊ
382. सुधीर कुमार, श्री — उन्नाव
383. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री — सोनभद्र
384. सुनील कुमार लाला, श्री — लखीमपुर खीरी
385. सुब्बा राम, श्री — गाजीपुर
386. सुभाष पासी, श्री — गाजीपुर
387. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री — रायबरेली
388. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री — वाराणसी
389. सुरेश राणा, श्री — शामली
390. सुरेश कुमार खन्ना, श्री — शाहजहांपुर
391. सुरेश बंसल, श्री — गाजियाबाद
392. सुल्तान बेग, श्री — बरेली
393. सुशील सिंह, श्री — चन्दौली
394. सूरज पाल सिंह, श्री — आगरा
395. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती — गाजीपुर
396. सोबरन सिंह यादव, श्री — मैनपुरी
397. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री — कुशीनगर
398. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री — लखीमपुर खीरी
399. हरिओउम् यादव, श्री — फिरोजाबाद
400. हेमराज वर्मा, श्री — पीलीभीत
401. हेमलता चौधरी, श्रीमती — बागपत
*402. रिक्त — महोबा
**403. रिक्त — बलिया
***404. रिक्त — महराजगंज

* श्री कप्तान सिंह, निर्वाचन क्षेत्र संख्या-231 चरखारी, जनपद महोबा दिनांक 21 फरवरी, 2015 से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता से निरर्ह घोषित होने के फलस्वरूप।

** श्री उमाशंकर सिंह, निर्वाचन क्षेत्र संख्या-358 रसड़ा, जनपद महोबा दिनांक 06 मार्च, 2012 से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता से निरर्ह घोषित होने के फलस्वरूप।

*** श्री बजरंग बहादुर सिंह, निर्वाचन क्षेत्र संख्या-315 फरेन्दा, जनपद महराजगंज, दिनांक 15 अक्टूबर, 2012 से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता से निरर्ह घोषित होने के फलस्वरूप।

**नोट** :-दिनांक 17 फरवरी, 2015 तक यथा संशोधित।

# महामहिम राज्यपाल

श्री राम नाइक

## मंत्रि-परिषद्

---

| क्रमांक | नाम | कार्य विभाग (पोर्टफोलियो) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | श्री अखिलेश यादव<br>मुख्य मंत्री | सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गृह, गोपन, सतर्कता, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, वित्त, संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन (व्यापार कर), न्याय, विधायी, नियोजन, अर्थ एवं संख्या, प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन, राज्य सम्पत्ति, आबकारी, मद्य निषेध, ऊर्जा, चिकित्सा शिक्षा, औद्योगिक विकास, वन, जन्तु उद्यान, आवास एवं शहरी नियोजन, नगर भूमि, गन्ना विकास, चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, प्रशासनिक सुधार, पर्यावरण, इलेक्ट्रानिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, मनोरंजन कर, उच्च शिक्षा, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, आयुष, अवस्थापना, समन्वय, भाषा, कृषि, कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात, कृषि विपणन, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान, वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम्य विकास, बाल विकास एवं पुष्टाहार, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, खेल एवं युवा कल्याण। |
| 2 | श्री मो0 आजम खाँ | संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल सम्पूर्ति, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज। |
| 3 | श्री शिवपाल सिंह यादव | लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, सहकारिता, भूमि विकास एवं जल संसाधन, परती भूमि विकास विभाग, राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन। |
| 4 | श्री अहमद हसन | चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण। |
| 5 | श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह | स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, पंजीयन, नागरिक सुरक्षा। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 6 | श्री अम्बिका चौधरी | पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण। |
| 7 | श्री बलराम यादव | कारागार |
| 8 | श्री अवधेश प्रसाद | समाज कल्याण, अनुसूचित एवं जनजाति कल्याण, सैनिक कल्याण। |
| 9 | श्री ओम प्रकाश सिंह | पर्यटन |
| 10 | श्री पारस नाथ यादव | उद्यान, खाद्य प्रसंस्करण |
| 11 | श्री रामगोविन्द चौधरी | बेसिक शिक्षा |
| 12 | श्री दुर्गा प्रसाद यादव | परिवहन |
| 13 | श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी | होमगार्ड्स, प्रान्तीय रक्षक दल |
| 14 | श्री राजकिशोर सिंह | लघु सिंचाई तथा पशुधन |
| 15 | श्री शिव कुमार बेरिया | वस्त्र उद्योग एवं रेशम उद्योग |
| 16 | श्री राजेन्द्र चौधरी | राजनैतिक पेंशन |
| 17 | श्री नारद राय | खादी एवं ग्रामोद्योग |
| 18 | श्री कैलाश | पंचायती राज |
| 19 | श्री राममूर्ति वर्मा | दुग्ध विकास |
| 20 | श्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भइया | खाद्य एवं रसद |
| 21 | श्री मनोज कुमार पाण्डेय | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी |
| 22 | श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति | भू-तत्व एवं खनिकर्म |
| 23 | प्रो0 शिवाकान्त ओझा | प्राविधिक शिक्षा |
| 24 | श्री इकबाल महमूद | मत्स्य एवं सार्वजनिक उद्यम |
| 25 | श्री महबूब अली | माध्यमिक शिक्षा |
| 26 | श्री शाहिद मंजूर | श्रम एवं सेवायोजन |

## राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)

| क्रमांक | नाम | कार्य विभाग (पोर्टफोलियो) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | श्री राजेन्द्र सिंह राणा | ग्रामीण अभियंत्रण सेवा |
| 2 | श्री अरविन्द कुमार सिंह गोप | ग्राम्य विकास |
| 3 | श्री भगवत शरण गंगवार | लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन |
| 4 | श्रीमती अरूण कुमारी कोरी | महिला कल्याण, संस्कृति |
| 5 | श्री विजय कुमार मिश्र | धर्मार्थ कार्य |

## राज्य मंत्री

| क्रमांक | नाम | कार्य विभाग (पोर्टफोलियो) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | श्री रियाज अहमद | खादी एवं ग्रामोद्योग |
| 2 | श्री फरीद महफूज किदवई | वन, खेल एवं युवा कल्याण |
| 3 | श्री वसीम अहमद | बाल विकास, पुष्टाहार व बेसिक शिक्षा |
| 4 | डा0 शिव प्रताप यादव | जन्तु उद्यान |
| 5 | श्री मूलचन्द्र चौहान | पर्यटन |
| 6 | श्री राजीव कुमार सिंह | कृषि (कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात एवं कृषि विपणन को छोड़कर), कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान व धर्मार्थ कार्य। |
| 7 | श्री अभिषेक मिश्रा | व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास |
| 8 | श्री नरेन्द्र वर्मा | समाज कल्याण, अनुसूचित एवं जनजाति कल्याण व सैनिक कल्याण। |
| 9 | श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल | लोक निर्माण एवं सिंचाई |
| 10 | श्री चितरंजन स्वरूप | संसदीय कार्य, मुस्लिम वक्फ, नगर विकास, जल सम्पूर्ति व नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, शहरी समग्र विकास, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज। |
| 11 | श्री मानपाल सिंह | परिवहन |
| 12 | श्री कमाल अख्तर | पंचायती राज |
| 13 | श्री शंखलाल मांझी | चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण। |
| 14 | श्री कैलाश चौरसिया | बाल विकास एवं पुष्टाहार व बेसिक शिक्षा। |
| 15 | श्री रामपाल राजवंशी | कारागार |
| 16 | श्री रामकरन आर्य | वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम्य विकास, खेल एवं युवा कल्याण। |
| 17 | श्री जगदीश सोनकर | भूमि विकास, जल संसाधन एवं परती भूमि विकास। |
| 18 | श्री राममूर्ती सिंह वर्मा | पिछड़ा वर्ग कल्याण |
| 19 | श्री विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह | माध्यमिक शिक्षा |
| 20 | श्री विजय बहादुर पाल | माध्यमिक शिक्षा |
| 21 | श्री आलोक कुमार शाक्य | प्राविधिक शिक्षा |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 22 | श्री राम सकल गूजर | प्राविधिक शिक्षा |
| 23 | श्री नितिन अग्रवाल | चिकित्सा एवं स्वास्थ्य |
| 24 | श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया' | बेसिक शिक्षा |
| 25 | श्री यासर शाह | ऊर्जा |

## नेता विरोधी दल

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य

# उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल

अध्यक्ष
**श्री माता प्रसाद पाण्डेय**

उपाध्यक्ष
**रिक्त**

प्रमुख सचिव
**श्री प्रदीप कुमार दुबे**

## अधिष्ठाता मण्डल (2013-2014)

1-श्री मित्रसेन यादव, सदस्य, विधान सभा (फैजाबाद)

2-श्री मदन चौहान, सदस्य, विधान सभा (गाजियाबाद)

3-श्री अनूप सण्डा, सदस्य, विधान सभा (सुल्तानपुर)

4-श्रीमती शादाब फातिमा, सदस्य, विधान सभा (गाजीपुर)

5-श्री जियाउद्दीन रिजवी, सदस्य, विधान सभा (बलिया)

6-श्री उदयराज, सदस्य, विधान सभा (उन्नाव)

7-डा0 धर्म सिंह सैनी, सदस्य, विधान सभा (सहारनपुर)

8-श्री राजबली जैसल, सदस्य, विधान सभा (इलाहाबाद)

9-श्री सुरेश कुमार खन्ना, सदस्य, विधान सभा (शाहजहांपुर)

10-श्री अनुग्रह नारायण सिंह, सदस्य, विधान सभा (इलाहाबाद)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## सोलहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक 18 फरवरी, 2015

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 12 बजकर 30 मिनट पर अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

**उपस्थित सदस्य-314**

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
5. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
6. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
7. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
8. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
9. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी — अम्बेडकर नगर
10. अताउररहमान, श्री — बरेली
11. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
12. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
13. अनीसुर्ररमान, श्री — मुरादाबाद
14. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
15. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
16. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
17. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
18. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
19. अभिषेक मिश्र, श्री — लखनऊ
20. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
21. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
22. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
23. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
24. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
25. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
26. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती — कानपुर नगर
27. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
28. अली यूसूफ अली, श्री — रामपुर
29. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
30. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
31. अविनाश कुशवाहा, श्री — सोनभद्र
32. अशफाक अली खां, श्री — अमरोहा
33. आदिल शेख, श्री — आजमगढ़
34. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
35. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
36. आशा किशोर, श्रीमती — अमेठी
37. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
38. आशीष यादव, श्री — बदायूं
39. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
40. आशुतोष टण्डन (गोपाल जी), श्री — लखनऊ
41. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
42. इकबाल, श्री — बिजनौर
43. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
44. इन्द्रजीत कोरी, श्री — कानपुर नगर
45. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
46. इन्द्रपाल सिंह, श्री — कानपुर देहात
47. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
48. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
49. उदयराज, श्री — उन्नाव
50. उदय लाल मौर्या, श्री — वाराणसी
51. उपेन्द्र तिवारी, श्री — बलिया
52. उमाकान्ती, श्रीमती — जालौन
53. उमेश पाण्डेय, श्री — मऊ

54. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
55. ओम कुमार, श्री बिजनौर
56. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
57. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
58. कमाल युसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
59. काली चरन सुमन, श्री आगरा
60. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
61. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
62. कृष्ण गोपाल पटेल, श्री लखीमपुर खीरी
63. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
64. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
65. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
66. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
67. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
68. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
69. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
70. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
71. गायत्री प्रसाद, श्री अमेठी
72. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
73. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
74. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
75. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस
76. गोमती यादव, श्री लखनऊ
77. गोरख पासवान, श्री बलिया
78. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
79. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
80. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
81. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
82. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
83. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
84. जगपाल, श्री सहारनपुर
85. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
86. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
87. जफर आलम, श्री अलीगढ़
88. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
89. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
90. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
91. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
92. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
93. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
94. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
95. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
96. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
97. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
98. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
99. दलजीत सिंह, श्री बांदा
100. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
101. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
102. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
103. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
104. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
105. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री हाथरस
106. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
107. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
108. धर्मराज, श्री बाराबंकी
109. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
110. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
111. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कासगंज
112. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
113. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
114. नवाजिश आलम खान, श्री मुजफ्फरनगर
115. नवाब जान, श्री मुरादाबाद

116. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
117. नारद राय, श्री बलिया
118. नाहिद हसन, श्री शामली
119. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
120. पंकज कुमार मलिक, श्री शामली
121. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
122. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
123. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
124. पिंकी सिंह, श्रीमती संभल
125. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
126. पीतमराम, श्री पीलीभीत
127. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
128. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
129. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
130. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
131. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
132. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
133. प्रभूदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
134. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
135. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
136. ''फसीहा मंजर''
''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
137. फेरन लाल, श्री ललितपुर
138. *बंशीधर बौद्ध, श्री बहराइच
139. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
140. बदलू खां, श्री उन्नाव
141. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
142. बाबू खां, श्री हरदोई
143. बाबूलाल, श्री गोण्डा
144. बावन सिंह, श्री गोण्डा
145. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
146. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
147. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
148. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
149. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
150. बैजनाथ, श्री मऊ
151. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
152. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
153. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
154. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
155. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
156. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
157. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
158. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
159. मनबोध, श्री देवरिया
160. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
161. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
162. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
163. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
164. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
165. महबूब अली, श्री अमरोहा
166. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
167. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
168. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ
झीन बाबू, श्री सीतापुर
169. महेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
170. माइकल चन्द्रा, श्री अमरोहा
171. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
172. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
173. मानपाल सिंह, श्री कासगंज
174. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
175. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
176. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानुपर नगर
177. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
178. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
179. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावास्ती
180. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर

181. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
182. मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
183. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
184. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
185. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
186. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
187. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
188. यासर शाह, श्री बहराइच
189. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
190. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
191. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
192. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
193. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
194. रणजीत सुमन, श्री एटा
195. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
196. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
197. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
198. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
199. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
200. रवि शर्मा, श्री झांसी
201. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
202. *राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा, श्री प्रतापगढ़
203. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
204. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
205. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
206. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
207. *राजिव, श्री सहारनपुर
208. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
209. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
210. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
211. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
212. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
213. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
214. राधे श्याम, श्री अमेठी
215. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
216. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
217. राम करन आर्य, श्री बस्ती
218. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री संभल
219. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
220. राम गोविन्द, श्री बलिया
221. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
222. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
223. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
224. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
225. राम मगन, श्री बाराबंकी
226. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
227. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
228. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
229. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
230. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
231. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
232. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
233. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
234. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
235. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
236. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
237. रुचिवीरा, श्रीमती बिजनौर
238. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
239. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
240. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
241. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
242. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
243. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
244. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत

245. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
246. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
247. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
248. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
249. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
250. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
251. विजय सिंह, श्री रामपुर
252. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्री फर्रुखाबाद
253. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
254. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
255. *विमला बाथम, श्रीमती गौतमबुद्धनगर
256. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
257. वीरपाल राठी, श्री बागपत
258. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
259. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
260. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
261. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
262. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
263. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
264. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
265. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
266. शाकिर अली, श्री देवरिया
267. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
268. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
269. शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
270. *शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
271. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
272. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
273. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
274. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
275. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
276. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
277. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
278. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
279. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
280. संजय कपूर, श्री रामपुर
281. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
282. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
283. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
284. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
285. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
286. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
287. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
288. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
289. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
290. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
291. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
292. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
293. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
294. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
295. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
296. सुधाकर, श्री मऊ
297. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
298. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री सोनभद्र
299. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
300. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
301. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
302. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
303. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
304. सुरेश राणा, श्री शामली
305. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
306. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद

| | | |
|---|---|---|
| 307. | सुल्तान बेग, श्री | बरेली |
| 308. | सूरज पाल सिंह, श्री | आगरा |
| 309. | सोबरन सिंह यादव, श्री | मैनपुरी |
| 310. | स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री | कुशीनगर |
| 311. | हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री | लखीमपुर खीरी |
| 312. | हरिओउम् यादव, श्री | फिरोजाबाद |
| 313. | हेमराज वर्मा, श्री | पीलीभीत |
| 314. | हेमलता चौधरी, श्रीमती | बागपत |

**नोट** :-मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), कारागार मंत्री (श्री बलराम यादव) तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (श्री राम सकल गूजर) भी सदन में उपस्थित थे।

## [12.30 बजे] राष्ट्रीय-गीत

श्री अध्यक्ष-

वन्दे मातरम्।

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।।

सुजलाम्।

सुफलाम्।

मलयज शीतलाम्।

शस्य श्यामलाम्।

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

शुभ्र-ज्योत्सना-पुलकित-यामिनीम्

फुल्ल-कुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्

सुहासिनीम्

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्

मातरम्। वन्दे मातरम्।।

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

### [12.31] श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अभी शुरू हो जाने दीजिए, अभी तो सदन शुरू भी नहीं हुआ और पहले व्यवस्था का प्रश्न। माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण के समय जो होता है उसकी व्यवस्था यहां नहीं उठायी जा सकती है। अब आपकी विधान सभा की कार्यवाही शुरू होती है, तो इससे सम्बन्धित उठाएंगे।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि जो महामहिम राज्यपाल जी का भाषण, खुद वह पढ़ ही नहीं पाये हैं, उसके पढ़ने का औचित्य नहीं है। महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण ऐसी हालात में जब सरकार से उनकी नोक-झोक चल रही हो और यहां पर लेटर वार चल रहा हो, लेटर वार के चलते जब सरकार और राज्यपाल जी के अभिभाषण के बीच में कोई आपसी सामंजस्य नहीं हो, तो चूंकि राज्यपाल जी का अभिभाषण सरकार का संदेश होता है, उनकी नीतियां होती हैं, उनके कार्यक्रम

होते हैं और जब मान्यवर दोनों, विरोधाभासी हो तो उस भाषण को पढ़ने का यहां पर कोई औचित्य नहीं है। राज्यपाल जी का अभिभाषण एक सरकारी दस्तावेज है, धोखा है, छलावा है, इसलिए इसमें राज्यपाल जी का अपना कुछ भी नहीं है। मान्यवर, इसलिए अनुरोध है कि इसको पढ़कर के सदन का समय जाया न किया जाए। मान्यवर, यह मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी व्यवस्था का प्रश्न आप सुन लें। माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार के एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री ने राज्यपाल महोदय को एक चुनौती दी है और वह बकायदा ...

श्री अध्यक्ष-

पहले इसको हम पढ़ तो लें। ये यहां कहां उठता है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, सुन लें मान्यवर।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, व्यवस्था का इसमें प्रश्न नहीं उठता है, यह राज्यपाल जी का अभिभाषण है। उसमें व्यवस्था कहॉं से आ गई और मैं कहना चाहता हूँ मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यगण ने तो अपने महामहिम राज्यपाल जी को सुनना तक पसन्द नहीं किया इसीलिए वह सदन के अंदर नहीं आये। जो लोग अपने राज्यपाल जी को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, उनका व्यवस्था उठाने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल जी ने मुख्य मंत्री जी को एक पत्र लिखा है और हम चाहते हैं कि वह पत्र सार्वजनिक होना चाहिए और सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

यह आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा। यह यहां का विषय नहीं है। यह न लिखा जायेगा और न ही कार्यवाही का अंग माना जायेगा। यह न कार्यवाही का अंग बन सकता है और न इसे कार्यवाही का अंग माना जायेगा। अभी जब असेम्बली चलेगी तो बहुत से विषय आएंगे, आज तो केवल राज्यपाल जी अपना अभिभाषण पढ़कर चले गए हैं, उसकी परम्परा यह है कि मौर्या जी इसे यहां उठा रहे हैं, जब वह दूसरी तरफ बैठते थे तब इनके राज्यपाल जब आते थे, महामहिम जी आते थे, तो दूसरे पक्ष के लोग उठाते थे कि भाषण पढ़ा नहीं गया। यह बड़ी पुरानी परम्परा है, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, इसे मैं निरस्त करता हूं। आप लोग बैठ जाएं, अब मैं माननीय राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ देता हूं।

(बहुजन समाज पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर राज्यपाल जी के अभिभाषण को पढ़े जाने का विरोध किया गया तथा उनके द्वारा लगातार सरकार विरोधी नारे लगाये जाते रहे तथा बैनर दिखाये जाते रहे। कई माननीय सदस्यों के एक साथ सरकार विरोधी नारे लगाये जाने के कारण व्यवधान की स्थिति)

**[12.35] श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ**

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्यगण, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के वर्ष 2015 के दोनों सदनों के प्रथम सत्र के लिए आहूत एक साथ समवेत् अधिवेशन में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनन्दन करता हूं और आपको नववर्ष की शुभकामनायें देता हूं। नव वर्ष 2015 आपको और समस्त प्रदेश वासियों के लिए सुख, समृद्धि और सम्पन्नता से परिपूर्ण हो, यही कामना करता हूं।

(इसी मध्य भारतीय जनता पार्टी विधान मण्डल दल के नेता श्री सुरेश कुमार खन्ना अपने दल के माननीय सदस्यगण के साथ सदन से बर्हिगमन कर गए।)

(व्यवधान के मध्य)

(श्री अध्यक्ष द्वारा अभिभाषण के अंशों को पढ़े जाने के मध्य श्री प्रदीप माथुर, नेता कांग्रेस विधान मण्डल दल तथा उनके दल के अन्य सदस्यगण अभिभाषण का विरोध करते हुए सरकार विरोधी नारे लगाते रहे। सदन में विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने के प्रयास तथा नारेबाजी के कारण व्यवधान की स्थिति बनी रही।)

मा0 सदस्यगण आपको स्मरण होगा कि इसी सदन में पिछले वर्ष मेरी सरकार ने प्रदेश को तेजी से विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिये संकल्प व्यक्त किया था और प्रदेश के सभी वर्गों के लोगों के कल्याण और उत्थान के लिये कार्यक्रम चलाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। जब से मेरी सरकार ने कार्यभार ग्रहण किया है, सरकार की यह प्रतिबद्धता रही है कि जनता से जो भी वादे किये गये थे उनको पूरा किया जाये और मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमने लगभग सभी वादे पूरे भी कर दिये हैं। प्रदेश को विकास, प्रगति और खुशहाली के पथ पर ले जाने के लिये मेरी सरकार हर वर्ष विकास का एजेण्डा तय करती है एवं उस पर प्रभावी कार्यवाही करती है और उन सभी कार्यक्रमों में सरकार को आप सबका सहयोग मिला जिसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मेरी सरकार गरीबों, कृषकों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, युवाओं के साथ-साथ सभी वर्गों के उत्थान के लिये प्रतिबद्ध है और हमने इस दिशा में कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं रखा है और हर दिशा हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किये हैं और उपलब्धियां अर्जित की हैं।

आज के युग में कोई प्रदेश विकसित अवस्थापना सुविधाओं के बिना प्रगति नहीं कर सकता है। जनमानस को बेहतर जीवन और उद्योग धन्धों की बेहतरी के लिये आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं में तीव्र गति से सुधार लाया जाये। मेरी सरकार ने करीब रु0 15,000 करोड़ की लागत से लखनऊ से आगरा के मध्य 06 लेन प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे बनाने के कार्य को इस वर्ष प्रारम्भ किया है जिससे न केवल प्रदेश की राजधानी देश की राजधानी से सुगमता से जुड़ेगी, बल्कि सम्पूर्ण क्षेत्र में औद्योगिक विकास के साथ-साथ किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य भी मिलेगा और प्रदेश की जनता में खुशहाली के नये आयाम स्थापित होंगे। हमने प्रदेश के हर जिले को चार लेन सड़कों से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किये हैं तथा चार शहरों में मेट्रो की व्यवस्था करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। लखनऊ में मेट्रो का कार्य धरातल में इस वर्ष प्रारम्भ

किया गया है जो आप सभी देख सकते हैं। प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं में सुधार से औद्योगिक विकास के क्षेत्र में परिणाम सामने आने लगे हैं, जिसके फलस्वरूप निजी क्षेत्र में बड़ी-बड़ी कम्पनियां जैसे सैमसंग, इन्फोसिस, एच0सी0एल0 आदि बड़ी परियोजनायें प्रदेश में लगाने के लिये तत्पर हुई हैं।

मा0 सदस्यगण, मेरी सरकार ने न केवल विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किये हैं बल्कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। सौर ऊर्जा नीति का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया है और अभी कुछ दिनों पूर्व महोबा में 10 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लान्ट को चालू किया गया है। आने वाले दिनों में बुन्देलखण्ड सहित प्रदेश में कई और परम्परागत एवं सौर ऊर्जा प्लान्ट क्रियाशील किये जायेंगे ताकि हम प्रदेश में पर्याप्त, बेहतर एवं निर्बाध विद्युत उपलब्ध कराने के अपने वादे को पूरा कर सकें।

मेरी सरकार ने जहां एक ओर अवस्थापना सुविधाओं में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किये हैं वहीं मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमने पूरे देश के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम समाजवादी पेंशन योजना को इस वर्ष लागू किया है जिसमें 40 लाख ऐसे लोगों जो पूर्व में विभिन्न योजनाओं के लाभ से वंचित रह गये थे उनको मेरी सरकार पहली बार अपने बजट से सीधे बैंक खाते में धनराशि भेजकर लाभ प्रदान कर रही है। इस आकार का कोई भी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम किसी भी राज्य सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से करोड़ों लोगों को सरकार की सहायता सीधे पारदर्शी रूप से प्राप्त होगी।

मेरी सरकार किसानों के हितों के लिये पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इस दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए मेरी सरकार ने पूरे प्रदेश में निःशुल्क सिंचाई की व्यवस्था लागू की थी। हम न केवल किसान को बेहतर उत्पादन और उत्पादकता के लिये सिंचाई, खाद और नयी तकनीकें मुहैया करा रहे हैं बल्कि किसान को अपनी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सके, इसके लिये भी तत्पर हैं। कामधेनु योजना और कुक्कुट विकास नीति के अन्तर्गत सैकड़ों किसानों को न केवल रोजगार मिला है बल्कि प्रदेश में दुग्ध और पशु उत्पादों के उत्पादन की दिशा में अच्छा कार्य हुआ है जिसका परिणाम देखा जा सकता है।

मा0 सदस्यगण, मेरी सरकार ने जहां एक ओर स्वास्थ्य की दिशा में 108 और 102 एम्बुलेन्स का सफलतापूर्वक संचालन करके लाखों लोगों को अस्पताल पहुंचा कर आकस्मिक इलाज की सुविधा प्रदान की है वहीं मेडिकल कालेजों में 500 एम0बी0बी0एस0 की सीटें बढ़ाकर होनहार बच्चों के लिये चिकित्सा शिक्षा के अधिक अवसर उपलब्ध कराये हैं जिससे चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त हो सकेगा। आने वाले वर्ष में हमारी पूरी कोशिश होगी कि सहारनपुर और बांदा मेडिकल कालेज क्रियाशील हो जाये और लखनऊ में अत्याधुनिक कैंसर इंस्टीट्यूट का निर्माण भी प्रारम्भ हो जाये।

मा0 सदस्यगण, मेरी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करते हुए प्राथमिक विद्यालयों में हजारों नये शिक्षकों की भर्ती के साथ-साथ हजारों शिक्षा-मित्रों का समायोजन भी किया है जिससे शिक्षकों की कमी काफी हद तक पूरी हुई है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, सिद्धार्थनगर इसी वर्ष क्रियाशील हो जाये और बिजनौर, अम्बेडकर नगर और बांदा के इंजीनियरिंग कालेज स्वयं के भवन में संचालित होने लगें।

आज के युग में कोई भी लोकतांत्रिक सरकार युवाओं की आकांक्षाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकती। मेरी सरकार युवाओं की बेहतरी और उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिये कृत संकल्प है। इस वर्ष सरकारी क्षेत्र में काफी संख्या में नौकरियां दी जायेंगी, जिसके लिए हमने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन किया है। हम समझते हैं कि औद्योगिक और निजी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के लिये प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रदान किये जाने की आवश्यकता है जिसके लिये हमने कौशल विकास मिशन का भी गठन किया है। कौशल विकास मिशन में एक लाख से अधिक युवक-युवतियों को रोजगार परक एवं गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिससे कई प्रशिक्षित युवक-युवतियों को बड़ी-बड़ी कम्पनियों में नौकरियां भी मिली हैं। हमने हाल ही में देश की 09 प्रतिष्ठित कम्पनियों रेमण्ड, कैफे काफी डे, सुपर हाउस लि0, श्री लक्ष्मी काटसिन लि0, जी-4 एस0 सिक्योर सल्यूशन (इण्डिया) प्रा0लि0, फ्यूचरशार्प नेटवर्क सल्यूशन प्रा0लि0, टेलीकाम नेटवर्क सल्यूशन प्रा0लि0, इन्स्टीट्यूट आफ एडवान्स सिक्योरिटी ट्रेनिंग एण्ड मैनेजमेंट तथा कार्वी डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज लि0, हैदराबाद के साथ अनुबन्ध निष्पादित किया है ताकि इन कम्पनियों में भी रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदेश के युवाओं को मिल सके।

मा0 सदस्यगण, मेरी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिये भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं जिनमें 1090 सेवा प्रमुख है जिसका अब तक 2.5 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता पहुंचाई गयी है। हमने 1090 मोबाइल एप का भी शुभारम्भ किया है। मेरी सरकार ने महिला सशक्तीकरण हेतु रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष तथा आशा ज्योति केन्द्रों की स्थापना का भी निर्णय लिया है और महिला उद्यमी योजना क्रियान्वित की गयी है।

मेरी सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के सर्वांगीण हितों की रक्षा के साथ-साथ उनकी अशिक्षा और बेरोजगारी को समाप्त करने के लिये कृत संकल्प है। पहली बार मेरी सरकार ने विभिन्न सरकारी योजनाओं में 20 प्रतिशत लक्ष्य अल्पसंख्यकों के लिये मात्राकृत करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है और इस दिशा में 29 विभागों में संचालित 68 योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिये मात्राकृत किया जा रहा है।

मा0 सदस्यगण मेरी सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास और गरीबों के कल्याण के लिये पूर्णतः प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार का संकल्प है कि प्रदेश में अपराध नियंत्रण हेतु कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाये। मेरी सरकार ने पिछले एक वर्ष में प्रदेश में अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था को बनाये रखने की दिशा में तत्परता से कार्य किया है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, हालांकि विगत वर्षों में अराजकता फैलाने का कम प्रयास नहीं हुआ, फिर भी मेरी सरकार सामाजिक सद्भाव कायम रखने में सफल रही है। मेरी सरकार का संकल्प है कि किसी भी स्थिति में साम्प्रदायिकता बर्दाश्त नहीं की जा सकती है।

मेरी सरकार आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीकों का प्रयोग कर जनता को बेहतर सुविधाएं देने और आई0टी0 उद्योग को प्रोत्साहित करने की दिशा में कार्य कर रही है और इस दिशा में जहां लखनऊ में एच0सी0एल0 जैसी प्रतिष्ठित कम्पनी द्वारा आई0टी0 सिटी की स्थापना की जा रही है, इन्फोसिस कम्पनी द्वारा भी निवेश किया जा रहा है, वहीं विभिन्न सरकारी योजानाओं का लाभ सीधे वेबसाइट के माध्यम से दिये जाने की भी व्यवस्था की गयी है।

**कृषि विभाग**

प्रदेश में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 241.71 लाख हेक्टेयर में से 166.23 लाख हे0 में खेती की जाती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना एवं कृषि नीति-2013 के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र की विकास दर 5.1 प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य है। उक्त लक्ष्य के दृष्टिगत वर्ष 2015-16 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 626.64 लाख मी0 टन एवं तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 13.03 लाख मी0 टन निर्धारित किया गया है।

प्रदेश में वर्ष 2014-15 में 525.59 लाख मी0 टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है। वर्ष 2015-16 में 63.10 लाख कु0 बीज वितरण का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें खरीफ की फसलों हेतु 11 लाख कु0 एवं रबी की फसलों हेतु 52.10 लाख कु0 का वितरण किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2015-16 में 40.63 प्रतिशत बीज प्रतिस्थापन दर प्राप्त करने का लक्ष्य है।

कृषकों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। वर्ष 2014-15 में दिनांक 31-01-2015 तक 84.34 लाख मी0टन उर्वरक किसानों को उपलब्ध कराया जा चुका है। वर्ष 2015-16 में 116.05 लाख मी0 टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित है।

कृषि रक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत कीट एवं रोगों के नियंत्रण हेतु वर्ष 2014-15 में 14,894.06 मी0 टन/कि0ली0 का वितरण किया गया। वर्ष 2015-16 में 17,360 मी0टन/कि0ली0 कृषि रक्षा रसायन वितरण का लक्ष्य है।

प्रदेश के कृषकों को कृषि निवेशों के क्रय हेतु उन्हें फसली ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2014-15 में खरीफ एवं रबी में दिनांक 15 जनवरी, 2015 तक रु0 51,470.93 करोड़ का फसली ऋण वितरित किया जा चुका है। वर्ष 2015-16 में रु0 84,021 करोड़ का फसली ऋण वितरित करने का लक्ष्य है।

प्रदेश के कृषकों को सिंचाई हेतु मंहगे डीजल/विद्युत आपूर्ति की समस्या से निजात दिलाने हेतु वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन के अन्तर्गत पर्यावरण हितैषी सोलर फोटोवोल्टिक इरीगेशन पम्प की स्थापना कृषकों के खेतों पर कराई जा रही है। वर्ष 2015-16 में लघु एवं सीमान्त कृषकों को अनुदान पर 6,000 सोलर फोटोवोल्टिक पम्प वितरण का लक्ष्य है।

भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य फ्लैगशिप योजना-भूमि सेना, नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना, बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र में सिंचाई जल उपयोग की क्षमता बढ़ाने की योजना एवं कटरी क्षेत्र में भूमि सुधार की योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में दिनांक 20 दिसम्बर, 2014 तक 54,290 हे0 भूमि का उपचार किया गया है तथा 125 स्प्रिंकलर सेट की स्थापना कराई गई है। वर्ष 2015-16 में 1.19 लाख हे0 में भूमि एवं जल संरक्षण के कार्यों के क्रियान्वयन का लक्ष्य है।

नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 में रेनफेड एरिया डेवलपमेन्ट घटक के अन्तर्गत 2,185 हे0 क्षेत्र आन फार्म वाटर मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत 459 हे0 क्षेत्र आच्छादित किया गया है। वर्ष 2015-16 में रेडफेड एरिया डेवलपमेन्ट के अन्तर्गत 8,330 हे0 एवं आन फार्म वाटर मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत 8,286 हे0 क्षेत्र में कार्य प्रस्तावित है। इसी योजनान्तर्गत

वर्ष 2015-16 में प्रदेश के प्रत्येक कृषक को मृदा परीक्षण के आधार पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने हेतु मिशन स्वायल हेल्थ कार्ड कार्यक्रम प्रस्तावित है।

**कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग**

प्रदेश में कृषि उत्पादन मण्डी समितियों के सुनियोजित विकास और कृषि बाजारों में प्रचलित कुरीतियों पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से प्रत्येक विनियमित मण्डी के लिये एक मण्डी समिति की स्थापना है। मण्डी समितियों द्वारा मण्डियों के विनियमन के साथ-साथ किसानों एवं व्यापारियों हेतु विभिन्न सुविधाओं से युक्त नवीन मण्डी स्थलों का निर्माण कराया जा रहा है। अब तक प्रदेश में 217 मुख्य मण्डी स्थलों, 91 उपमण्डी स्थलों, 71 फल/सब्जी मण्डी स्थलों, 05 दुग्ध मण्डी स्थल, 05 मत्स्य बाजारों, 225 हाट-पैठ, 238 ग्रामीण गोदाम, 82 कृषक सेवा केन्द्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 20,057 कि0मी0 लम्बाई के सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है।

जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में ऐसे गांवों का चयन किया जाता है। जो अवस्थापना सुविधाओं से वंचित हों। गत वर्षों में चयनित किये जाने वाले प्रत्येक ग्राम में न्यूनतम आवश्यकता के दृष्टिगत अधिकतम रु0 25 लाख की लागत से सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण, पेयजल व्यवस्था हेतु इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प की स्थापना एवं सौर ऊर्जा से प्रकाश व्यवस्था का कार्य एवं विद्युतीकरण का कार्य कराये जाने की व्यवस्था की गयी थी। वर्ष 2013-14 में जनेश्वर मिश्र ग्रामों में कराये जाने वाले विकास कार्यों की लागत सीमा को रु0 25 लाख से बढ़ाकर रु0 40 लाख प्रति ग्राम कर दिया गया है। अब तक 2,389 जनेश्वर मिश्र ग्रामों में विकास कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के पिछड़ेपन के दृष्टिगत केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा स्वीकृत विशेष आर्थिक पैकेज के अन्तर्गत कृषि विपणन एवं भण्डारण की अवस्थापना सुविधाओं के विकास का दायित्व मण्डी परिषद् को सौंपा गया है और इस हेतु रु0 691.50 करोड़ की आर्थिक सहायता अनुमोदित की गयी है। योजना के अन्तर्गत मण्डी परिषद् द्वारा बुन्देलखण्ड के 07 जनपदों (ललितपुर रु0 66, बांदा रु0 63.46, चित्रकूट रु0 64.02, महोबा रु0 55.66, हमीरपुर रु0 58.40, जालौन रु0 62.86 एवं झांसी रु0 63.52 करोड़) में कुल रु0 433.94 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गयी है, जो निर्माणाधीन है। इसी प्रकार रु0 1.45 करोड़ की लागत से कुल 133 नग ग्रामीण अवस्थापना केन्द्रों (रिन) जिनकी लागत रु0 254.45 करोड़ है, की परियोजनायें स्वीकृत की गयी हैं। 133 रिनों में से 82 रिनों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है जिसके संचालन की कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश के कृषकों को उनकी उपज के क्रय-विक्रय हेतु 100 वर्ग कि0मी0 क्षेत्रफल अर्थात प्रत्येक 10 कि0मी0 के अन्तराल पर एक मण्डी स्थल उपलब्ध कराये जाने के निर्णय के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में कुल 1,839 एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया था, जिसके लिये रु0 516.86 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है। उक्त में 1,214 एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब का निर्माण पूरा कराया जा चुका है तथा 528 एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब संचालित कर दिये गये हैं।

मण्डी समितियों की पहली प्राथमिकता समस्त सुविधाओं युक्त आधुनिक मण्डी स्थलों के निर्माण की है जिससे कृषि जिन्सों को एक परिसर में लाकर उनका क्रय-विक्रय किया जा सके। नवनिर्मित मण्डी परिसर में लाइसेन्सियों को दुकानें एवं नीलामी चबूतरे उपलब्ध कराये जाते हैं।

खाद्यान्न, फल एवं सब्जी, मत्स्य, पुष्प एवं दूध के क्रय-विक्रय हेतु अलग-अलग मण्डी स्थल निर्मित कराये गये हैं तथा कराये जा रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में 217 नवीन मण्डी स्थल एवं 91 उप मण्डी स्थलों के साथ ही 82 किसान सेवा केन्द्र, 99 किसान विश्राम गृह, 40 अतिथि गृह, 238 गोदाम एवं 351 सार्वजनिक शौचालय निर्मित है। 273 स्थानों पर भूमि की उपलब्धता के आधार पर उप मण्डी स्थलों का निर्माण प्रस्तावित है। वर्तमान समय में 02 मुख्य मण्डियां एवं 03 उप मण्डियां निर्माणाधीन है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में माह नवम्बर, 2014 तक 527 कि0मी0 नवीन सम्पर्क मार्ग एवं 166 कि0मी0 मरम्मत के सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य पूर्ण कराये गये जिस पर रु0 105.29 करोड़ व्यय हुए।

कृषकों को अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को विक्रय की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रथम चरण में 04 जनपदों लखनऊ, सैफई (इटावा) मैनपुरी व झांसी में किसान बाजार की योजना के अन्तर्गत झांसी में किसान बाजार का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है तथा उसके संचालन की प्रक्रिया गतिमान है। लखनऊ व सैफई में किसान बाजार का कार्य प्रगति में है।

किसान भाइयों को दी जाने वाली सुविधा यथा-मृदा परीक्षण, जैविक खाद, कृषि यंत्र, उन्नतिशील बीज, एग्री क्लीनिक, सूचना विज्ञान केन्द्र, फसल संरक्षण आदि प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के समस्त जनपदों की मण्डी समितियों में ''कृषक सेवा केन्द्र'' खोलने का निर्णय लिया गया है। इस क्रम में 82 कृषक सेवा केन्द्र की स्थापना की गयी है एवं उन्हें संचालित करने का दायित्व आई0टी0सी0, इफ्को एवं खुशहाली को सहभागिता के आधार पर दिया गया है।

मण्डी स्थलों पर त्रुटिरहित तौल व्यवस्था उपलब्ध कराना मण्डियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इस हेतु 150 मण्डी/उप मण्डी स्थलों में कुल 286 इलेक्ट्रानिक वे-ब्रिजेज की स्थापना करा दी गयी है एवं नौ वे-ब्रिजेज की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। कृषि उत्पाद की सही तौल होने के कारण कृषक भाइयों को उनके कृषि उत्पाद का बेहतर मूल्य प्राप्त हो रहा है जिससे वे उत्साहित है।

व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना के अन्तर्गत कृषि कार्य करते समय दुर्घटनाग्रस्त (अंग-भंग) तथा मृत्यु होने पर मण्डी परिषद् द्वारा किसान भाइयों को न्यूनतम धनराशि रु0 3,000/- तथा अधिकतम धनराशि रु0 2,00,000/- दी जा रही है।

किसान भाइयों के खलिहान में आग लगने की स्थिति में मण्डी परिषद् द्वारा उक्त योजना के तहत जोत सीमा के आधार पर न्यूनतम धनराशि रु0 15,000/- तथा अधिकतम धनराशि रु0 30,000/- की सहायता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त खड़ी फसल के अग्निकाण्ड दुर्घटना योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है। जहां अग्निकाण्ड दुर्घटना में सहायता की धनराशि (एक लाख रुपये) से अधिक आंकलित हो रही तो इन दावों के निपटाने हेतु जनपद के जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया है।

किसानों के प्रतिभावान बच्चों को कृषि की उच्च शिक्षा हासिल कराने हेतु प्रोत्साहन के रूप में मण्डी परिषद् द्वारा 24 कृषि महाविद्यालयों, 05 कृषि विश्वविद्यालयों तथा 03 कृषि संस्थानों में स्नातक के छात्र/छात्राओं को रु0 3,000/- तथा कृषि के क्षेत्र में शोधकर्ता छात्रों को रु0 6,000/- प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जा रही है।

फल-सब्जी के लघु एवं सीमान्त किसानों को अपना कृषि उत्पाद यातायात के अभाव में मजबूरन स्थानीय हाट/बाजार में न बेचना पड़े, इसके लिये उनके उत्पाद को निकटतम मण्डी में लाने हेतु परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये मण्डी परिषद् द्वारा प्रथम चरण में 05 मण्डियों यथा कन्नौज, बहराइच, कानपुर, महोबा एवं ललितपुर में सुगम परिवहन योजना लागू की गयी है।

**कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग**

कृषि विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र में अनुसंधान हेतु विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त अनुदान से शोध परियोजनायें संचालित की जा रही है, जिनके माध्यम से विश्वविद्यालयों में फसल सुधार, शस्य व पौध सुरक्षा तकनीक, बीज उत्पादन कर सम्यक् कृषक उपयोग तकनीकी के विकास को गति दी जा रही है। कृषि विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत स्थापित कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा कृषि ज्ञान केन्द्रों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आदि के माध्यम से कृषकों को लाभान्वित किया गया। आगामी वित्तीय वर्ष में जनपद गोण्डा एवं सोनभद्र में नये कृषि महाविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके तथा कृषि शिक्षा, शोध एवं प्रसार को बढ़ावा मिले।

**वन विभाग**

प्रकृति का सीधा प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। हरे-भरे पौधों तथा स्वच्छ वातावरण से प्रत्येक जीव स्वस्थ तथा मानव जीवन खुशहाल रहता है। वातावरण को स्वच्छ व सुःखद बनाये रखने हेतु वृक्षारोपण एवं वन्य जीव संरक्षण व सम्वर्द्धन आवश्यक है।

हमारे प्रदेश का वर्तमान वृक्षावरण एवं वनावरण भौगोलिक क्षेत्रफल का 8.82 प्रतिशत है जिसकी वृद्धि हेतु सरकार प्रयासरत है। वर्ष 2014-15 में प्रदेश में वृक्षारोपण एवं वनावरण अभिवृद्धि हेतु प्रदेश सरकार द्वारा कुल 4.06 करोड़ पौधों का रोपण किया गया है।

प्रदेश सरकार द्वारा ''हरित पट्टी विकास योजना'' को प्राथमिकता पर कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2014-15 में जनपद-मैनपुरी, इटावा, लखनऊ, उन्नाव, कन्नौज तथा बदायूं को पूर्ण रूप से हरा-भरा करने के लिये टोटल फारेस्ट कवर योजना प्रारम्भ किया है।

प्रदेश में ईको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये वन क्षेत्र एवं वन संसाधनों को उच्चीकृत करने हेतु अनेक योजनायें संचालित की जा रही हैं। वन्य जीव के संरक्षण एवं सम्वर्द्धन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा पीलीभीत टाइगर रिजर्व तथा अमानगढ़ टाइगर रिजर्व जीव विहार योजना की स्थापना की गई है। इटावा जनपद में लायन सफारी पार्क की स्थापना का कार्य प्रगति पर है तथा प्रदेश के प्राणि उद्यानों के आधुनिकीकरण का कार्य किया गया है।

**सहकारिता विभाग**

सहकारिता विभाग द्वारा किसानों, विशेष रूप से निर्बल वर्ग के किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से अल्पकालीन फसली ऋण, उर्वरक एवं उन्नतिशील बीज आदि का वितरण किया जाता है साथ ही उनके प्रमुख कृषि उत्पादों धान एवं गेहूं का मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत क्रय भी किया जाता है।

सहकारी कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के माध्यम से अल्पकालीन फसली ऋण 3 प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिये शासन द्वारा वर्ष 2014-15 में

रु0 100 करोड़ की शायकीय सहायता का बजट प्रावधान किया गया है जिसके सापेक्ष रु0 50 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं। भविष्य में भी किसानों को 3 प्रतिशत की दर पर अल्पकालीन फसली ऋण प्राथमिकता पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

प्रदेश में सहकारी ऋण ढांचे को मजबूत बनाने हेतु प्राथमिक सहकारी समितियों एवं जिला सहकारी बैंकों को सक्रिय किया जा रहा है। 16 गैर लाइसेन्स प्राप्त जिला सहकारी बैंकों को लाइसेन्स प्राप्त करने की अर्हता पूर्ण करने हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 के बजट में 610 करोड़ रु0 का प्राविधान था।

कृषि भूमि को बन्धक रखकर कर्ज लेने वाले किसानों को कर्ज न दे पाने की स्थिति में जमीन की नीलामी से बचाने हेतु कर्ज माफी के अन्तर्गत लगभग 51,000 कृषकों को लाभान्वित किया जा चुका है।

उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा प्रदेश की महिलाओं के सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर एवं उनको रोजगारपरक बनाने के उद्देश्य से ''महिला समृद्धि योजना'' के अन्तर्गत 03 प्रतिशत ब्याज की दर से ऋण प्रदान किया जा रहा है।

वर्ष 2014-15 में अल्पकालीन फसली ऋण वितरण के रूप में रु0 5,488.45 करोड़ वितरित किया गया। अल्पकालीन सहकारी देयों की दिनांक 06-01-2015 तक कुल वसूली 853.86 करोड़ की गयी।

वर्ष 2014 में खरीफ हेतु 10.41 लाख मी0 टन यूरिया तथा 2.92 लाख मी0 टन फास्फेटिक कुल 13.33 लाख मी0 टन उवर्रक का वितरण किया गया है तथा वर्ष 2014-15 में रबी हेतु दिनांक 06-01-2015 तक 6.32 लाख मी0 टन यूरिया तथा 7.43 लाख मी0 टन फास्फेटिक, कुल 13.75 लाख मी0 टन उर्वरक का वितरण किया गया है।

वर्ष 2014 में खरीफ में 11.245 हजार कुन्तल बीज वितरित किया गया तथा वर्ष 2014-15 में रबी में 584.66 हजार कुन्तल बीज वितरित किया गया है।

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र में कुल 1541 क्रय केन्द्र खोले गये जिसके माध्यम से 06-01-2015 तक 2.89 लाख मी0 टन धान क्रय किया गया।

**सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग**

किसान और गरीब का उत्थान सरकार की पहली प्राथमिकता है। प्रदेश में 73,900 किमी0 लम्बी नहर प्रणालियों एवं 30,917 राजकीय नलकूपों के माध्यम से लगभग 76 लाख हे0 क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। सिंचाई साधनों में उत्तरोत्तर वृद्धि तथा प्राकृतिक जल संसाधनों को उपयोग कर वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं के सृजन एवं निर्माण हेतु सिंचाई विभाग निरन्तर प्रयासरत है।

सिंचाई विभाग द्वारा सतही जल एवं भू-गर्भ जल का उपभोग करके कृषि कार्यों के लिये सिंचाई सुविधा 73,900 कि0मी0 नहरों, 28 पम्प नहरों, 30,917 राजकीय नलकूपों, 247 लघु डाल नहर एवं 69 जलाशयों के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है।

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में रु0 8,749.96 करोड व्यय करके 218.58 हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया गया।

योजना में मुख्य एवं मध्यम सिंचाई की 19 चालू परियोजनाएं तथा बाणसागर परियोजना, सरयू नहर परियोजना, कचनौदा बांध, अर्जुन सहायक परियोजना, चौ0 चरण सिंह लहचूरा बांध, मध्य गंगा नहर द्वितीय चरण, भोपौली पम्प नहर की क्षमता वृद्धि, निचली रोहिणी बांध, उटारी बांध, भौरट बांध, जमरार बांध, पहाड़ी बांध, पहुंज बांध, कनहर सिंचाई परियोजना, बदायूं सिंचाई परियोजना, राजघाट नहर द्वितीय चरण जसराना (नवीन) नहर परियोजना, रतौली वियर बांध तथा क्योलारी बांध परियोजना पूर्ण करने हेतु रु0 10,965.60 करोड़ धनराशि की आवश्यकता होगी तथा 801.10 हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन किया जाना प्रस्तावित है। 11 नई परियोजनाएं यथा भावनी बांध, बंडई बांध, विराट सागर बांध, पंचनद बांध, केन बेतवा लिंक परियोजना, सुखनई बैराज, बाघेन बांध, धुरवारा बांध, हथिनी कुण्ड लिंक चैनल द्वितीय चरण, सौर ऊर्जा विकास परियोजना तथा सिंचाई विभाग में सूचना तकनीकी के विकास की परियोजना तथा रु0 590.28 करोड़ व्यय करके 47.80 हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता के सृजन के साथ-साथ सौर ऊर्जा एवं सूचना तकनीकी के समुचित विकास का प्रस्ताव है।

खरीफ 1,422 फसली वर्ष 2014-15 में 3,381 कि0मी0 सिल्ट सफाई हुई। खरीफ 1,422 फसली वर्ष 2014-15 में 9,492 नहरों की टेल पर पानी पहुंचा कर 3,160.54 हजार हेक्टेयर सींच की गयी।

रबी 1422 फसली वर्ष 2014-15 में 57,315 कि0मी0 लम्बाई में नहरों की सिल्ट सफाई कराया जाना प्रस्तावित था, जिसमें विभागीय मद में 22,914 कि0मी0 तथा जिला स्तरीय मद में 34,401 कि0मी0 सिल्ट सफाई का कार्य किया जाना था, जिसके सापेक्ष दिनांक 31-12-2014 तक विभागीय मद में 19,357 कि0मी0 तथा जिला स्तरीय मद में 4,603 कि0मी0 सिल्ट सफाई हुई। रबी 1422 फसली वर्ष 2014-15 में दिनांक 31-12-2014 तक 2,447 नहरों की टेल तक पानी पहुंचाया गया।

उत्तर प्रदेश बाढ़ से प्रत्येक वर्ष बुरी तरह से प्रभावित होता है। प्रदेश में बहने वाली मुख्य नदियां, गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा, गण्डक, राप्ती, बूढ़ी राप्ती, रामगंगा एवं कुआनों प्रदेश के लगभग 36 जनपदों को प्रभावित करती है। कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में उत्तराखण्ड राज्य एवं नेपाल राष्ट्र से होते हुए सीधे उत्तर प्रदेश में मैदानी भाग में प्रवेश करती है तथा जन-धन के साथ कृषि क्षेत्र को भी अत्यधिक क्षति पहुंचाती है। बाढ़ की केन्द्र-पुरोनिधानित परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश के स्वीकृत बजट के सापेक्ष मात्र 10 से 15 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार द्वारा विगत वर्षों से अवमुक्त हुई जिससे बाढ़ से बचाव की परियोजनाओं के निर्माण की प्रगति प्रभावित हो रही है। अब तक कोई केन्द्रांश भारत सरकार द्वारा निर्गत नहीं हुआ है, फिर भी प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में से अब तक प्रदेश के कुल 21.74 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षित किया जा सका है जबकि लगभग 36.98 लाख हेक्टेयर क्षेत्र अभी सुरक्षित किया जाना शेष है।

प्रदेश के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की प्राथमिकता के दृष्टिगत डा0 राम मनोहर लोहिया नवीन राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना (नाबार्ड पोषित), डा0 राम मनोहर लोहिया 8,000 राजकीय नलकूपों का आधुनिकीकरण परियोजना (नाबार्ड पोषित), असफल नलकूपों के पुनर्निर्माण हेतु डा0 राम मनोहर लोहिया राजकीय नलकूप पुनर्निर्माण परियोजना का गठन किया गया है।

इसी प्रकार समय-समय पर मुख्य मंत्री जी द्वारा की गयी घोषणाओं के अन्तर्गत भी नये राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 तक हरदोई-चित्रकूट एवं बांदा जनपदों में 82 नलकूपों का निर्माण पूर्ण किया गया। वित्तीय वर्ष 2014-2015 में विभिन्न जनपदों हेतु की गयी इन घोषणाओं की पूर्ति हेतु रु0 900 लाख की बजट व्यवस्था प्राविधानित है जिसके सापेक्ष जनपद इटावा, सम्भल, चित्रकूट व बांदा में कुल 160 राजकीय नलकूपों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। नवीन लघु लिफ्ट नहरों की निर्माण परियोजना अन्तर्गत गडई नदी पर महदेउर नवीन पम्प नहर का निर्माण परियोजना, कर्मनाशा नदी पर स्थापित पम्प नहरों को स्वतंत्र फीडर से जोड़ने की परियोजना एवं बलुआ पम्प नहर क्षमता वृद्धि परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जनपद चन्दौली स्थित नलुआ पम्प नहर का आधुनिकीकरण परियोजना की लागत रु0 421.75 लाख है, इस परियोजना के पूर्ण होने पर 2.05 हजार हेक्टेयर का सिंचन क्षमता का सृजन होगा। इसी जनपद में धन कुवारी पम्प नहर परियोजना (नाबार्ड पोषित) क्षमता 50 क्यूसेक, लागत रु0 2014.21 लाख है। परियोजना के पूर्ण हो जाने पर 1936 हे0 सिंचन क्षमता का सृजन होगा।

जनपद चन्दौली में ही स्थित सोगाई पम्प नहर की निर्माण परियोजना (नाबार्ड पोषित) की लागत रु0 419.17 लाख है, इस परियोजना के पूर्ण होने पर 0.272 हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन होगा।

उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत डार्क जोन ब्लाकों की संख्या-179 है, जहां पर भू-गर्भ जल स्तर सामान्य से बहुत नीचे हो जाता है, इसको वाटर रिचार्जिंग द्वारा ठीक कराने हेतु आर0आर0आर0 योजना के अन्तर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

**भू-गर्भ जल विभाग**

भू-गर्भ जल विभाग द्वारा प्रदेश में भू-गर्भ जल संसाधनों के नियोजित विकास, प्रबन्धन एवं संरक्षण हेतु विभिन्न वैज्ञानिक विधाओं के माध्यम से अनुसंधान एवं सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है।

वर्तमान में प्रदेश में लगभग 70 प्रतिशत सिंचित कृषि मुख्य रूप से भू-जल संसाधनों पर निर्भर है। वहीं पेयजल व औद्योगिक क्षेत्र की अधिकांश जल आपूर्ति भू-गर्भ जल से ही होती है। परिणामस्वरूप प्रदेश के अनेक ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अतिदोहन व भू-जल की अन्य समस्याएं उत्पन्न हो गयी हैं। राज्य सरकार इस संसाधन के सतत् प्रबन्धन के साथ-साथ इसे संरक्षित करने के लिये गम्भीर है और इसी कड़ी में वर्षा जल संचयन, भू-जल रिचार्ज व एक्यूफर प्रबन्धन को शासन की प्राथमिकताओं में रखा गया है। राज्य सरकार द्वारा भू-गर्भ जल संसाधनों के समेकित प्रबन्धन के दृष्टिगत प्रदेश के 'समग्र भू-जल' प्रबन्धन नीति लागू की गयी है।

**लघु सिंचाई विभाग-**

लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से किसानों को निजी सिंचाई साधनों का विकास कर सामाजिक, सुनिश्चित एवं सस्ती सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही **है। 'निःशुल्क बोरिंग'** विभाग की फ्लैगशिप स्कीम के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु क्रमशः रु0 5,000/- एवं रु0 7,000/ तथा अनुसूचित जाति/जनजाति कृषकों हेतु रु0 10,000/-प्रति

बोरिंग का अधिकतम अनुदान अनुमन्य है। इसके अतिरिक्त पम्प सेट स्थापना हेतु सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिये क्रमशः रु0 4,500/- एवं रु0 6,000/- तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों हेतु रु0 9,000/- का अधिकतम अनुदान अनुमन्य है।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल के अपव्यय को रोकने हेतु वर्ष 2012-13 से 25 प्रतिशत लाभार्थियों को एच0डी0पी0ई0 पाइप का 50 प्रतिशत (अधिकतम रु0 3,000) अनुदान अनुमन्य है। वर्ष 2015-16 हेतु योजना के अन्तर्गत 4,17,560 निःशुल्क बोरिंग का लक्ष्य प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त मध्यम गहरे नलकूप गहरी बोरिंग तथा राम मनोहर लोहिया सामुदायिक नलकूप योजनाएं भी चलायी जा रही हैं।

वर्तमान में कुछ नई योजनाएं प्रस्तावित हैं। लोहिया ग्रीन ट्यूबवेल योजना के अन्तर्गत सौर ऊर्जा चालित नलकूप को बढ़ावा देने हेतु विभाग द्वारा एक नई योजना प्रस्तावित की जा रही है। जिसके अन्तर्गत 2 हार्स पावर तथा 5 हार्स पावर पम्पसेट द्वारा चालित नलकूपों का निर्माण किया जायेगा, जिनकी इकाई लागत क्रमशः रु0 4.271 लाख तथा रु0 9.303 लाख आगणित की गई है। योजना के अन्तर्गत 2 हार्स पावर चालित 300 नलकूप तथा 5 हार्स पावर चालित 50 नलकूप निर्मित किये जाना प्रस्तावित है तथा योजना की कुल लागत रु0 1746.45 लाख आंकलित की गई है जिसमें भारत सरकार का अंश रु0 407.70 लाख (23.33 प्रतिशत), राज्य सरकार का अंश रु0 1164.105 लाख (66.67 प्रतिशत) तथा कृषक का अंश रु0 174.645 लाख (10 प्रतिशत) है।

नाबार्ड के ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष (आर0आई0डी0एफ0) के अन्तर्गत जनपद इलाहाबाद, बांदा, जालौन और रामपुर में सिंचाई सुविधाओं के विकास हेतु 193 चेकडैमों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिससे 3860 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन होगा तथा साथ ही भू-जल संवर्द्धन भी होगा।

प्रदेश के कृषकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिये उन्हें सामाजिक स्वनियंत्रित, मितव्ययी निजी लघु सिंचाई साधनों को त्वरित गति से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नाबार्ड के ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष (आर0आई0डी0एफ0) के अन्तर्गत जनपद बस्ती में सिंचाई सुविधाओं के विकास हेतु 900 नलकूपों का निर्माण (नाबार्ड पोषित) किया जाना प्रस्तावित है।

**परती भूमि विकास विभाग**

परती भूमि विकास विभाग द्वारा प्रदेश की अपघटित एवं अकृष्य भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु विश्व बैंक की सहायता से उ0 प्र0 भूमि सुधार निगम द्वारा ऊसर बाहुल्य जनपदों में ऊसर सुधार की परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं से जहां एक ओर कृषि उत्पादन हेतु भूमि की उपलब्धता बढ़ी है, वहीं कृषि क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में नये आय के स्रोत उत्पन्न हुए हैं। उत्तर प्रदेश सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन-तृतीय परियोजनान्तर्गत 29 जनपदों यथा सन्तरविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, अमेठी, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, एटा, कासगंज,

मैनपुरी, फिरोजाबाद, अलीगढ़ एवं बुलन्दशहर में कार्यान्वित की जा रही है। उत्तर प्रदेश सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन-तृतीय परियोजना के अन्तर्गत ऊसर सुधार हेतु 1.30 लाख हे0 ऊसर भूमि सुधार का लक्ष्य निर्धारित है। साथ ही प्रदेश में व्याप्त बीहड़ सुधार के लिये भी इस परियोजना में जनपद कानपुर देहात एवं फतेहपुर में पायलट आधार पर 5,000 हे0 बीहड़ भूमि के सुधार का लक्ष्य निर्धारित है।

परियोजना के प्रथम तीन सुधार वर्षों में प्रदेश के 29 जनपदों में 93,000 हे0 ऊसर भूमि तथा 6136 हे0 बीहड़ भूमि का उपचार किया गया है। उपचारिता ऊसर भूमि में से 73,079 हे0 'सी' श्रेणी की भूमि में उपचार के उपरान्त प्रथम बार धान एवं गेहूं की फसल प्राप्त की जा रही है।

प्रथम चार वर्षों में कुल 1,54,127 कृषक लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं जिसमें 1,44,391 (94 प्रतिशत) लघु एवं सीमान्त कृषक लाभान्वित हुए हैं। लाभान्वित कृषकों में लगभग 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं जनजाति लगभग 49 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थी सम्मिलित हैं। कुल लाभार्थियों में 14886 महिला लाभार्थी भी सम्मिलित हैं।

परियोजनान्तर्गत अब तक 425 मुख्य जल निकास नालों के पुनरोद्धार के माध्यम से लगभग 5,04,000 हे0 भूमि में जल भराव की समस्या का निराकरण कराया गया है।

परियोजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में कृषि क्रिया-कलापों को और अधिक आधुनिकता प्रदान किये जाने के उद्देश्य से एकीकृत पोषीजीव प्रबन्धन एवं एकीकृत नाषीजीव प्रबन्धन के क्रमशः 8,529 एवं 3,759 प्रदर्शन कराये गये हैं। साथ ही 5,574 फसल विविधीकरण, 6,464 नादेप, 5,686 वर्मी कम्पोस्ट पिट व 250 मधुमक्खी पालन के प्रदर्शन कराये गये हैं।

महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य से परियोजना क्षेत्रों में 3,902 महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन कराया गया है, जिसमें 42,426 महिला सदस्यों द्वारा अब तक रु0 511.24 लाख की बचत कर रु0 622.93 लाख के अन्तः ऋण का आदान-प्रदान किया गया है।

इस वित्तीय वर्ष के दौरान 15,000 हे0 ऊसर भूमि सुधार का लक्ष्य निर्धारित है, जिससे परियोजना जनपदों के लगभग 45,000 कृषक लाभान्वित होंगे। उपचारित की जाने वाली इस ऊसर भूमि में से लगभग 9.750 हे0 ऐसी भूमि का उपचार किया जाना प्रस्तावित है जिसमें उपचार के उपरान्त प्रथम बार धान एवं गेहूं की फसल प्राप्त की जायेगी।

ऊसर भूमि के उपचार के साथ-साथ परियोजना क्षेत्रों के सम्बद्ध 50 जल निकास नालों का पुनरोद्धार किया जाना सम्मिलित है, जिससे लगभग 50,000 हे0 भूमि में जलभराव की समस्या का निराकरण होना सम्भावित है।

समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई0डब्लू0एम0पी0) का संचालन भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से प्रदेश में परती भूमि विकास विभाग उ0 प्र0 द्वारा किया जा रहा है, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वर्षा सिंचित क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण तथा प्राकृतिक संसाधनों के समुचित प्रबन्धन तथा उसका दीर्घकालिक उपयोग सुनिश्चित कराना है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वर्षा जल संरक्षित कर सूखे की स्थिति को यथासम्भव कम करना, वर्षा आधारित क्षेत्रों में दलहनी, तिलहनी फसलों के उत्पादन में सतत् वृद्धि कराना। कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि

उत्पादन यथा-फसल उत्पादन, फल उत्पादन, बागवानी, उद्यानीकरण, कृषि वानिकी के साथ-साथ पशु उत्पादन मत्स्य पालन आदि कार्यों को भी शामिल किया गया है।

**मत्स्य विभाग**

प्रदेश में मत्स्य विकास हेतु पर्याप्त जल संसाधनों की उपलब्धता है, जिसका उपयोग कर अधिकाधिक मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता सुनिश्चित करते हुए मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ इस कार्यक्रम में परम्परागत रूप से जुड़े व्यक्तियों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत सभी स्रोतों से 6.30 लाख मी0 टन वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष्य द्वितीय त्रैमास तक 2.50 लाख मी0 टन मत्स्य उत्पादन रहा तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2015-16 में भी सभी स्रोतों से मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य 6.30 लाख मी0 टन प्रस्तावित है। राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्स्थलीय मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल के बाद प्रदेश का तीसरा स्थान है।

मत्स्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत 3,686.94 हे0 जलक्षेत्र के सामुदायिक तालाबों का पट्टा आवंटन 3,847.60 हे0 तालाबों का सुधार/निर्माण तथा 15,064.64 लाख मत्स्य बीज वितरण किया गया। इसके अतिरिक्त इस वर्ष 1,345 आश्रयविहीन मत्स्य पालकों/मछुआरों हेतु मछुआ आवासों का निर्माण कराया जा रहा है। मछुआ आवास की लागत को बढ़ा कर लोहिया आवास के समान करने का निर्णय लिया गया है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत 10,000 हे0 सामुदायिक तालाबों को पट्टे पर आवंटित कराने, निजी क्षेत्र में 5,000 नये तालाबों का निर्माण 2,00,000 मत्स्य पालकों का दुर्घटना बीमा से निःशुल्क आच्छादन एवं 200 हे0 जलप्लावित भूमि का मत्स्य पालन हेतु उपयोग तथा 40 हे0 जलक्षेत्र में मत्स्य पालन विविधीकरण के लिये महाझींगा पालन एवं 10 मोबाइल फिश पार्लर की स्थापना तथा 173 करोड़ गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज का वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित है।

**पशुधन विभाग-**

प्रदेश में ''पशुपालन'' ग्रामीणों की आजीविका का प्रमुख आधार है। पशुधन विकास के क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों यथा-उन्नत प्रजनन, पशुरोग नियंत्रण, उन्नत पशुपोषण तथा आधुनिक पशुधन प्रबन्धन के माध्यम से पशुधन की उत्पादकता में वृद्धि की जा रही है, जिससे कि गरीब पशुपालकों, निर्बल वर्गों, भूमिहीन श्रमिकों की आजीविका तथा उनका आर्थिक उन्नयन सुनिश्चित होने के साथ ही साथ उनका कुपोषण दूर हो सके।

प्रदेश में कुक्कुट उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता तथा रोजगार सृजन के उद्देश्य से उ0 प्र0 कुक्कुट विकास नीति 2013 लागू की गयी है जिसके अन्तर्गत प्रदेश में अन्य प्रदेशों से प्रतिवर्ष आयात किये जा रहे 365 करोड़ अण्डे तथा 9.72 करोड़ एक दिवसीय चूजे के समतुल्य उत्पादन प्राप्त करने के लिये कुक्कुट पालन में उद्यमिता के विकास हेतु 30,000 पक्षी के लेयर फार्म एवं 10,000 पक्षी के ब्रायलर फार्म खोले जाने हेतु स्टाम्प ड्यूटी, मण्डी शुल्क में छूट के अतिरिक्त 10 प्रतिशत ब्याज दर की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि एवं उच्च उत्पादन क्षमता के गो-वंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं के प्रदेश में ही उत्पादन हेतु प्रदेश के प्रत्येक जिले में 350 दुधारू पशुओं की कामधेनु डेयरी इकाई एवं 2,500 दुधारू पशुओं की मिनी कामधेनु डेयरी इकाइयों की स्थापना की जा रही है जिनसे प्रतिदिन क्रमशः 4,000 लीटर एवं 33,000 लीटर अतिरिक्त दुग्ध उत्पादन किया जा रहा है।

प्रदेश में 5,043 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र हैं जिनके द्वारा उन्नत प्रजनन सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त दूरस्थ क्षेत्र में प्राकृतिक गर्भाधान हेतु उच्च गुणवत्ता के सांड़ों का अंशदान पर वितरण क्षेत्र में किये जाने के कार्यक्रम लिये गये हैं जिससे उन्नत प्रजनन आच्छादन का विस्तार होगा। वर्ष 2014-15 में माह नवम्बर, 2014 तक 40.97 लाख कृत्रिम गर्भाधान का कार्य किया गया है।

पशुओं के रोग नियंत्रण हेतु खुरपका-मुंहपका रोग, गला घोंटू एवं भेड़ बकरियों की घातक बीमारी नियंत्रण हेतु टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत माह नवम्बर, 2014 तक 769.269 लाख टीकाकरण किया गया है।

**दुग्धशाला विकास विभाग-**

कृषकों को उनके द्वारा उत्पादित दुग्ध का लाभकारी मूल्य दिलवाने एवं कृषि आधारित ढांचा सुदृढ़ करने में दुग्धशाला विकास विभाग का सराहनीय योगदान है। दुग्ध व्यवसाय एक मात्र ऐसा व्यवसाय है जो ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्बल, भूमिहीन मजदूर, बेरोजगारों हेतु अतिरिक्त आय का साधन है।

वर्ष 2014-15 में दिसम्बर, 2014 तक 11,081 दुग्ध समितियों के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 4.95 लाख किलोग्राम दूध का उपार्जन एवं 2.51 लाख लीटर नगरीय दुग्ध बिक्री की गयी।

''ग्रामीण क्षेत्र में दुग्ध विकास कार्यक्रम हेतु अवस्थापना सुविधा'' योजनान्तर्गत बल्क मिल्क कूलर एवं औटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट की स्थापना सम्बन्धी योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 में रु0 55 लाख की वित्तीय सहायता दी गयी, जिससे 55 आटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट स्थापित किये जा रहे हैं।

प्रदेश में दुग्ध के क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए विभाग द्वारा दुग्ध उपार्जन एवं विपणन को और अधिक सुदृढ़ तथा गतिशील बनाये जाने हेतु विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही हैं। गोकुल पुरस्कार योजनान्तर्गत प्रत्येक दुग्ध संघ में सर्वाधिक दूध देने वाले सदस्य को पुरस्कार रु0 22 हजार के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रदेश के 71 जनपदों में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले तीन सदस्यों को प्रथम पुरस्कार 1 लाख, द्वितीय पुरस्कार 75 हजार एवं तृतीय पुरस्कार 50 हजार का नकद पुरस्कार, शील्ड एवं प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जा रहा है।

विभिन्न जनपदों/दुग्ध संघों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित बल्क कूलर को मार्केटिंग हब में विकसित करने, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन योजनान्तर्गत जनपद मुरादाबाद, बिजनौर, फैजाबाद एवं गोरखपुर को आच्छादित करने, केन्द्र पुरोनिधानित योजना अन्तर्गत सघन डेरी विकास परियोजना को कन्नौज, बदायूं व अमरोहा में संचालित किये जाने, जनपद लखनऊ में किसानों के खाते में सीधे दुग्ध मूल्य

भुगतान करने हेतु पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आई0एफ0एम0एस0 की स्थापना, लखनऊ में 25 मीट्रिक टन प्रतिदिन के दही प्लाण्ट की स्थापना, कानपुर में 20 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता के पाउडर प्लाण्ट (स्वचालित) की स्थापना, अम्बेडकर नगर में 100 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता के पशु आहार निर्माणशाला की स्थापना तथा जनपद अलीगढ़ में बीज विधायन इकाई की स्थापना प्रस्तावित है।

**उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग**

प्रदेश में बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समेकित विकास हेतु एकीकृत बागवानी विकास मिशन, औषधीय पौध मिशन, सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रम, गुणवत्ता युक्त पान उत्पादन प्रोत्साहन, लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क की स्थापना, राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन आदि महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। **बागवानी विकास** हेतु आगामी वर्ष 2015-16 में उक्त योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न फलों यथा-आम, अमरूद, लीची, आंवला, टिशू कल्चर, केला, बेर, बेल, तथा नीबू वर्गीय फलों के नवीन उद्यानों का रोपण गुणवत्ता परक पौधों के उत्पादन हेतु पौधाशालाओं की स्थापना, सब्जी एवं आलू के प्रमाणित बीजों का उत्पादन, फूल एवं मसालों की खेती, औषधीय एवं सुगन्ध पौधों का क्षेत्र विस्तार, संरक्षित खेती के अन्तर्गत ग्रीन हाउस एवं शेडनेट हाउस की स्थापना करा कर उसमें सब्जी एवं फूलों का उत्पादन, पैक हाउसेस की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के साथ-साथ अनुपूरक उद्यम के रूप में मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन तथा ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा देकर अच्छी गुणवत्ता का उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि के साथ-साथ जल के अनुकूलतम उपयोग के कार्यक्रम प्रस्तावित है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत कृषकों को अनुदान की सुविधा उपलब्ध है। प्रदेश में आलू उत्पादन में वृद्धि तथा विपणन व निर्यात को प्रोत्साहन देने, गुणवत्तायुक्त आलू बीज का उत्पादन एवं तकनीकी हस्तान्तरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से **उ0 प्र0 आलू विकास नीति-2014** प्रख्यापित की गई है।

**पंचायती राज विभाग**

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2012 से संचालित 'निर्मल भारत अभियान' में कतिपय संशोधन करते हुए दिनांक 02 अक्टूबर, 2014 से 'स्वच्छ भारत मिशन' प्रारम्भ किया गया है। 'स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)' का उद्देश्य वर्ष 2019 तक प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र को खुले में शौच से मुक्त करना है। पंचायती राज विभाग द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है।

वर्ष 2014-15 में मिशन की नई गाइड लाइन के अनुसार दिसम्बर, 2014 तक 4,02,262 शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है। प्रदेश में पहली बार वर्ष 2014-15 में ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत अन्त्येष्टि स्थलों के विकास की योजना के अन्तर्गत रु0 100 करोड़ का आय-व्ययक प्रावधान था। इस वर्ष रु0 14.87 लाख प्रति अन्त्येष्टि स्थल की दर से 672 अन्त्येष्टि स्थलों का विकास किया जायेगा। प्रत्येक अन्त्येष्टि स्थल पर 02 शवदाह प्लेटफार्म, पेयजल हेतु हैण्ड पम्प, शौचालय एवं अन्त्येष्टि हेतु लकड़ी के टाल आदि का निर्माण कराया जायेगा।

**समग्र ग्राम विकास विभाग**

प्रदेश के अति पिछड़े ग्रामों में विकास की आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना लागू की गयी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के उन राजस्व ग्रामों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है जो विकास की आधारभूत सुविधाओं यथाः

सम्पर्क मार्ग, ग्रामीण विद्युतीकरण, पेयजल, स्वच्छ शौचालय से वंचित है। डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत प्रदेश में पांच वर्षों में लगभग 10,000 ग्राम चयनित किये जाने का लक्ष्य है, जिनमें 18 विभागों के 36 कार्यक्रम संचालित हैं। वर्ष 2012-13 में 1,598 ग्राम, वर्ष 2013-14 में 2,104 ग्राम तथा वर्ष 2014-15 में 2,098 ग्रामों का चयन किया गया है। अनुवर्ती दो वर्षों में 2,100-2,100 ग्राम चयनित किये जायेंगे।

वर्ष 2012-13 में चयनित 1,598 समग्र ग्रामों को योजनान्तर्गत संचालित समस्त लाभार्थीपरक कार्यक्रम से संतृप्त किया जा चुका है। अवस्थापना सम्बन्धी अवशेष 06 कार्यक्रमों में से 03 कार्यक्रमों में 90 प्रतिशत से अधिक पूर्ति कर ली गई है।

वर्ष 2013-14 में चयनित 2,104 समग्र ग्रामों को योजनान्तर्गत संचालित लाभार्थीपरक कार्यक्रमों में से 03 कार्यक्रमों को छोड़कर शेष कार्यक्रमों में शत-प्रतिशत पूर्ति कर ली गई है। इन 03 कार्यक्रमों में भी 90 प्रतिशत से अधिक की पूर्ति हो चुकी है। अवस्थापना सम्बन्धी कार्यक्रमों में से अवशेष 09 कार्यक्रमों में से 03 कार्यक्रमों में 90 प्रतिशत की पूर्ति के साथ अन्य में संतृप्तीकरण का कार्य प्रगति पर है।

वर्ष 2014-15 में चयनित ग्रामों में कार्य योजना के अनुसार प्राप्त लक्ष्यों के सापेक्ष संतृप्तीकरण का कार्य प्रगति पर है। उक्त ग्रामों का शत-प्रतिशत संतृप्तीकरण मार्च, 2015 तक किया जाना लक्षित है।

**ग्राम्य विकास विभाग**

प्रदेश के ग्रामीणों क्षेत्रों के चौमुखी विकास हेतु विभिन्न योजनायें यथा-लोहिया ग्रामीण आवास योजना, इन्दिरा आवास योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि (विधायक निधि), सामुदायिक विकास कार्यक्रम, बायोगैस कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

लोहिया ग्रामीण आवास योजना राज्य सरकार द्वारा शत-प्रतिशत अपने संसाधनों से क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराना है जिनकी सालाना आमदनी रु0 36,000/- से कम है तथा इन्दिरा आवास योजना की पात्रता से आच्छादित नहीं है। संशोधित इकाई लागत के अनुसार लाभार्थी को अनुदान के रूप में रु0 3.05 लाख दिया जायेगा जिसमें सोलर लाइट के लिये रु0 30,000/- की धनराशि सम्मिलित है वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्त तक 1,01,605 परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जाना लक्षित है।

आवासहीन चिन्हित परिवारों को आवास उपलब्ध कराये जाने हेतु संचालित इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्त तक 4.23 लाख परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जाना है। वर्ष 2015-16 में भी लगभग इतने ही परिवारों के लिये आवास निर्माण कराये जाने का लक्ष्य है।

प्रेरणा मिशन (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों की महिलाओं की सशक्त एवं स्थाई संस्थायें बनाकर लाभदायक स्व-रोजगार एवं कुशल मजदूरी वाले

रोजगार के अवसर प्राप्त करने में उन्हें समर्थ बनाना है जिससे गरीबी से निजात पाकर वे अपनी आजीविका तथा जीवन शैली में निरन्तर उल्लेखनीय सुधार कर सकें।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा रु0 249.69 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत हुई। अब तक राज्य स्तरीय एस0एम0एम0यू0 की स्थापना के साथ ही 22 इन्टेसिव जनपदों व उनके 01-01 विकास खण्डों में क्रमशः डी0एम0एम0यू0 तथा बी0एम0एम0यू0 की स्थापना सुनिश्चित की जा चुकी है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में इस प्रदेश में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 500 या उससे अधिक आबादी वर्ग की सभी पात्र बसावटों को पक्की सड़कों से जोड़े जाने का कार्य पूर्ण किया जाना लक्षित है। नक्सल समस्या से प्रभावित प्रदेश के तीन जनपदों सोनभद्र, चन्दौली व मिर्जापुर में यातायात की सुगमता व बेहतर सामरिक प्रबन्धन की दृष्टि से 250 या उससे अधिक आबादी वर्ग तक की बसावटों को पक्के मार्गों से जोड़े जाने का कार्य पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त पिछले वर्षों में निर्मित किये गये 5,000 कि0मी0 जर्जर मार्गों का उच्चीकरण भी वित्तीय वर्ष 2015-16 में किये जाने का लक्ष्य है।

मजदूरी रोजगार हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 में दिसम्बर, 14 तक 27.61 लाख परिवारों को 724.22 लाख मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष 2015-16 में योजनान्तर्गत लगभग 51 लाख परिवारों को 2,500 लाख मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध कराये जाने का अनुमान है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रत्येक विकास खण्ड में 100 हैण्डपम्प अर्थात् प्रदेश में कुल 82,100 हैण्डपम्पों के रि-बोरिंग का कार्य सम्पन्न किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में इस योजना में लगभग इतने ही हैण्डपम्पों की रि-बोरिंग का लक्ष्य प्रस्तावित है।

**नगर विकास विभाग**

जनसंख्या वृद्धि, क्षेत्रफल में विस्तार, ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन, नगरीय यातायात में दिन-प्रतिदिन हो रही वृद्धि आदि के कारण शहरों की अवस्थापना सुविधाओं पर अत्यधिक दबाव आ गया है। इसके कारण प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्ध सेवाओं यथा-जलापूर्ति, स्वच्छता, अपशिष्ट कूड़ा प्रबन्धन, जल निकासी, सड़क, परिवहन, पर्यावरण आदि के स्तर में निरन्तर सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही है। उत्तर प्रदेश में कुल 634 नगरीय स्थानीय निकाय हैं, जिसमें 14 नगर निगम, 194 नगर पालिका परिषद् एवं 426 नगर पंचायत हैं।

आगरा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का प्रसिद्ध शहर है, आगरा नगर की पेयजल समस्या के निराकरण हेतु गंगा कैनाल के पलरा-हेडवर्क्स (बुलन्दशहर) से गंगा जल को आगरा नगर तक लाये जाने हेतु **आगरा पेयजलापूर्ति परियोजना** का क्रियान्वयन किया जा रहा है। परियोजना के तहत 130 कि0मी0 लम्बी पाइप लाइन द्वारा 150 क्यूसेक (368 एम0एल0डी0) कच्चा जल लाये जाने का प्रस्ताव है।

प्रदेश में नदियों को प्रदूषण मुक्त किये जाने के उद्देश्य से क्रियान्वित **नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम** के अन्तर्गत प्रदेश की नदियों गंगा, यमुना तथा गोमती के तट पर स्थित नगरों में नदी प्रदूषण नियंत्रण के कार्य कराये जा रहे हैं।

प्रदेश की नदियों को प्रदूषण-मुक्त किये जाने के साथ ही साथ प्रमुख झीलों को भी प्रदूषण-मुक्त किये जाने हेतु **झील संरक्षण योजना** क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश की 4 झीलों/तालों यथा-रामगढ़ ताल (गोरखपुर नगर), मानसी गंगा ताल (गोवर्धन नगर जनपद मथुरा), लक्ष्मी ताल (झांसी नगर) तथा मदनसागर ताल (महोबा नगर) की योजनायें प्रस्तावित की गयी हैं।

नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु राज्य सेक्टर से आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत रु0 150 करोड़, नगरीय सीवरेज योजना हेतु रु0 50 करोड़, नगरीय पेयजल कार्यक्रम के लिये रु0 100 करोड़, नगरीय सड़क सुधार योजना के लिये रु0 100 करोड़ तथा नगरीय जल निकासी योजना के लिये रु0 100 करोड़ का लक्ष्य प्रस्तावित है। राज्य सेक्टर में ही वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्थित अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु एक अभिनव योजना प्रारम्भ की गई है। प्रदेश में पशुवधशालाओं के आधुनिकीकरण हेतु इलाहाबाद में संगम क्षेत्र में इलेवेटेड पहुंच मार्ग एवं फ्लाई ओवर निर्माण के लिये तथा मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय रामपुर एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों में जलोत्सारण की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष में अपेक्षित धनराशि का प्राविधान किया जाना प्रस्तावित है।

राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के परिप्रेक्ष्य में नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों में कूड़ा-करकट निस्तारण (नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन) की योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा तथा सीवेज निस्तारण हेतु सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाये जायेंगे। 12वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत 177 नगरीय निकायों में पी0पी0पी0 मोड पर नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की योजना क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में पी0पी0पी0 मोड पर नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन योजना के क्रियान्वयन हेतु नागर स्थानीय निकायों को उनके क्षेत्रान्तर्गत अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं तात्कालिक आवश्यकता के कार्यों हेतु उनकी मांग पर ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत करने हेतु नया सवेरा नगर विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0जी0/यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यान्श के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष निकायों की मांग पर अनुमन्य निकाय अंश के अतिरिक्त प्रदेश की नागर निकायों में निकाय/जन प्रतिनिधियों द्वारा तथा समय-समय पर जनप्रतिनिधियों की मांग पर नागर निकायों के जनहित कार्य हेतु आवश्यक धनराशि प्रस्तावित है।

**आवास एवं शहरी नियोजन विभाग**

राज्य शहरी आवास एवं पर्यावास नीति-2014 के अन्तर्गत नागरिकों की आवासीय आवश्यकता की पूर्ति के लिये आवास नीति के क्रियान्वयन हेतु अधिकांश शासनादेश निर्गत कर दिये गये हैं तथा उक्त हेतु विकास शुल्क नियमावली, नगरीय विकास प्रभार नियमावली तथा भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क नियमावली भी निर्गत कर दी गयी है। उक्त के अतिरिक्त नजूल भूमि को फ्री-होल्ड करने तथा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियंत्रणाधीन सभी प्रकार की पट्टागत भूमि को फ्री-होल्ड करने के लिये नई नीति बनायी जा चुकी है, जिससे एक तरफ अनिस्तारित सम्पत्तियों का निस्तारण होगा साथ ही राज्य के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

निम्न मध्यम एवं मध्यम आय वर्ग के परिवारों को आर्थिक क्षमतानुसार आवासीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से 'अफोर्डेबल हाउसिंग नीति' जारी की गयी है। इस नीति के अधीन 'समाजवादी आवास योजना' संचालित की जा रही है। समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत न्यूनतम 02 कमरे, रसोई घर, बाथरूम, शौचालय एवं बालकनी की सुविधायुक्त आवास उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका कारपेट एरिया लगभग 75 वर्गमीटर होगा तथा लागत रु0 15 से 30 लाख के अन्तर्गत होगी। इस योजना का क्रियान्वयन निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से कराया जायेगा, योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन में राज्य सरकार तथा विकास प्राधिकरणों/विकास परिषद् के नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा फैसिलिटेटर एवं रेगुलेटर की भूमिका निभायी जायेगी।

समाज के विभिन्न वर्गों को उनकी आर्थिक क्षमतानुसार आवास की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में 'सबके लिये आवास योजना' के अन्तर्गत समस्त श्रेणी के माह नवम्बर, 2014 तक 3578 भू-खण्डों का विकास/भवनों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है तथा 20868 भू-खण्डों/भवनों का निर्माण/विकास कार्य जारी है। हाईटेक टाउनशिप नीति के अन्तर्गत कुल रु0 5126 करोड़ का पूंजी निवेश किया जा चुका है तथा 31 इन्टीग्रेटेड टाउनशिप्स में भी कुल रु0 5248 करोड़ का पूंजी निवेश किया जा चुका है। हाईटेक और इन्टीग्रेटेड टाउनशिप में 372 ई0डब्ल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 का निर्माण किया जा चुका है तथा 14625 ई0डब्ल्यू0एस0 एवं एल0आई0जी0 आवास निर्माणाधीन हैं।

लखनऊ शहर में यातायात समस्या के समाधान हेतु डालीगंज-मोहिबुल्लापुर एवं पुरनिया चौराहा सीतापुर रोड पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण पूर्ण कर उसका लोकार्पण किया जा चुका है तथा लखनऊ सुल्तानपुर राजमार्ग (अर्जुनगंज) पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य प्रगति पर है जो शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जायेगा।

यातायात समस्या के स्थायी समाधान हेतु मेट्रो रेल परियोजना के अन्तर्गत एस0पी0वी0 के रूप में लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड का गठन कर प्रथम चरण के डी0पी0आर0 पर भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की जा चुकी है तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में राज्य सरकार की अंश पूंजी के रूप में रु0 70 करोड़ तथा विभिन्न करों के भुगतान हेतु रु0 40 करोड़ की धनराशि निर्गत की जा चुकी है। उक्त परियोजना के प्राथमिक सेक्शन पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

गाजियाबाद शहर में भी मेट्रो रेल विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत रु0 1838 करोड़ की लागत से कुल 11.11 कि0मी0 लम्बी मेट्रो रेल परियोजना (दिलशाद गार्डेन, नई दिल्ली से नया बस अड्डा गाजियाबाद तक 9.71 कि0मी0 लम्बी एवं शहदरा से यमुना विहार तक प्रस्तावित मेट्रो रेल के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में पड़ने वाली 1.40 कि0मी0) क्रियान्वित की जा रही है। उक्त के अतिरिक्त प्रदेश के 04 अन्य महानगरों कानपुर नगर, आगरा, मेरठ एवं वाराणसी में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु सर्वे एवं डी0पी0आर0 तैयार कराये जाने का भी निर्णय लिया गया है।

लखनऊ में 18.64 एकड़ क्षेत्रफल में रु0 615.44 करोड़ की लागत से जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार योजना में

376 एकड़ हरित पट्टी पर रु0 321.96 करोड़ की लागत से जनेश्वर मिश्र पार्क का विकास प्रगति पर है।

**व्यावसायिक शिक्षा विभाग**

प्रदेश की युवाशक्ति को तरक्की के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें प्रदेश के विकास में अहम भागीदार बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से ''कोशल विकास नीति'' तैयार की गयी है। इस हेतु कौशल विकास मिशन का गठन किया गया है। कौशल विकास नीति के अन्तर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजना के अवशेष समय में अधिक से अधिक युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार योग्य बनाये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

रोजगार अल्पकालीन व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को वृहत् स्तर पर संचालित करने हेतु राज्य सरकार के संसाधनों से प्रत्येक वर्ष 20 नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रदेश की असेवित तहसीलों/विकास खण्डों में स्थापित किये जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने विगत 02 वर्षों में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की प्रशिक्षण सीटों में अभूतपूर्व वृद्धि की है।

**उच्च शिक्षा विभाग**

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आर0यू0एस0ए0) वर्ष 2013-14 से लागू की गयी केन्द्र पुरोनिधानित योजना है जो बारहवीं एवं तेरहवीं पंचवर्षीय योजना में संचालित की जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में 12 विश्वविद्यालयों की अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने हेतु रु0 120 करोड़, बस्ती एवं देवीपाटन में नये प्रोफेशनल विद्यालयों के निर्माण हेतु रु0 26 करोड़, 66 महाविद्यालयों की अवस्थापना के विकास हेतु रु0 66 करोड़ तथा लखनऊ विश्वविद्यालय एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज हेतु रु0 04 करोड़ इस प्रकार कुल 216 करोड़ प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत किये गये हैं।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर में विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु कुल रु0 70 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है, इस विश्वविद्यालय को शैक्षिक वर्ष 2015-16 में संचालित किये जाने का लक्ष्य है।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत प्रदेश के न्यून सकल नामांकन दर वाले कुल-26 राजकीय माडल महाविद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है। इस हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक कुल रु0 142 करोड़ की धनराशि निर्गत की जा चुकी है। उक्त के अतिरिक्त अन्य 11 राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना भी की जा रही है।

**चिकित्सा शिक्षा विभाग**

राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थानों-संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, डा0 राम मनोहर इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा तथा पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट सैफई, इटावा तथा विभिन्न जनपदों में 10 राजकीय मेडिकल कालेज संचालित हैं, जिनमें 1495 एम0बी0बी0एस0 की सीटें, 731 स्नातकोत्तर सीटें तथा 116 उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम संचालित हैं।

प्रदेश के रोगियों को उच्चकोटि की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश के 05 जनपदों-बस्ती, बहराइच, फैजाबाद व शाहजहांपुर के जिला अस्पतालों को उच्चीकृत करते हुए मेडिकल कालेज स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

ग्रेटर नोएडा में चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना तथा सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त विश्वविद्यालय में ओ0पी0डी0 तथा अन्तःरोगी सेवाएं प्रारम्भ कर दी गयी हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस चिकित्सा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अन्य भवनों का निर्माण कराया जायेगा। नोएडा में निर्मित मल्टी सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल में बाल रोग सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा संस्थान की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है।

डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ तथा डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय को आपस में विलय कर एक संयुक्त चिकित्सा शिक्षा संस्थान की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रस्तावित संस्थान का उद्देश्य समस्त विभागों में स्नातकोत्तर शैक्षणिक कार्य प्रारम्भ करते हुए एम0बी0बी0एस0 की 150 सीट के पाठ्यक्रम को संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

लखनऊ जनपद में एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान स्थापित किये जाने तथा इसका निर्माण सिग्नेचर बिल्डिंग व्यवस्था के अन्तर्गत किये जाने का निर्णय लेकर उक्त परियोजना हेतु समुचित बजट प्राविधान किया गया है। निर्माण कार्य इसी वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ किये जाने का लक्ष्य है।

मेडिकल कालेज, गोरखपुर में मस्तिष्क ज्वर की महामारी की रोकथाम हेतु 500 शैय्या वाले बाल रोग चिकित्सा संस्थान की स्थापना की जा रही है, जिसका निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। मेडिकल कालेज, झांसी में 500 शैय्या के उच्चस्तरीय चिकित्सालय की स्थापना की जा रही है, जिसका निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है। राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में न्यूरोलोजी सेण्टर की स्थापना की जा रही है। जनपद जौनपुर तथा बदायूं में भी मेडिकल कालेज का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है। जनपद कन्नौज में हृदय रोग संस्थान तथा कैंसर संस्थान की स्थापना की जा रही है तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है। जनपद चन्दौली में भी मेडिकल कालेज की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है।

**श्रम विभाग**

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम-1996 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियमावली-2009 के प्रख्यापन के साथ ही 12 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के माह नवम्बर, 2014 तक सेस के मद में कुल रुपये 1542.59 करोड़ की धनराशि जमा हो चुकी है तथा 16,58,388 श्रमिकों और 61,308 अधिष्ठानों का पंजीकरण किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में माह नवम्बर, 2014 तक प्रदेश में 665 बाल श्रमिक चिन्हांकित किये गये जिनमें से 316 बाल श्रमिक खतरनाक व्यवसाय/प्रक्रियाओं में चिन्हित हुये। 122 नियोजकों के विरुद्ध अभियोजन दायर किये गये जबकि 87 नियोजकों के विरुद्ध वसूली प्रमाण जारी किये गये। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अन्तर्गत वर्तमान में 19 जिलों में कुल 840 विद्यालय संचालित हैं,

जिनमें लगभग 38,657 बच्चे शिक्षारत हैं। इन विद्यालयों से अब तक कुल 1,28,268 बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं।

सेवायोजन कार्यालयों के लिए www.sewayojan.org वेब-पोर्टल बनाया जा रहा है, जो बेरोजगारों के लिए पूर्णतः निःशुल्क है तथा नियोजकों को उच्च शिक्षाधारी बेरोजगारों के साथ ही साथ सभी प्रकार के बेरोजगारों को रोजगार तथा नियोजकों को उनकी आवश्यकतानुसार उपयुक्त अभ्यार्थियों के बारे में जानकारी उपलब्ध करायेगा।

**खाद्य तथा रसद/उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप विभाग**

खाद्य एवं रसद विभाग में वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में गेहूं एवं धान खरीद हेतु रु0 7059 करोड़ 14 लाख 45 हजार का प्राविधान किया गया, जिसके अन्तर्गत सरकार द्वारा मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत निर्धारित मूल्य पर सीधे किसानों से गेहूं खरीद की व्यवस्था पूरे प्रदेश में की गई है। खरीफ विपणन वर्ष 2014-15 हेतु सामान्य श्रेणी के धान का समर्थन मूल्य रु0 1360/- तथा ग्रेड ए श्रेणी के धान का मूल्य रु0 1400/- प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। प्रदेश में धान की खरीद हेतु कुल 2386 क्रय केन्द्र खोले गये हैं। मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत धान खरीद का कार्यकारी लक्ष्य 25 लाख मी0टन0 निर्धारित किया गया है। धान की खरीद राजकीय क्रय केन्द्रों पर सीधे किसानों तथा मण्डी समिति/मण्डी परिषद् से लाइसेन्स प्राप्त एवं वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत कमीशन एजेन्ट के माध्यम से की जा रही है।

किसानों को धान के मूल्य का भुगतान उनके बैंक खाते में आर0टी0जी0 एस0 के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था है तथा जिन किसानों के बैंक खाते सी0बी0एस0 ब्रान्च में नहीं हैं, उनके आवेदन-पत्र पर ''पेइंग एकाउन्ट ओनली'' चेक के माध्यम से भुगतान किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

भारत सरकार के मिशन मोड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एण्ड टू एण्ड कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रगति पर है। उचित दर की दुकानों का मास्टर डाटा पूर्ण किया जा चुका है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश की कुल 76586 दुकानों तथा 913 गोदामों का डाटा डिजिटलीकरण कर दिया गया है।

**लोक निर्माण विभाग**

प्रदेश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण अंचलों में सम्पर्क मार्गो का निर्माण तथा अधिक यातायात घनत्व वाले मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुधार की आवश्यकता के दृष्टिगत समुचित बजट प्राविधान किया गया।

वर्ष 2014-15 में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत माह नवम्बर, 2014 तक 3658 कि0मी0 ग्रामीण मार्गों का नव निर्माण, 915 कि0मी0 मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण, 8082 कि0मी0 लम्बाई में मार्गों के नवीनीकरण का कार्य, 35 नदी सेतुओं का निर्माण तथा 08 रेलवे उपरिगामी सेतुओं का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रदेश में 500 से अधिक आबादी की समस्त अवशेष अनजुड़ी बसावटें, जो प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के कोर नेटवर्क में सम्मिलित नहीं हैं, को पक्के सम्पर्क

मार्गों से जोड़े जाने हेतु कार्यों की स्वीकृति निर्गत करते हुए कार्य पूर्ण किये जाने प्रस्तावित हैं। वर्ष 2015-16 में 250 से अधिक आबादी की अनजुड़ी बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़े जाने हेतु कार्यों की स्वीकृति प्रदान की जानी प्रस्तावित है। डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित समग्र ग्रामों एवं उनकी 250 से अधिक आबादी की अनजुड़ी बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। प्रदेश को सुगम यातायात उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से समस्त जिला मुख्यालयों को 04 लेन मार्गों से जोड़ा जाना भी मेरी सरकार की प्राथमिकता है। इसके अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग हेतु लक्षित कुल 15 जनपद मुख्यालयों में से 10 जनपद मुख्यालयों को 04 लेन से जोड़े जाने हेतु रु0 840 करोड़ लागत के कार्य स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ कराये जा चुके हैं। वर्ष 2014-15 में 04 जनपद मुख्यालयों को जोड़ा जाना लक्षित है।

**ग्रामीण अभियंत्रण विभाग**

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की प्रदेश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की सामान्य योजना में वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं में माह दिसम्बर, 2014 तक 740 भवनों, 150 पुलियों एवं 3291 सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया एवं 1028 भवनों, 124 पुलियों तथा 2342 सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत 12 जनपदों के कुल 169 मार्गों जिनकी लम्बाई 292.50 किमी0 एवं लागत रु0 121 करोड़ है, जिसमें से 129 मार्गों पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष कार्य प्रगति के विभिन्न स्तर पर है।

नक्सल प्रभावित जिला सोनभद्र में 144.24 किमी0 लम्बाई के मार्ग (लागत रु0 54.54 करोड़) में से 15 मार्गों पर कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 14 मार्गों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

फेज-10 न्यू-कनेक्टिविटी के अन्तर्गत 5 जनपदों में कुल 81 सम्पर्क मार्गों, जिनकी लम्बाई 129.76 किमी0 एवं लागत रु0 58.75 करोड़ है, की स्वीकृति के सापेक्ष 39 मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। शेष 42 मार्गों का कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्त फेज-10 न्यू-कनेक्टिविटी के अन्तर्गत ही नक्सल प्रभावित जिला मिर्जापुर में 51 सम्पर्क मार्ग, जिनकी लम्बाई 72.44 किमी0 एवं लागत रु0 29.43 करोड़ है, की स्वीकृति के सापेक्ष 22 मार्गों का कार्य पूर्ण करा लिया गया है।

फेज-10 अपग्रेडेशन के अन्तर्गत 31 जनपदों में 530 सम्पर्क मार्गों, जिसकी लम्बाई 3082.07 कि0मी0 एवं लागत रु0 1186.63 करोड़ है, की स्वीकृति के सापेक्ष 229 मार्ग पूर्ण कराये जा चुके हैं, 267 मार्गों का निर्माण कार्य विभिन्न स्तर पर प्रगति पर है तथा 34 मार्गों के लिये निविदा की कार्यवाही प्रगति में है।

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में चयनित 2094 डा0 लोहिया ग्रामों में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन निर्माण कार्य प्रस्तावित है। निर्धारित मानक के अनुसार संतृप्त करने हेतु स्वीकृत कार्य योजना के अनुसार लागत रु0 502.17 करोड़ है, जिसके विरुद्ध अनुदान संख्या-83 स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (एस0सी0पी0) के अन्तर्गत रु0 144.18 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई। उपलब्ध धनराशि से 82 ग्रामों में सी0सी0 रोड 78.77 कि0मी0 एवं के0सी0 ड्रेन 150.56 किमी0 का निर्माण कराया जा चुका है।

**उद्योग विभाग**

अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के सभी महत्वपूर्ण शासनादेश जारी कर उसे पूरी तरह लागू किया गया है। भारी उद्योग के साथ-साथ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम को प्रोत्साहन, मेगा औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना हेतु विशेष सुविधायें एवं प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास हेतु विशेष सुविधायें एवं प्रोत्साहन का प्राविधान नीति में किया गया है। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के दायरे में मध्यम इकाइयों को भी आच्छादित किया गया है इसके साथ ही विस्तारीकरण करने वाली इकाइयों को भी इस योजना का लाभ अनुमन्य किया गया है।

औद्योगिक विकास से सम्बन्धित विभागों में और अधिक पारदर्शिता लाने हेतु प्रक्रियाओं का सरलीकरण करते हुए उनमें ई-गवर्नेन्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। उद्यम स्थापित करने की प्रक्रियाओं का सरलीकरण व सुविधायें, यथा-'निवेश मित्र योजना', 'उत्तर प्रदेश औद्योगिक शिकायत निराकरण प्रणाली' प्रारम्भ की गई है।

**उत्तर प्रदेश औद्योगिक शिकायत निराकरण प्रणाली,** ई-गवर्नेन्स के क्षेत्र में एक ऐसी पहल है जिसमें उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण में अनावश्यक मानव हस्तक्षेप कम होगा। इसका मुख्य उद्देश्य शिकायत निराकरण हेतु निवेशोन्मुखी आन लाईन प्लेटफार्म उपलब्ध कराना, राज्य सरकार एवं उद्यमियों के मध्य सेतु का कार्य करना, पारदर्शिता से सेवायें उपलब्ध कराना तथा उद्यम तथा उद्योगों की स्थापना तथा संचालन हेतु सुगम वातावरण तैयार करना है।

**आगरा से लखनऊ के मध्य 06** लेन प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एण्ड कान्स्ट्रक्शन (इपीसी) पद्धति से किया जा रहा है। सम्पूर्ण परियोजना को पांच पैकेजों में विभाजित कर इपीसी पद्धति पर विकसित करने हेतु निर्माणकर्ताओं का चयन किया जा चुका है एवं चयनित निर्माणकर्ताओं के साथ दिनांक 29-10-2014 को अनुबन्ध निष्पादित किया जा चुका है। परियोजना हेतु अथॉरिटी इंजीनियर के चयन की कार्यवाही की जा रही है।

**दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर (डीएमआईसी) की** परिकल्पना भारत सरकार द्वारा जापान सरकार के साथ समन्वय करके तैयार की गई है। ग्रेटर नोयडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण एवं डीएमआईसी ट्रस्ट के मध्य दिनांक 02-03-2014 को शेयर होल्डर एग्रीमेंट हस्ताक्षरित कर लिया गया है व एस0पी0वी0 का गठन पूर्ण कर अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

ट्रांस गंगा परियोजना यूपीएसआईडीसी की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो कानपुर-उन्नाव में 1213.90 एकड़ की भूमि पर विकसित की जायेगी। उक्त भूमि में ग्राम शंकरपुर सराय की 846.197 एकड़, मनभौना की 336.940 एकड़ व कन्हवापुर की 30.763 एकड़ भूमि सम्मिलित है। इस परियोजना के पूर्ण होने के पश्चात् औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय क्षेत्रों में यह विशेष प्रकार का औद्योगिक मॉडल टाउनशिप होगा, जिसमें प्रदर्शनी मार्ट, मल्टी स्टोरी फ्लैटेड, फैक्ट्री आदि प्रस्तावित हैं।

**एन0आर0आई0 विभाग**

प्रदेश में मूल अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं के निराकरण हेतु शासन द्वारा एन0आर0आई0 विभाग का गठन किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के अप्रवासियों को उनकी

मातृभूमि से भावनात्मक लगाव प्रोत्साहित करने के साथ-साथ यू0पी0एन0आर0आई0 कार्ड प्रदान कर उन्हें विशिष्ट पहचान देना है। अप्रवासियों की सुविधा के लिये एक काल सेन्टर स्थापित कर अपनी समस्यायें दर्ज करने तथा उनका निराकरण कराने के लिये अन्य शासकीय विभागों से समन्वय किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले अप्रवासी भारतीयों को व्यवसाय व अन्य क्षेत्र में असाधारण योगदान हेतु ''उ0प्र0 प्रवासी भारतीय सम्मान'' देने का निर्णय लिया गया है। अप्रवासी भारतीयों को एक नवीन वेबसाइट के माध्यम से प्रदेश के विकास हेतु उठाये जा रहे कदमों की जानकारी प्रदान की जा रही है तथा पूंजी निवेश के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है।

**सूक्ष्य, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग**

प्रदेश के समृद्ध हस्तशिल्प क्षेत्र के समग्र विकास हेतु प्रदेश सरकार द्वारा पहल करते हुए प्रथम बार **''उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति-2014''** जारी की गई है। जिसके तहत प्रदेश के हस्तशिल्पियों के जीवन स्तर व उनकी आर्थिक स्थिति में गुणात्मक सुधार लाये जाने का प्रयास किया गया है इससे एक ओर जहां हस्तशिल्पियों के जीवन स्तर में सुधार होगा वहीं दूसरी ओर प्रदेश के हस्तशिल्प को राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाते हुए उत्पादों की विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जायेगा तथा निर्यात में बढ़ोत्तरी की जायेगी।

प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास तथा रोजगार सृजन में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के योगदान व महत्व को देखते हुए **''उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्रय नीति-2014''** प्रख्यापित की गई है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक विभाग द्वारा कुल वार्षिक खरीदों के सापेक्ष न्यूनतम 20 प्रतिशत की क्रय व्यवस्था सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से किया जाना बाध्यकारी बनाया गया है। उक्त 20 प्रतिशत में से 04 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति तथा 05 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/विकलांग वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित सूक्ष्म और लघु उद्यमों से क्रय किया जायेगा।

निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरों द्वारा निर्यातकों को त्वरित एवं सुगम सहायता उपलब्ध कराने हेतु ब्यूरों द्वारा संचालित अनुदान सम्बन्धी समस्त योजनाओं तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यातकों के लिये विपणन सहायता योजना (एम0डी0ए0), गेट-वे पोर्ट तक माल भाड़े पर अनुदान योजना (फ्रेट सब्सिडी) एवं वायुयान भाड़ा युक्तिकरण योजना (एअर फ्रेट सब्सिडी) में आवेदन से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया को ऑन लाइन किया जा चुका है एवं उक्त योजनाओं में अनुदान की समस्त धनराशि का निर्यातकों को ऑन लाइन भुगतान किया जा रहा है। सरकार के इन प्रयासों के फलस्वरूप जहां वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्रदेश से कुल निर्यात रु0 59,546 करोड़ था वहीं वित्तीय वर्ष 2013-14 में बढ़ाकर 80,523 करोड़ हो गया है। इस प्रकार प्रदेश से निर्यात में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

भारत सरकार की क्लस्टर विकास योजनान्तर्गत औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु औद्योगिक आस्थान, नुनिहाई-आगरा हेतु रु0 588.21 लाख, औद्योगिक आस्थान, परतापुर-मेरठ हेतु रु0 579.25 लाख एवं औद्योगिक आस्थान, शिकोहाबाद-फिरोजाबाद हेतु रु0 236.95 लाख की स्वीकृति भारत सरकार से कराई गई है।

सरकार के निरन्तर उद्यमीपरक नीतियों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप वर्तमान वित्तीय वर्ष के माह दिसम्बर, 14 तक 35,262 सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यमों की स्थापना हुई है, जिसमें रु0 3,222.46 करोड़ का पूंजी निवेश प्राप्त हुआ है एवं 2,96,084 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

महिला उद्यमियों के सशक्तीकरण के लिये महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना प्रदेश के पूर्वांचल, मध्यांचल तथा बुन्देलखण्ड के समस्त 12 मण्डलों के 49 जनपदों में संचालित की जा रही है। वर्ष 2014-15 में महिला उद्यमी हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट के स्थान पर हाई स्कूल उत्तीर्ण की गई तथा योजना में उत्पादन करने वाली इकाइयों के साथ-साथ सेवा क्षेत्र की इकाइयां जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पोषित हैं, को भी उक्त योजना में सम्मिलित किये जाने की व्यवस्था की गई है।

प्रदेश में नव उद्यमियों को प्रेरित करने तथा उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करने के लिये दिनांक 22-01-2015 को पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन करते हुए 33 उद्यमियों, 32 निर्यातकों एवं 40 हस्तशिल्पियों को पुरस्कृत किया गया है।

**खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग**

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बेरोजगार व्यक्तियों को खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। ''मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना'' के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में प्रदेश में रुपये 18.58 करोड़ के पूंजी निवेश से 1,760 ग्रामोद्योगी इकाइयों की स्थापना कराते हुए 28,160 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस वर्ष मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 3,000 ग्रामोद्योगी इकाइयां स्थापित करवाते हुए 60,000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा।

बोर्ड द्वारा संचालित ''व्यवहारिक प्रशिक्षण योजना, कौशल सुधार योजना'' एवं अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में माह दिसम्बर, 2014 तक 4,000 उद्यमियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वर्ष 2015-16 में प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से 10,000 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है।

खादी वस्त्रों को जनमानस में अधिक आकर्षित एवं लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से ''खादी एवं खादी वस्त्रों का डिजाइन विकास'' की नई योजन प्रस्तावित है।

जनपद मऊ एवं पूर्वांचल क्षेत्र के समीपवर्ती जनपदों में स्थापित खादी एवं ग्रामोद्योगी इकाइयों को उत्पादों के प्रचार-प्रसार एवं विपणन की सहायता उपलब्ध कराने तथा बड़े खरीददारों, थोक व्यापारी, पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से विभाग के पास उपलब्ध 0.85 हेक्टेयर भूमि पर ''श्री गांधी खादी ग्रामोद्योग प्लाजा की स्थापना'' प्रस्तावित की जा रही है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों के उत्पादों की बिक्री की सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी।

ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से ''श्री राम मनोहर लोहिया ग्राम स्वरोजगार योजना'' संचालित किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत खादी तथा प्रशिक्षण प्रदान करते हुए न्यू माडल चर्खा यूनिट स्थापित कराई जायेगी जिससे खादी के उत्पादन में वृद्धि होगी।

**हथकरघा वस्त्रोद्योग विभाग**

प्रदेश में लगभग 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार) हथकरघा बुनकर एवं 80,000 (अस्सी हजार) हथकरघे हैं। वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य सरकार की रोजगार सृजन योजनान्तर्गत 9335 की पूर्ति कर ली गई है तथा वर्ष 2015-16 में एकीकृत कौशल विकास योजना के माध्यम से चयनित बुनकरों को हथकरघा क्षेत्र की विभिन्न विधाओं में रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है। बुनकरों के समग्र विकास हेतु केन्द्र पुरोनिधानित व्यापक हथकरघा विकास योजना के अन्तर्गत 15 क्लस्टर एवं 346 ग्रुप एप्रोच के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गये हैं, जिसमें लगभग 11,793 बुनकरों को लाभ दिये जाने का प्रस्ताव है। बुनकरों के उन्नयन हेतु आर्थिक पैकेज योजना से लाभान्वित हो चुकी 1,850 हथकरघा बुनकर समितियों का कम्प्यूटरीकरण वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में किया जा रहा है।

हथकरघा बुनकरों द्वारा निर्मित वस्त्रों के विक्रय एवं बुनकरों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिये मुबारकपुर, आजमगढ़ के लिये विपणन केन्द्र की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में रु0 500 लाख का प्रावधान के सापेक्ष रु0 490 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0एस0 को उपलब्ध करा दी गई है तथा कार्यदायी संस्था द्वारा अब तक 23 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। विकास आयुक्त, हथकरघा के स्तर से वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु 15 जिला स्तरीय, 13 स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो तथा 01 नेशनल हैण्डलूम एक्सपो को स्वीकृत किया गया है, जिन्हें निर्धारित तिथियों में आयोजित कराकर बुनकरों को लाभान्वित कराया जा रहा है।

हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित करने हेतु मा0 जनेश्वर मिश्र राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना चलाई जा रही है। इस योजना में चयनित बुनकरों को जिला स्तर/राज्य स्तर पर पुरस्कृत किये जाने की योजना संचालित की जा रही है। वर्ष 2014-15 में चयनित बुनकरों को 03 राज्य स्तरीय पुरस्कार व 40 परिक्षेत्रीय स्तर के पुरस्कार प्रदान किये गये हैं।

**ऊर्जा विभाग**

मेरी सरकार ने विद्युत क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार कार्य किये हैं। वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 240 मि0यू0 विद्युत आपूर्ति की जा रही है जो वर्ष 2012 की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत अधिक है। प्रदेश में विद्युत की आपूर्ति में वृद्धि करने के दृष्टिकोण से विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है जिसके अन्तर्गत अक्टूबर, 2016 से ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 16 घण्टे तथा शहरी क्षेत्रों में 20 से 24 घण्टे तक विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी। इसके लिये 2016 तक 11000 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन की व्यवस्था की गई है। प्रदेश को निजी क्षेत्र की बारा, ललितपुर एवं श्रीनगर विद्युत परियोजनाओं से लगभग 4000 मेगावाट तथा राज्य सेक्टर की अनपरा ''डी'' परियोजना से 1000 मेगावाट बिजली अक्टूबर, 2016 तक मिलने लगेगी। इसके अतिरिक्त 6000 मेगावाट बिजली केस-1 बिडिंग के माध्यम से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 से पूरे प्रदेश में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये राज्य सेक्टर एवं संयुक्त क्षेत्र में 8580 मेगावाट क्षमता की नई परियोजनायें स्थापित की जा रही हैं। इसमें हरदुआगंज विस्तार 660 मेगावाट, ओबरा ''सी'' 1320 मेगावाट, पनकी विस्तार

660 मेगावाट, करछना 1320 मेगावाट, घाटमपुर परियोजना 1980 मेगावाट, मेजा स्टेज-2 1320 मेगावाट एवं जवाहरपुर 1320 मेगावाट सम्मिलित है।

प्रदेश में अक्टूबर, 2016 से ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति में वृद्धि करने के लिये 765 के0वी0 क्षमता के 4,400 के0वी0 क्षमता के 17,220 के0वी0 क्षमता के 41 तथा 132 के0वी0 क्षमता के 114 नये उपकेन्द्रों का निर्माण वर्ष 2016-17 के अन्त तक पूर्ण कर लिया जायेगा। इस कार्य पर लगभग रु0 22000 करोड़ का व्यय किया जायेगा जिसे निजी क्षेत्र की सहभागिता, बैंकों के ऋण एवं राज्य सरकार की अंशपूंजी से वहन किया जायेगा।

प्रदेश में बेहतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये पारेषण नेटवर्क के विस्तार के अन्तर्गत गत 2 वर्षों में 63 नये उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य पूर्ण करके इन्हें ऊर्जीकृत किया जा चुका है। इससे पूर्व वर्ष 2007 में 2012 की अवधि में प्रतिवर्ष 17 उपकेन्द्रों का निर्माण किया गया था। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में लगभग 31 उपकेन्द्र प्रतिवर्ष ऊर्जीकृत किये गये हैं।

तहसील स्तर पर अधिक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये 201 नये 33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों का निर्माण कराया जा रहा है इसमें से 108 उपकेन्द्रों का निर्माण पूर्ण करके इन्हें ऊर्जीकृत कर लोकार्पित किया जा चुका है तथा इन पर नये विद्युत आपूर्ति 2 घण्टे बढ़ा दी गई है तथा शेष 93 उपकेन्द्रों का निर्माण मार्च, 2015 तक पूर्ण करके यहां भी विद्युत आपूर्ति बढ़ा दी जायेगी।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर 24 घण्टे निर्बाध विद्युत आपूर्ति करने का निर्णय लिया गया है। जिसके लिये आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

मेरी सरकार ने जब वर्ष 2012 में कार्यभार ग्रहण किया था उस समय वितरण कम्पनियों के संचित घाटे लगभग रु0 32,000 करोड़ के थे। इस घाटे के कारण वितरण कम्पनियां पर्याप्त विद्युत आपूर्ति नहीं कर पा रही थीं तथा नेटवर्क का विस्तार भी नगण्य था। राज्य सरकार ने वित्तीय पुनर्गठन योजना स्वीकृत करके विद्युत वितरण कम्पनियों को आर्थिक संकट से निकालने के लिये लगभग रु0 16,000 करोड़ के दायित्व ग्रहण किये हैं तथा राज्य सरकार के ऋणों एवं ब्याज को भी अंशपूंजी में परिवर्तित कर दिया है।

सरकार ने वर्ष 2014-15 में ऊर्जा विभाग के बजट में रिकार्ड वृद्धि की है। वर्ष 2011-12 में ऊर्जा विभाग का कुल बजट रु0 8,933 करोड़ था जिसे वर्ष 2014-15 में बढ़ाकर रु0 33717 करोड़ कर दिया गया है। प्रदेश के इतिहास में ऊर्जा विभाग के लिये इतनी बड़ी धनराशि का प्राविधान कभी नहीं किया गया है। ऊर्जा विभाग के बजट में यह वृद्धि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार के संकल्प के अन्तर्गत की गई है।

कृषकों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार द्वारा निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण के लिये रु0 68,000/- प्रति नलकूप की दर से अनुदान स्वीकृत किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि दिनांक 31 मार्च, 2015 तक जितने भी प्रार्थना-पत्र प्राप्त होंगे उन सभी निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण तत्काल कर दिया जायेगा। सरकार ने इसके लिये अतिरिक्त अनुदान की धनराशि भी स्वीकृत की है।

उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा वर्तमान में प्रदेश में स्थित कुल 526.70 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता के सापेक्ष 4 वृहद् व 7 लघु जल विद्युत गृहों का परिचालन एवं रख-रखाव किया जा रहा है। यद्यपि उत्तराखण्ड राज्य के गठन के उपरान्त प्रदेश में नई जल विद्युत परियोजनाओं की सम्भावनायें अत्यधिक कम रह गई हैं, फिर भी इस निगम द्वारा प्रदेश में नई जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना एवं निर्माण हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं, जिसके अन्तर्गत निगम द्वारा चिन्हित नई जल विद्युत परियोजनाओं को शासन की नवीनतम नीति के अनुपालन में नजी क्षेत्र में स्थापति किये जाने की कार्यवाही की जा रही है, जिसके अन्तर्गत 04 परियोजनाओं का आवंटन निजी क्षेत्र में किया गया है तथा विकासकर्ता एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के मध्य पी0पी0ए0 किया जा चुका है। निगम द्वारा स्वयं भी 1.5 मेगावाट क्षमता की खारा नई लघु जल विद्युत परियोजना का निर्माण की कार्यवाही प्रगति पर है। परियोजना माह जून, 2015 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

**समाज कल्याण विभाग**

असहाय, शोषित एवं सुविधा विहीन विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनायें चलाई जा रहीं हैं, जिनमें मुख्यतः शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान तथा रोजगारपरक योजनायें सम्मिलित हैं।

छात्रवृत्ति वितरण में पारदर्शिता एवं समयबद्धता लाने हेतु छात्रवृत्ति योजना का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण किया गया है। वर्ष 2014-15 से कक्षा 9 व 10 एवं दशमोत्तर कक्षाओं की छात्रवृत्ति की धनराशि पी0एफ0एम0एस0 साफ्टवेयर के माध्यम से ई-ट्रान्सफर के तहत छात्रों के बैंक खातों में निदेशालय स्तर से सीधे अन्तरित की जा रही है। पूर्वदशम कक्षा 9 व 10 के पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान उनके बैंक खातों के माध्यम से किया जाता है। अनुसूचित जाति/जनजाति के कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत रु0 2 लाख वार्षिक आय की सीमा तक के माता-पिता/अभिभावकों के आश्रितों को छात्रवृत्ति दी जाती है। अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं के ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति देय है, जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रु0 2 लाख तक है। वर्ष 2014-15 में योजनान्तर्गत ऑन-नाइन आवेदन-पत्र भरवाने की अनिवार्य प्रक्रिया संचालित है। दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत सामान्य वर्ग के ऐसे छात्र/छात्रा प्रात्रता की श्रेणी में आते हैं, जिनके माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा रु0 2 लाख तक है।

अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति के बालक, बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने तथा साक्षरता दर में वृद्धि करने हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा कक्षा 1 से 12 तक 480 प्रवेश क्षमता के आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। इन विद्यालयों में प्रवेशित बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, आवास, वस्त्र, भोजन, पाठ्य पुस्तकें आदि की सुविधायें प्रदान की जाती हैं। वर्तमान में 77 विद्यालय संचालित हैं।

अनुसूचित जनजातियों के बालक/बालिकाओं के शैक्षिक विकास एवं उत्थान के लिये निःशुल्क भोजन, आवास, वस्त्र व पुस्तकें आदि उपलब्ध कराते हुए बेहतर ढंग से शिक्षा दिये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में 09 अनुसूचित जनजाति राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं। जनपद लखीमपुर-खीरी में अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार की शत-प्रतिशत सहायता से ग्राम सोनहा में कक्षा-6 से 12 तक एकलब्य मॉडल

आवासीय विद्यालय संचालित किया जा रहा है। अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु जनपद लखीमपुर-खीरी, बलरामपुर, बिजनौर एवं बहराइच/श्रावस्ती तथा महराजगंज में जनजाति विकास परियोजनायें संचालित हैं।

वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजनान्तर्गत 60 वर्ष से 79 वर्ष आयु वर्ग के समस्त पात्र वृद्धजनों को जिनका नाम बी0पी0एल0 सूची 2002 में सम्मिलित है, को वृद्धावस्था पेंशन से आच्छादित किये जाने का लक्ष्य है। इस योजना में 60 वर्ष से 79 वर्ष तक के पेंशनरों को राज्य सरकार अपने संसाधन से रु0 100/- मासिक पेंशन राज्यांश के रूप में तथा भारत सरकार द्वारा प्रतिमाह रु0 200/- प्रति लाभार्थी की दर से केन्द्रांश के रूप में दिया जाता है। 80 वर्ष से अधिक आयु के पात्र वृद्धजनों को रु0 500/- प्रति लाभार्थी प्रति माह की दर से भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में पेंशन दी जाती है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे निवासरत् परिवार के मुख्य जीविकोपार्जन की मृत्यु होने पर रु0 30,000/- आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है।

समाज के सभी वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सही प्रतिनिधित्व देते हुए प्रदेश के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के ऐसे परिवार, जिनके पास आय के उपयुक्त साधन उपलब्ध नहीं हैं, के जीवन यापन, आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने के उद्देश्य से मेरी सरकार द्वारा ''समाजवादी पेंशन योजना'' वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ की गयी है। योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किये जा रहे प्रत्येक परिवार के मुखिया को नियमित रूप से निर्धारित मासिक आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत चयनित लाभार्थी को रु0 500/- प्रति माह की दर से दो किश्तों में पेंशन की धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है।

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम के अनुपालन में उत्तर प्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण कल्याण नियमावली-2014 प्रख्यापित कर दी गयी है। प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में वृद्धाश्रम स्थापित किये जाने हैं। बजट को दृष्टिगत रखते हुए चरणबद्ध ढंग से तीन वर्षों में समस्त जनपदों में वृद्ध गृह स्थापित किये जाने हैं।

निगम द्वारा संचालित स्वरोजगार की योजनाओं के अन्तर्गत बी0पी0एल0 श्रेणी के लोगों को स्वरोजगार के लिये कृषि एवं अकृषि क्षेत्र की परियोजनाओं में बैंकों के सहयोग से रु0 7 लाख लागत तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, व्यवसायिक क्षेत्र में स्वयं की भूमि पर रु0 78000/- की धनराशि उपलब्ध कराकर स्वरोजगार हेतु दुकान निर्मित करायी जाती है, धोबी समाज के व्यक्तियों हेतु लाण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग परियोजना हेतु रु0 2.16 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, अनुसूचित जाति के, सड़क पर जूता मरम्मत करने वाले कारीगरों हेतु रु0 2.28 लाख लागत की पक्की दुकान उपलब्ध करायी जाती है तथा व्यक्तियों को अनुसूचित जाति के बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु रु0 15 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।

**अल्पसंख्यक कल्याण**

अल्पसंख्यक समुदाय में अशिक्षा तथा बेरोजगारी समसप्त करने व उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा तथा उनकी परम्परागत शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक उन्नयन हेतु राज्य सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं।

विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों में 20 प्रतिशत लक्ष्य अल्पसंख्यकों हेतु मात्राकृत करते हुए उन्हें लाभान्वित किये जाने की योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए विभिन्न विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों में 20 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों के लिए मात्राकृत किए जाने की योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय को उनका न्यायोचित हिस्सा दिलाने के लिए कटिबद्ध है। वर्तमान में 29 विभागों के 68 संचालित योजनाओं में अल्पसंख्यकों हेतु मात्राकरण किया जा रहा है।

मेरी सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के अंत्येष्टि स्थलों एवं कब्रिस्तानों की सुरक्षा हेतु एवं वक्फ सम्पत्तियों पर होने वाले अवैध कब्जे को रोकने के उद्देश्य से योजना आरम्भ की गयी है।

प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के रूप में इण्टरमीडिएट स्तर की स्त्री शिक्षा उपलब्ध कराये जाने तथा उन्हें रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में शैक्षणिक हब की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में ऐसे शिक्षण केन्द्र बनाए जायेंगे जहां कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा के साथ-साथ कौशल सुधार से सम्बन्धित शिक्षा, कोचिंग एवं रोजगार के अवसर मुहैय्या कराने से सम्बन्धित विभिन्न कार्यकलाप भी संचालित हों। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में स्थापित होने वाले हब में छात्र/छात्राओं के लिए दो शासकीय मॉडल कालेज अलग-अलग बनाये जायेगें और अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की जायेंगी। माडल इण्टर कालेज की स्थापना उन जनपदों में की जायेगी जहां अल्पसंख्यकों की आबादी अधिकतम है। प्रथम चरण में 20 इण्टर कालेजों को चिन्हित किया गया है। शासकीय इण्टर कालेज में से एक-एक माडल इण्टर कालेज छात्रावास सहित पश्चिमांचल, मध्यान्चल एवं पूर्वान्चल क्षेत्रों के अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में किया जायेगा।

प्रदेश के अरबी-फारसी मदरसों के अध्यापक/अध्यापिकाओं में अध्यापन कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करने तथा शिक्षण के स्तर में सुधार हेतु मदरसों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार से पुरस्कृत किए जाने की योजना लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत चयनित अध्यापक को रु0 10,000/- पदक तथा शाल प्रदान किये जाने के साथ-साथ तैनाती स्थल से पुरस्कार स्थल तक आने-जाने हेतु यात्रा व्यय राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में 4,000 कि0मी0 तक की निःशुल्क यात्रा, अगली वेतनवृद्धि के समतुल्य धनराशि वैयक्तिक वेतन के रूप में स्वीकृत की जायेगी।

अभी तक राज्य सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पेंशनादि हेतु राज्य सरकार द्वारा विभाग के आय-व्ययक में आवश्यक प्राविधान कराकर सेवानिवृत्त शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को देय पेंशनादि का भुगतान किया जाता था। अब राज्य सहायता प्राप्त अरबी-फारसी मदरसों के सेवानिवृत्त शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की पेंशनादि का वितरण 01 जनवरी, 2015 से राजकीय कोषागार के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

**पिछड़ा वर्ग कल्याण**

प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्ग को उनके सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि0 तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग स्वतंत्र रूप से क्रियाशील है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 से पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना में कक्षा 9 एवम् 10 के छात्र/छात्राओं तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवम् शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवम् शुल्क प्रतिपूर्ति वितरण सुनिश्चित करने तथा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के वितरण में पारदर्शिता लाने हेतु पात्र छात्र/छात्राओं से आन लाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित करके उनको कोषागार के ई-पेमेन्ट प्रक्रिया के तहत एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से धनराशि उनके बैंक खाते में सीधे अन्तरित करने की व्यवस्था की गयी है।

**विकलांग जन विकास विभाग**

विकलांग जन विकास विभाग द्वारा दृष्टिबाधित, शारीरिक रूप से अक्षम तथा मूकबधिर एवं मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिये विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकलांग जन को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

विकलांगजन हेतु संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं का कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण अनुदान योजना में रु0 4 करोड़ की प्रस्तावित धनराशि से लगभग 9000 विकलांगजन को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। विकलांग पेंशन योजना के अन्तर्गत लगभग 910661 पात्र विकलांगजन को पेंशन दिये जाने का लक्ष्य है। दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना के माध्यम से विकलांग जन के विकास व समुचित पुनर्वास व उत्थान के कार्य निरन्तर किये जा रहे हैं।

डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के अवशेष निर्माण कार्यो हेतु समुचित धनराशि की व्यवस्था की गयी है इसी प्रकार बाधारहित वातावरण सृजित कर विकलांग जन को आसान पहुंच हेतु सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से निःशक्तजन अधिनियम के क्रियान्वयन की योजना (सिपडा) के अन्तर्गत पर्याप्त धनराशि प्रस्तावित है।

**खेल विभाग**

वर्तमान समय में प्रदेश के अधिकांश जिलों मे क्रीड़ा प्रतिष्ठानों का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। नये सृजित जनपदों में क्रीड़ा प्रतिष्ठानों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस समय प्रदेश में 65 स्टेडियम, 65 बहुउद्देशीय क्रीड़ा हाल, 35 तरणताल, 03 स्पोर्ट्स कालेज, 03 क्रीड़ा संकुल, सैफई (इटावा), म्योहाल (इलाहाबाद), अमेठी (सुल्तानपुर), 05 सिन्थेटिक हाकी एस्ट्रोटर्फ, 01 सिन्थेटिक रनिंग ट्रैक, 10 सिन्थेटिक टैनिस कोर्ट तथा एक फिजियोथेरेपी केन्द्र, 01 जूडो हाल, 03 जिरनेजियम हाल, 09 वेटलिफ्टिंग हाल, 16 छावावास भवन, 08 डारमेट्री, 02 इण्डोर वालीबाल हाल, 13 सिन्थेटिक बास्केटबाल कोर्ट निर्मित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त 07 स्टेटियम, 03 बहुउद्देशीय क्रीड़ा हाल तथा 03 तरणताल एवं 02 एस्ट्रोटर्फ हाकी मैदान, 02 वेटलिफ्टिंग हाल, 01 जूडो हाल, 03 स्पोर्ट्स कालेज, 01 अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का तरणताल तथा 02 डारमेट्री निर्माणाधीन हैं।

अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेट प्लान के अन्तर्गत जनपद सोनभद्र में विशिष्ट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है।

प्रदेश में युवा खिलाड़ियों की विशेष खेल प्रशिक्षण के लिए लखनऊ, गोरखपुर एवं सैफई (इटावा) में 03 स्पोर्ट्स कालेज स्थापित हैं जहां पर विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण के साथ-साथ लखनऊ तथा गोरखपुर में इण्टरमीडिएट तक तथा सैफई (इटावा) में हाई स्कूल तक निःशुल्क शिक्षा प्रशिक्षार्थियों

को दी जाती है, जिन्हें विभाग द्वारा प्रशिक्षण के साथ-साथ निःशुल्क आवास, भोजन, शिक्षा एवं अन्य समस्त सुविधायें उपलब्ध करायी जाती हैं।

प्रदेश सरकार द्वारा 18 जनपदों में 16 खेलों में कुल 36 आवासीय छात्रावास स्थापित हैं जिनमें 110 बालिकायें एवं 630 बालकों कुल 740 बालक/बालिकाओं हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था है। इन प्रशिक्षार्थियों को खेल के साथ-साथ स्थानीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाकर शिक्षा की सुविधा भी प्रदान की जाती है। प्रशिक्षार्थियों पर रुपया 56450/- प्रतिवर्ष प्रति प्रशिक्षार्थी की दर से खेल सामग्री, किट, शिक्षा, चिकित्सा, आहार, फर्नीचर व प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले व्ययों को वहन करने हेतु व्यय किया जाना है।

**बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग**

समेकित बाल विकास सेवा (आई0सी0डी0एस0) योजना 06 माह से 06 वर्ष आयु के बच्चों के समन्वित विकास के लिये संचालित है। प्रदेश के सभी जनपदों में कुल 897 परियोजनाओं के अन्तर्गत 1,87,997 आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से यह योजना संचालित है।

किशोरी बालिकाओं के सशक्तीकरण हेतु 22 जनपदों में राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण योजना (सबला) संचालित है। योजना का मुख्य उद्देश्य है किशोरी बालिकाओं को स्व विकास के लिए समर्थ बनाना तथा उनका सशक्तिकरण करना।

विभाग में जन समस्याओं के निस्तारण हेतु ''समाधान'' नाम से हेल्पलाईन/टोल फ्री नम्बर 1800-180-5599 है। प्राप्त शिकायत एस0एम0एस0/मेल द्वारा सम्बन्धित अधिकारी को प्रेषित की जाती है और शिकायत की जांच होने के पश्चात् उसके निस्तारण से भी शिकायतकर्ता को अवगत कराया जाता है।

विभाग की योजनाओं के सुचारु संचालन हेतु स्वयं के आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण प्राथमिकता पर कराये जाने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में 3000 केन्द्रों तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 में 10000 आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों का निर्माण का लक्ष्य निर्धारण किया गया है।

**गृह (पुलिस) विभाग**

साम्प्रदायिकता का नासूर प्रदेश के अमन चैन का सबसे बड़ा शत्रु है। अपनी संस्कृति, पूजा पद्धति, परम्परा एवं भाषा की रक्षा की पूर्ण गारण्टी लोगों को मिलनी चाहिए। साम्प्रदायिक शक्तियों द्वारा प्रदेश में साम्प्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं जिन्हें सफल नहीं होने दिया जायेगा। वर्तमान सरकार ने पूरी शक्ति लगाकर साम्प्रदायिकता को समाप्त करने का काम किया है तथा अल्पसंख्यक समूहों को सुरक्षा एवं आर्थिक विकास की पूरी गारण्टी दी है।

प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति नियन्त्रण में रही है। विभिन्न अवसरों पर व्यापक सुरक्षात्मक उपाय किये गये। महत्वपूर्ण त्योहार, मेले, अतिविशिष्ट महानुभावों की यात्रायें, राजनैतिक रैलियां, प्रदर्शन आदि शांतिपूर्ण सम्पन्न हुये। उक्त के साथ ही लोकसभा चुनाव एवं विधान सभा उप निर्वाचन भी पुलिस की सतर्कता एवं सजगता के कारण निर्विघ्न सम्पन्न हुये। सहारनपुर में घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना को छोड़कर प्रदेश में अन्य कोई ऐसी घटना नहीं हुयी। कुछ छोटी साम्प्रदायिक तनाव की घटनायें प्रकाश में आयीं जिन्हें पुलिस की तत्परता एवं सजगता के कारण नियन्त्रित किया गया।

गतवर्ष में नक्सली गतिविधियों में पुलिस की सतर्कता व सजगता के फलस्वरूप कोई घटना घटित नहीं हुयी है। उ0प्र0 नेपाल सीमा पर सुरक्षा बलों की सतर्कता के कारण उ0प्र0 नेपाल सीमा से भारतीय जाली मुद्रा की तस्करी की घटनाओं में कमी आयी है तथा कोई माओवादी गतिविधि प्रकाश में नहीं आयी है।

प्रदेश में चिन्हित 186 धार्मिक स्थलों जिसमें विवादित धार्मिक स्थल अयोध्या, वाराणसी, मथुरा व ऐतिहासिक स्थल ताजमहल सहित अभिसूचना विभाग उ0प्र0 द्वारा चिन्हित 43 धार्मिक स्थल एवं 44 महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा योजनायें सम्बन्धित जनपदों द्वारा तैयार कर सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। ए0टी0एस0 द्वारा एस0ओ0पी0 का पूर्वाभ्यास एवं विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत इन स्थानों की चेकिंग, फ्रिस्किंग की कार्यवाही एवं कमाण्डों टीम द्वारा रेकी भी कराई जाती है।

आम जनता को किसी भी आपात स्थिति अथवा संकट काल में तत्काल प्रभावी पुलिस सहायता उपलब्ध कराने तथा अपराध नियंत्रण के लिए हाईटेक कन्ट्रोल रूम की स्थापना की दिशा में पहल की गई है। कानपुर नगर/लखनऊ/गाजियाबाद में अत्याधुनिक कन्ट्रोल रूम की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें सी0सी0टी0वी0 कैमरा, जीपीएस, जीआईएस, सीएडी व व्हेकिल ट्रैकिंग सिस्टम तथा अन्य आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित उपकरणों की व्यवस्था की गयी है। प्रदेश के कतिपय अन्य जनपदों में भी अत्याधुनिक कन्ट्रोल रूम खोले जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रदेश के बड़े-बड़े महानगरों में प्रमुख चौराहों पर यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन हेतु सीसीटीवी लगाये जाने की योजना है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रथम चरण में लखनऊ महानगर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु शहर के चिन्हित **70 प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाये** जायेंगे। प्रदेश के अन्य बड़े शहरों में इसी प्रकार की व्यवस्था चरणबद्ध रूप से किये जाने का लक्ष्य है ताकि यातायात व्यवस्था को और सुगम व सुदृढ़ किया जा सके।

**क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (सी0सी0टी0एन0एस0)** योजना के तहत प्रदेश के सभी थानों, पुलिस कन्ट्रोल रूम तथा पुलिस अधिकारियों के विभिन्न कार्यालय यथा क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, परिक्षेत्रीय कार्यालय, डीजीपी कार्यालय आदि से नेटवर्किंग के माध्यम से आपस में जोड़ने की योजना है। इसके अन्तर्गत विभिन्न विवेचना इकाइयों यथा सीबीसीआईडी, ईओडब्ल्यू को भी कम्प्यूटराज्ड कर नेटवर्किंग के माध्यम से जोड़ा जायेगा। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया के पूर्ण होने पर डाटा संकलन, विश्लेषण एवं डाटा ट्रांसफर व विभिन्न डाटा आदान-प्रदान कर सूचनायें भेजने में सुगमता होगी। इस योजना को प्रदेश के सभी जिलों में चरणबद्ध रूप से पूर्ण करने की योजना बनायी गयी है। **प्रथम चरण में लखनऊ, मुरादाबाद व गाजीपुर को पायलेट प्रोजेक्ट** के रूप में रखा गया है।

छात्राओं, कामकाजी लड़कियों और महिलाओं को आये दिन आने वाले अश्लील एसएमएस, एमएमएस और फेक काल्स से हो रहे एक नये तरह से मानसिक उत्पीड़न से राहत दिलाने हेतु प्रदेश में पहली बार **''वूमेन पावर लाइन 1090''** की ऐतिहासिक शुरुआत की गयी। ''राज्य सुरक्षा आयोग'' का पुनर्गठन किया गया है। राज्य में दक्ष, प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिस बल विकसित करने के मार्गदर्शक सिद्धान्त तय करने की जिम्मेदारी इसको सौंपी गई है। इसके अलावा पुलिस बल के

निरोधात्मक कार्यों, सेवामुक्त कार्यों के प्रदर्शन हेतु सुझाव देना तथा प्रदेश में पुलिस बल के प्रदर्शन की नीतिगत समीक्षा करने का दायित्व भी राज्य सुरक्षा आयोग को सौंपा गया है।

प्रदेश में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं इन अपराधों के अनावरण हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में साइबर क्राइम यूनिट का गठन किया गया है। आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत जनपद लखनऊ में स्थापित डीएनए लैब का उच्चीकरण किया गया। राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, लखनऊ द्वारा वर्ष 2012 से ''क्राइम इन यू0पी0'' का डाटा पुलिस की वेबसाइट पर आन लाइन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की नवीन वेबसाइट www.uppolice.gov.in लांच की गई है, जिससे पुलिस एवं जनता को सूचना आदान-प्रदान करने में सहायता मिलेगी।

प्रदेश के सभी जनपदों में **क्राइम ब्रान्च** का गठन किया गया है, क्योंकि जिलों मे ऐसी टीम की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जो फील्ड में खतरनाक आपरेशन्स को अंजाम देने में सक्षम हो और विकट परिस्थितियों में अपराधियों का मुकाबला विशेषज्ञतापूर्ण तरीके से कर सके। इन्हीं आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक जनपद में **क्राइम ब्रान्च के अन्तर्गत स्वॉट टीम गठित** किये जाने के निर्देश दिये गये। यह टीम अपहृतों की मुक्ति, सक्रिय शूटरों को निष्क्रिय करने, दुर्दान्त अपराधियों को पकड़ने, आतंकवादी घटनाओं से निपटने आदि कार्यों को अंजाम देगी।

**कारागार प्रशासन विभाग**

कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग का मुख्य उद्देश्य बन्दियों की समुचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करते हुये उनका व्यक्तित्व परिमार्जन तथा सामाजिक पुनर्वास करना है, ताकि वे कारागार से रिहा होकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ कर अपना जीवन-यापन कर सकें। वर्तमान में प्रदेश में कुल 67 कारागारें संचालित हैं, जिनमें 05 केन्द्रीय कारागार, 56 जिला कारागार, 03 उप कारागार, 01 आदर्श कारागार, 01 नारी बन्दी निकेतन तथा 01 किशोर सदन सम्मिलित हैं। दिनांक 30-11-2014 की स्थिति के अनुसार प्रदेश की कारागारों की कुल बन्दी क्षमता 52780 है जिसके सापेक्ष कुल 89537 बन्दी निरुद्ध हो रहे हैं, इसमें 25793 सिद्धदोष तथा 63744 विचाराधीन बन्दी हैं। नवनिर्मित जिला कारागार गौतमबुद्ध नगर को क्रियाशील किये जाने से 3750 बन्दी क्षमता सृजित हुई है। वर्तमान में प्रदेश में 10 कारागारों क्रमशः जिला कारागार कासगंज, चित्रकूट, अम्बेडकरनगर, श्रावस्ती, बागपत, बरेली, आजमगढ़, इटावा एवं रामपुर निर्माणाधीन है तथा जिला कारागार सोनभद्र का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इन कारागारों के निर्माण से कुल 8158 बन्दी क्षमता का सृजन होगा जो कारागारों में ओवर क्राउडिंग की समस्या के निदान में सहायक होगी।

कारागारों में निरुद्ध बन्दियों को शुद्ध एवं शीतल पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश की सभी कारागारों में कुल 216 नग वाटर कूलर स्थापित किये गये हैं। कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु सभी कारागारों के लिये 808 हैण्डहेल्ड तथा 63 स्टेटिक वायरलेस सेटों की व्यवस्था पुलिस रेडियो मुख्यालय के माध्यम से कराई जा रही है तथा कारागारों की सुरक्षा एवं तलासी व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु प्रदेश की 10 संवेदनशील कारागारों में अत्याधुनिक एफजी-1 मेटल डिटेक्शन सिस्टम तथा प्रदेश की 23 करागारों में सीसीटीवी सर्विलांस इकाइयों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। विचाराधीन बन्दियों के रिमाण्ड हेतु कारागारों/न्यायालयों में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग इकाइयों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। प्रदेश की कारागारों में बन्दियों को अपने परिजनों से टेलीफोन पर

बात करने की सुविधा प्रदान किये जाने, आर0ओ0 प्लान्ट की स्थापना, मोबाइल फोन जैमर की स्थापना एवं प्रकाश व्यवस्था हेतु सोलर पैनल लगाये जाने की कार्य योजना पर विचार किया जा रहा है। बन्दियों के चारित्रिक निर्माण हेतु साक्षरता एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। वर्ष 2013-14 में कक्षा-5 से कक्षा-8 तक के 1627, हाई स्कूल के 120, इण्टरमीडिएट के 108 तथा इग्नू के विभिन्न पाठ्यक्रमों के 2418 बन्दियों द्वारा परीक्षा में भाग लिया गया तथा 85 प्रतिशत से अधिक बन्दी उत्तीर्ण हुए हैं।

**राजनैतिक पेंशन विभाग**

उ0प्र0 राज्य में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व उनके आश्रितों को पेंशन व अनुदान स्वीकृत किये जाने की योजना चलाई जा रही है। सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन धनराशि में समय-समय पर वृद्धि की जाती रही है। वर्तमान में दिनांक 25-06-2014 से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों/पात्र आश्रितों को रु0 8,811/- प्रतिमाह की धनराशि पेंशन के रूप में भुगतान की जा रही है। दिवंगत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अन्तिम संस्कार हेतु उनके पात्र आश्रित को वर्तमान में दिनांक 01-01-2007 से रुपये 5000/- का शासकीय अुनदान अनुमन्य किया गया है।

प्रदेश के वृद्ध एवं निराश्रित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आवास एवं भोजन की सुविधा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से लखनऊ एवं मथुरा में एक-एक सेवा सदन की स्थापना भी की गई है। सेवा सदन, लखनऊ में 25 सेनानियों के स्थाई तथा 5 आकस्मिक अभ्यागतों के रहने की व्यवस्था है। इसी प्रकार एक सेवा सदन मथुरा जिले में भी स्थापित है।

वर्तमान में सरकार द्वारा असंख्य नवजवानों, साहसी वीरों, जिन्होंने देश में आपातकालीन अवधि (दिनांक 25-06-1975 से 21-03-1977 तक) में लोकतंत्र की रक्षा के लिये सक्रिय रहते हुए संघर्ष किया एवं इसके फलस्वरूप मीसा/डी0आई0आर0 में कारागार में निरुद्ध रहे राजनैतिक बन्दियों/लोकतंत्र सेनानियों को उनके सम्मान में रु0 6,000/- मासिक सम्मान राशि, राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा की निःशुल्क सुविधा उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में एक सहयोगी सहित निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है।

**होमगार्ड्स विभाग**

होमगार्ड्स संगठन एक स्वयंसेवी संगठन है, जो राष्ट्रप्रेम एवं निष्काम सेवा के सिद्धान्तों पर स्थापित है। अपने गठन काल से यह विभाग निरन्तर एक प्रशिक्षित तथा अनुशासित समाज के निर्माण हेतु प्रयासरत है। निष्काम सेवा की अविरल भावना से ओत-प्रोत इस संगठन ने अब तक समाज के प्रत्येक वर्ग के लाखों की संख्या में पुरुष एवं महिलाओं को संगठन का सदस्य बनाकर उन्हें देश रक्षा की किन्हीं भी विषम परिस्थितियों से जूझने के लिये दक्षता प्रदान की है।

कानून-व्यवस्था की ड्यूटी में पूर्व वर्षों में 50,335 स्वयंसेवक प्रतिदिवस प्रतिस्थापित हो रहे हैं। संगठन के स्वयंसेवक साम्प्रदायिक दंगों, पर्वों, मेलों, यातायात, शांति सुरक्षा, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा, अग्निशमन, बैंक सुरक्षा, बोर्ड परीक्षा तथा सशस्त्र ड्यूटी में पुलिस बलों को कंधे से कंधा मिलाकर महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर रहे हैं। हाल ही में लोकसभा निर्वाचन 2014 को सम्पन्न कराने हेतु विभिन्न जनपदों में जनपदीय एवं अन्तर्जनपदीय होमगार्ड्स स्वयंसेवकों का प्रतिस्थापन किया गया

एवं उत्तराखण्ड लोकसभा निर्वाचन 2014 तथा पूर्व में मध्य प्रदेश तथा दिल्ली राज्य के सम्पन्न हुए विधान सभा निर्वाचन 2013 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य से होमगार्ड्स अन्तर्राज्यीय संचरण किया गया, जिन्होंने इन राज्यों के चुनाव सम्पादित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी तथा इन राज्यों की प्रशंसा अर्जित की। इसके अतिरिक्त विभिन्न सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, निगमों एवं उद्यमों में 4,500 कारागारों की सुरक्षा ड्यूटी में 1,879 पुरुष तथा महिला सशस्त्र एवं निःशस्त्र होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को तैनात किया गया है।

भारत सरकार की आधुनिकीकरण योजना एवं राज्य सरकार के बजट के अन्तर्गत प्रदेश के 17 जनपदों में होमगार्ड्स कार्यालयों का निर्माण कराया जा चुका है तथा जनपद मेरठ में मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र एवं 10 जनपदों में जिला होमगार्ड्स कार्यालयों का निर्माण कराया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत बसें, ट्रूप कैरियर, हल्के वाहन, मोटर साइकिल, डिजिटल डुप्लीकेटर, कम्प्यूटर तथा 9 एम0एम0 की पिस्टलें क्रय की जा चुकी हैं।

**न्याय विभाग**

गोमती नगर, लखनऊ में उच्च न्यायालय के लखनऊ खण्डपीठ के नवीन भवन के निर्माणाधीन भवन हेतु वित्तीय वर्ष 2014-2015 में रु0 233.4807 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई है। निर्माण कार्य प्रगति पर है। निर्माण कार्य मार्च, 2015 में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के विस्तार के अन्तर्गत रु0 67.9507 करोड़ की लागत से 30 कोर्ट एवं 20 चैम्बर भवन का निर्माण किया जा रहा है।

महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक मुकदमों के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रत्येक जनपद में एक-एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई है।

प्रदेश के समस्त जनपदों में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22-बी के अन्तर्गत स्थाई लोक अदालतों का गठन किया जाना प्रस्तावित है। इनके माध्यम से जल, टेलीफोन एवं बिजली से संबंधित वादों का निस्तारण किया जायेगा। सम्प्रति 47 जनपदों में स्थाई लोक अदालतों का गठन किया जा चुका है तथा उच्च न्यालय की पत्रावलियों का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है।

प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में तैनात सफाई कर्मचारियों के मानदेय की धनराशि रु0 2,000/- से बढ़ाकर रु0 6,000/- कर दी गई है।

**परिवहन विभाग**

उत्तर प्रदेश के 76 परिवहन कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है, इस कम्प्यूटरीकरण से वाहनों के रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, टैक्स, परमिट व प्रर्वतन सम्बन्धी कार्य वाहन साफ्टवेयर के माध्यम से सम्पादित किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत डिजिटाइजेशन आफ लिगेसी डाग आफ ड्राइविंग लाईसेंस, डिजिटाइजेशन आफ लिगेसी डाटा आफ पंजीयन प्रमाण-पत्र तथा वाहन साफ्टवेयर आधारित स्मार्ट कार्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट योजना हेतु पर्याप्त बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

सड़क सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में है इसे सुदृढ़ किये जाने, उनके उपायों को लागू करने तथा यातायात प्रबन्धन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में पूर्व से ही राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् गठित है। सड़क सुरक्षा के उपायों से संबंधित कार्यों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने हेतु राज्य सड़क सुरक्षा नीति बनाये जाने, राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् को पुनर्गठित किये जाने एवं सड़क सुरक्षा कोष के सृजन एवं इस हेतु उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 निर्गत की जा चुकी है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में 24 कार्यालय भवनों को पूर्ण कराने के साथ-साथ 03 नये सम्भागीय परिवहन कार्यालय-फैजाबाद, मेरठ एवं मुरादबाद में सारथी हाल के निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, मुजफ्फरनगर के भवन निर्माण हेतु ट्रांसपोर्टनगर योजना में 2644.76 वर्गमीटर भूमि क्रय की जा चुकी है तथा सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय, लखीमपुर, शाहजहांपुर एवं प्रतापगढ़ में भवन निर्माण हेतु जिला प्रशासन द्वारा निःशुल्क भूमि का आवंटन किया जा चुका है।

प्रदेश में बढ़ती हुई व्यावसायिक वाहनों की संख्या के दृष्टिगत वाहनों को फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व इनका पूर्ण रूप से टेस्ट किया जाना आवश्यक है। ऐसे परीक्षण हेतु एक पूर्ण रूप से आधुनिक मशीनों एवं अन्य उपकरणों से सुसज्जित कार्यशाला स्थापित किये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-56(2) तथा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-63(3) में इस प्रकार से टेस्टिंग कार्यशालाओं के सम्बन्ध में आवश्यक प्राविधान तथा व्यवस्था की गई है। इसी क्रम में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई 7550 वर्ग मीटर भूमि की रजिस्ट्री कराई जा चुकी है।

मार्गों पर ओवरलोडेड माल वाहनों के निरंकुश संचालन से मार्गों की टूट-फूट तथा होने वाली दुर्घटनाओं की समस्या के निराकरण हेतु आई0आई0टी0, कानपुर के तकनीकी विशेषज्ञों से प्रारम्भिक विचार-विमर्श के आधार पर यह मत स्थिर हुआ है कि ओवरलोड माल वाहनों को चेक करने हेतु वे-इन-मोशन की तकनीक के प्रयोग से एक पायलेट प्रोजेक्ट चलाया जाये ताकि उनके कन्ट्रोल्ड एवं मानीटर्ड संचालन के आधार पर उक्त सिस्टम को पूरे प्रदेश में लागू किये जाने हेतु विकसित एवं दोष रहित किया जा सके।

जन सामान्य को सुरक्षित, आरामदायक, परिष्कृत एवं व्यक्तिगत सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिगत परिवहन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में 13 शहरों (नगर निगम) में लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, झांसी, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली एवं गोरखपुर में रेडियो टैक्सी के संचालन का निर्णय लिया गया है। इस क्रम में लखनऊ एवं वाराणसी महानगर में रेडियो टैक्सी का संचालन हो रहा है तथा आगरा शहर में भी रेडियो टैक्सी का संचालन शीघ्र ही प्रारम्भ हो जायेगा। शेष शहरों में रेडियो टैक्सी संचालन आरम्भ कराने की कार्यवाही गतिशील है।

वर्तमान वर्ष की अप्रैल-नवम्बर, 2014 तक की अवधि में परिवहन निगम के बस बेड़े में औसतन 9489 बसें रहीं। इन बसों द्वारा कुल 78.32 करोड़ कि0मी0 बस संचालन किया गया। निगम द्वारा रु0 2178.79 करोड़ की आय अर्जित की गई, जो गतवर्ष से रु0 207.65 करोड़ अधिक है।

इस अवधि में परिवहन निगम को रु0 23.14 करोड़ का लाभ हुआ। निगम की बस उपयोगिता 338 किलोमीटर प्रतिबस प्रतिदिन व लोड फैक्टर 71 प्रतिशत प्राप्त हुआ। निगम द्वारा 36.27 करोड़ यात्रियों को यात्री सुविधा प्रदान की गई। निगम द्वारा जन सामान्य को पर्याप्त एवं उच्च कोटि की परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2014-15 में माह दिसम्बर, 2014 तक 266 नई बसें अपने बस बेड़े में सम्मिलित की गईं।

यात्रियों को आरामदायक सेवा उपलब्ध कराने के लिये निगम द्वारा वोल्वो/ प्लेटिनम लाइन/गोल्ड लाइन बसों का संचालन किया गया जो कि यात्रियों में लोकप्रिय है। इन सेवाओं का संचालन उत्तर प्रदेश के मुख्य मार्गों जैसे दिल्ली, आगरा, जयपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, हरिद्वार, ऋषिकेश व देहरादून आदि पर किया जा रहा है।

निगम द्वारा अपने बस स्टेशनों पर मूलभूत यात्री सुविधाओं यथा पेयजल, प्रकाश, प्रसाधन, पूछताछ पटल, प्रतीक्षास्थल के साथ ही बड़े स्टेशनों पर कैन्टीन/ फूड प्लाजा, बुक स्टाल, पी0सी0ओ0, खाद्य पदार्थों के स्टाल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के मुख्य बस स्टेशनों पर आधारभूत यात्री सुविधाओं को सुव्यवस्थित करने एवं संक्षिप्त सौंदर्यीकरण का कार्य भी किया जा रहा है।

निगम के बस अड्डों को यात्री सुविधाओं के अनुरूप उच्चस्तरीय किये जाने के दृष्टिगत पी0पी0पी0 मॉडल के अन्तर्गत बस स्टेशनों को विकसित कर शॉपिंग काम्पलेक्स, माल व मल्टीप्लेक्स सुविधाओं से युक्त आधुनिक बस स्टेशन का उच्चीकरण किया जा रहा है। इससे यात्रियों को सम्पूर्ण सुविधायें एक ही स्थान पर सुलभ हो सकेंगी। इस क्रम में लखनऊ स्थित आलमबाग बस स्टेशन का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के चिन्हित 12 बस स्टेशनों को विकसित किया जायेगा।

यात्रियों को अच्छी परिवहन सुविधा प्रदान करने की दिशा में परिवहन निगम द्वारा जनरथ श्रेणी की साधारण वातानुकूलित बसों का संचालन कराये जाने की कार्यवाही गतिशील है। आरामदेह साधारण श्रेणी की इस वातानुकूलित बस में यात्रियों को 2x2 विन्यास की सीटें, मनोरंजन, 500 मि0ली0 मिनरल वाटर की बोतल, अग्रिम आरक्षण आदि की आधुनिक सुविधायें साधारण बस के किराये से मात्र 50 प्रतिशत अधिक दर पर उपलब्ध हो सकेंगी। प्रायोगिक तौर पर शीघ्र ही जनरथ श्रेणी की बसों का संचालन किया जायेगा। अनुबन्धन पर जनरथ श्रेणी की साधारण वातानुकूलित बसों का संचालन विभिन्न मार्गों पर किया जा रहा है। इस बस बेड़े के प्रति यात्री अभिरुचि के आधार पर त्वरित विस्तार किया जायेगा।

प्रदेश के ग्रामीण नागरिकों के यातायात के दृष्टिगत प्रत्येक गांव, तहसील, ब्लाक, जिला तथा मण्डल मुख्यालय से जोड़ने वाली ग्रामीण बस सेवा के संचालन की दिशा में कार्यवाही गतिशील है। इन सेवाओं में ग्रामीण यात्रियों के सुविधार्थ सामान्य किराये में छूट देकर अल्प किराये पर बस संचालन कराया जायेगा।

निगम के बस स्टेशनों एवं बसों में यात्री सुरक्षा, विशेषकर महिला यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत, सी0सी0 टी0वी0 सिस्टम लगाये जाने का प्रस्ताव है।

**पर्यावरण विभाग**

प्रदेश के जन सामान्य के स्वस्थ जीवन के लिये शुद्ध वातावरण का सृजन आवश्यक है। इसके लिये पर्यावरणीय प्रदूषण का त्वरित गति से नियंत्रण आवश्यक एवं अपरिहार्य है। इस हेतु प्रदेश में समस्त नये कारखानों को अनापत्ति देने की शर्त में शुद्धिकरण संयंत्र **''ई0टी0पी0''** को लगाये जाने की अनिवार्यता सुनिश्चित की गई है एवं जिन पुराने कारखानों को अनापत्ति पूर्व में जारी की गई है उनमें भी शुद्धिकरण संयंत्र **''ई0टी0पी0''** लगाया जाना सुनिश्चित किया गया है।

भारत सरकार द्वारा संचालित **नेशनल ग्रीन कोर** कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु ईको क्लब कार्यक्रमों के लिये समयबद्ध योजना तैयार की गई है। प्रदेश के समस्त जनपदों में जिला स्तरीय समिति के कार्यान्वयन हेतु निर्धारित धनराशि रु0 25,000 जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रथम चरण में 70 जनपदों में लगभग 150 स्कूल प्रति जनपद को ईको क्लब की स्थापना हेतु चयनित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

गंगा नदी के जल की शुद्धता सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में स्थित इण्डस्ट्रियल क्लस्टर/इण्डस्ट्रियल इस्टेट/उद्योगों के सम्बन्ध में, जिनसे निकलने वाला उत्प्रवाह किसी नाले अथवा सहायक नदी के माध्यम से गंगा नदी में जाता है, के संबंध में ड्रेनेज मैप तथा औद्योगिक उत्प्रवाह के निस्तारण से संबंधित नालों हेतु प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित जनपदों हेतु (सी0ई0टी0पी0/ई0टी0पी0) की सम्भावनाओं हेतु विस्तृत प्लान भी तैयार कराया जा रहा है।

प्रदेश में परिसंकटमय अपशिष्ट के निस्तारण का कार्य सुनियोजित तरीके से निस्तारित किये जाने हेतु रमाबाई नगर के कुम्भी में 02 टी0एस0डी0एफ0 के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराई गई तथा वर्तमान में इन दोनों टी0एस0डी0एफ0 के माध्यम से उन्नाव की टैनरीज को छोड़कर प्रदेश के समस्त अन्य उद्योगों का परिसंकटमय अपशिष्ट वैज्ञानिक रूप से निस्तारित किया जाता है। उन्नाव की टैनरीज हेतु 01 पृथक संयुक्त टी0एस0डी0एफ0 भी संचालित है।

परिसंकटमय अपशिष्ट के अतिरिक्त जीव चिकित्सा अपशिष्ट से भी वातावरण प्रदूषित होता है। वर्तमान में इस हेतु प्रदेश के 14 जनपदों में कुल 17 सामूहिक जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार स्थापित की गई है।

**पर्यटन विभाग**

उत्तर प्रदेश में स्थित महत्वपूर्ण स्मारकों तथा सभी धर्मों के महत्वपूर्ण स्थलों एवं ताजमहल, फतेहपुर सीकरी आदि के कारण इस प्रदेश में पर्यटन के विकास की अपार सम्भावनायें हैं। उत्तर प्रदेश में बनारस को प्राचीनतम नगरी माना जाता है और वहां पर बड़ी संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक आते हैं। बुद्धिस्ट सर्किट के अन्तर्गत चिन्हित 10 महत्वपूर्ण स्थानों में से 06 महत्वपूर्ण स्थान उत्तर प्रदेश में हैं, तथा वर्ष 2013 में बुद्धिस्ट सर्किट में 5.87 लाख विदेशी पर्यटक आये। उत्तर प्रदेश में पर्यटन के प्रोत्साहन हेतु बोधगया एवं सारनाथ में (दिनांक 26 से 28 सितम्बर, 2014) अन्तर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट कान्क्लेव का आयोजन किया गया तथा दिनांक 11 से 20 अक्टूबर, 2014 तक नोयडा में शिल्पोत्सव का आयोजन भी किया गया ।

पर्यटन विकास के लिये महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं के विकास ताजगंज वार्ड के समुचित विकास का कार्य, मथुरा-वृन्दावन सर्किट पर अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा क्षेत्र में स्थित प्राचीन कुण्डों का पुनरोद्धार किया जा रहा है।

पर्यटन विभाग द्वारा आगरा-लखनऊ-वाराणसी को हेरिटेज आर्क के रूप में प्रमोट एवं मार्केटिंग किया जा रहा है। इसी क्रम में मेरा ''आगरा कम्पेन'' को भी लांच किया गया है। पर्यटन को और अधिक जिम्मेदार बनाने के लिये विभिन्न महोत्सवों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत अन्य महोत्सवों के अतिरिक्त जहान-ए-खुसरो, वाजिद अली शाह, मेरा-आगरा, आगरा चैलेन्ज कार रैली का आयोजन स्थानीय स्तर पर किया जा रहा है।

पर्यटन विभाग द्वारा संचालित की जाने वाली प्रो-पुअर टूरिज्म डेवलपमेंट परियोजना विश्व बैंक द्वारा सहायता प्रदान की जाने वाली 300 मिलियन डालर की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। परियोजना में विश्व बैंक की भागीदारी 70 प्रतिशत तथा प्रदेश सरकार की भागीदारी 30 प्रतिशत है। इस परियोजना के माध्मय से प्रदेश के 02 प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों आगरा-ब्रज कारीडोर तथा बौद्ध परिपथ के अन्तर्गत पर्यटन स्मारकों/स्थलों पर मूलभूत पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का सृजन तथा वर्तमान में उपलब्ध सुविधाओं का उच्चीकरण एवं रोजगारपरक क्षमता/ कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किये जाने की योजना है।

**वित्त विभाग**

''प्रदेश में राज्य सरकार की प्रतिप्यों (राजस्व, पूंजीगत लोक लेखा) हेतु ई-चालान की व्यवस्था दिनांक 01-12-2014 से प्रभावी की गई है। राज्य सरकार की समस्त प्राप्तियों को जमा किये जाने हेतु राज्य सरकार के पोर्टल www.rajkosh.up.nic.in पर सभी विभागों को विभागवार प्राप्तियों के विभिन्न लेखाशीर्षक उपलब्ध हैं। राजकोष में जमा की जाने वाली धनराशि को ऑनलाइन ई-चालान के माध्यम से जमा किये जाने हेतु उपरोक्त पोर्टल पर कोई जमाकर्ता किसी भी समय राजकीय धनराशि को जमा कर सकता है।''

**वाणिज्य कर विभाग**

वाणिज्य कर विभाग का वर्ष 2014-15 का राजस्व संग्रह लक्ष्य शासन द्वारा रु0 47500 करोड़ निर्धारित है। वर्ष 2014-15 में माह नवम्बर, 14 तक रु0 23,756.62 करोड़ का राजस्व जमा हुआ है, जो गत वर्ष के संगत अवधि से रु0 3,136.83 करोड़ अधिक प्रगतिशील है।

वाणिज्य कर विभाग में सचल दल इकाइयों द्वारा संग्रहीत किये जाने वाले बिलों पर सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारियों के स्तर पर त्वरित कार्यवाही किये जाने हेतु इन बिलों से सम्बन्धित वितरण के आन लाइन फीडिंग का माड्यूल विकसित कर व्यवस्था लागू की गई है।

सचल दल इकाइयों द्वारा जांच के फलस्वरूप रोके गये वाहनों/माल के सम्बन्ध में पंजी-5 में विवरणों को कम्प्यूटराइज्ड करने की व्यवस्था लागू की गई है।

विभागीय वेबसाइट पर प्रान्त से होकर माल को पारगमित कराये जाने के सम्बन्ध में वाहन का पंजीयन कराये जाने, वाहन को प्रान्त की सीमा में प्रवेश के समय तथा प्रान्त की सीमा से निकास की स्थिति में आन लाइन पारगमन खारिजी प्रमाण-पत्र की व्यवस्था की गई है। विभागीय वेबसाइट पर रु0 1 लाख के ऊपर की इनवाइस का परचेज सेल विवरण के मिलान की व्यवस्था प्रारम्भ की गई है।

प्रदेश के व्यापारियों की पंजीयन तथा रिटर्न सम्बन्धी समस्याओं के निवारण हेतु शहरी क्षेत्रों में फैसिलिटेशन सेन्टर खोले गये हैं।

पंजीकृत व्यापारियों के लिये जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत विभाग में पंजीकृत सभी व्यापारियों को स्वतः बीमित माने जाने की व्यवस्था की गई है। इस योजना का संचालन टेंडर प्रक्रिया के अन्तर्गत न्यूनतम दर प्रस्तावित करने वाली बीमा कम्पनी के माध्यम से शासन के अनुमोदन पर किया जाता है तथा इससे सम्बन्धित प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार के कोष से किया जाता है। दुर्घटना में मृत्यु/हत्या होने पर पंजीकृत व्यापारी/नामिनी उत्तराधिकारी को इस योजना के अन्तर्गत बीमित धनराशि प्रदान की जाती है। शासन द्वारा दिनांक 31-03-13 से बीमित धनराशि को रु0 4 लाख से बढ़ाकर रु0 5 लाख कर दिया गया है। इससे तथा वर्ष 2014-15 में दिनांक 31-12-14 तक 57 व्यापारी लाभान्वित हुए हैं।

ईंट भट्ठा समाधान योजना सीजन वर्ष 2014-15 लागू कर दी गई है। व्यापारियों के अनुरोध पर समाधान योजना स्वीकार करने की तिथि दिनांक 14-12-14 से बढ़ाकर दिनांक 14-01-15 कर दी गई है। व्यापारियों के अनुरोध पर वर्ष 2012-13 के वार्षिक रिटर्न दायर करने की अन्तिम तिथि 31 अक्टूबर, 2013 से नौ माह बढ़ाकर 30 जून, 14 की गई ताकि अधिक से अधिक व्यापारी वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करते हुए डीम्ड कर निर्धारण का लाभ पा सकें। वर्ष 2013-14 की वार्षिक विवरणी दाखिल करने की तिथि भी दिनांक 31-10-14 से बढ़ा दी गई है।

मेरी सरकार द्वारा व्यापार को बढ़ावा देने के लिये कर मुक्ति की सुविधायें दी जा रही हैं। साइकिल, ट्राई साईकिल, साईकिल रिक्शा एवं इसके पार्ट्स कम्पोनेन्ट, एससरीज व टायर ट्यूब पर कर की देयता समाप्त कर दी गई है।

लोहिया ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत उपयोग हेतु आपूर्त अथवा संकर्म संविदा के निष्पादन में प्रयुक्त सोलर पावर पैक, एल0ई0डी0 लाईट्स एवं डी0सी0 सीलिंग फैन को कर की देयता से मुक्त कर दिया गया है।

स्थानीय चीनी मिलों के लिये पेराई सत्र 2013-14 में उत्पादित नान लेवी चीनी पर प्रवेश कर की देयता तथा पेराई सत्र 2014-15 में उत्पादित की गई नान लेवी चीनी पर प्रवेश कर की देयता से कर मुक्ति प्रदान की गई है। बायो-फ्यूल एवं राज्य के भीतर इसके उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली मशीनरी के विक्रय के आवर्त पर दिनांक 14-11-14 से प्रारम्भ होकर 10 वर्ष के लिये कर की देयता समाप्त कर दी गई है। इसी प्रकार कर की दर में कमी की सुविधायें भी प्रदान की गई हैं।

नान शिडयूल्ड एयर लाईन्स द्वारा प्रदेश के भीतर संचालित वायु सेवा हेतु उड़ान के समय जिनका टेक आफ मास 40 हजार किग्रा0 भार तक है, उनको प्रदेश के सभी स्थलों पर ए0टी0एफ0 (एविएशन टरबाईन फ्यूल) की बिक्री पर तथा आगरा व वाराणसी एयरपोर्ट पर सभी सिविल एयर लाईन्स को बिक्री किये गये एविएशन टरबाईन फ्यूल पर कर की दर को 4 प्रतिशत यथा एयर लाईन्स को बिक्री किये गये एविएशन टरबाईन फ्यूल पर कर की दर को 4 प्रतिशत यथा अति0 कर की श्रेणी में नियत किया गया है।

शू बेल्ट्स को 12.5 प्रतिशत यथा अति0 कर की श्रेणी से हटा कर 4 प्रतिशत यथा अति0 कर की श्रेणी में रखा गया है। ट्रान्सफार्मर एवं ट्रान्सफारमर पार्ट्स को 12.5 प्रतिशत यथा अति0 कर की श्रेणी से हटाकर 4 प्रतिशत यथा अति0 कर की श्रेणी में रखा गया है। कम्प्यूटर पार्ट्स को 12.5 प्रतिशत यथा अति0 कर की श्रेणी से हटाकर 4 प्रतिशत यथा अति0 कर की श्रेणी में रखा गया है।

**स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग**

देश के अन्य राज्यों में निबन्धन के अच्छे प्रयासों का अध्ययन करते हुए प्रदेश के सभी उपनिबन्धक कार्यालयों को जनसामान्य की सुविधा के लिये विश्व स्तरीय मानकों के अनुसार अवस्थापना से सुसज्जित किया जाना एवं समग्र निबन्धन प्रणाली को वेब आधारित कम्प्यूटरीकृत प्रणाली पर संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

**राजस्व विभाग**

उत्तर प्रदेश के 2.5 करोड़ खातेदार-सहखातेदार कृषकों जिनकी आयु न्यूनतम 12 वर्ष तथा अधिकतम 70 वर्ष हो, के लिये कृषक दुर्घटना बीमा योजना संचालित की जा रही है। सरकार द्वारा कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा आवरण राशि अधिकतम 05 लाख रुपये किया गया है।

कृषक दुर्घटना बीमा योजना का लाभ उन खातेदारों/सहखातेदार कृषकों को अनुमन्य होता है जिनकी मृत्यु अप्राकृतिक कारणों से होती है।

उत्तर प्रदेश शासन ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किये जाने की दृष्टि से आम आदमी बीमा योजना लागू की है। इस योजना के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले सभी भूमिहीन परिवारों के 18 से 59 वर्ष तक की आयु के मुखिया सदस्य पात्र हैं। योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। इस योजनान्तर्गत प्रति मुखिया सदस्य की प्रीमियम बीमा राशि 200 रुपये वार्षिक है, जिसका 50 प्रतिशत प्रीमियम राज्य सरकार एवं 50 प्रतिशत प्रीमियम केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित सामाजिक सुरक्षा कोष से वहन किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में शासन की प्राथमिकताओं के दृष्टिगत मण्डल/जनपद/तहसीलों के अनावासीय तथा आवासीय भवनों एवं पूर्व में नवसृजित तहसीलों, जिनके अपने कार्यालय/आवासीय भवन नहीं हैं, के निर्माण का प्रस्ताव है।

भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एन0एल0आर0एम0पी0) के अन्तर्गत भू-मानचित्रों के डिजिटाइजेशन का कार्य कराया जाना है। इसके अन्तर्गत भू-मानचित्रों को डिजिटाइज कर मूल भू-मानचित्र से मिलान किया जायेगा।

राजस्व न्यायालयों में लम्बित वादों के त्वरित निस्तारण का कार्य शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में है। उक्त के दृष्टिगत राजस्व परिषद् द्वारा प्रदेश के नायब तहसीलदार से लेकर प्रवर राजस्व न्यायालयों तक के कम्प्यूटरीकरण का कार्य कराया जा रहा है।

**विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग**

प्रदेश में युवा वैज्ञानिकों को शोध कार्य के क्षेत्र में प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण देने हेतु यंग साइंटिस्ट विजिटिंग फेलोशिप तथा यंग साइंटिस्ट स्कीम प्रारम्भ की गई, जिसमें अब तक लगभग 57 युवा वैज्ञानिक लाभान्वित हुए हैं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से बेरोजगारी की समस्या के निदान हेतु उद्यमिता विकास कार्यक्रम संचालित है। जनमानस में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रचार-प्रसार योजना में विभिन्न गतिविधियों यथा-राज्य स्तरीय विज्ञान माडल प्रतियोगिता, इको वाटर लिट्रेसी कम्पेन, बाल विज्ञान कांग्रेस, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण, पेयजल व प्रदूषण पर आधारित कार्यक्रम, अण्डरस्टैण्डिंग प्लेनेट अर्थ आदि कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सुनिश्चित किया गया। छात्र-छात्राओं में विज्ञान के प्रति रुचि व जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एफ0एम0 रेडियो आकाशवाणी, लखनऊ से हैलो यंग साइंटिस्ट फोन इन क्विज कार्यक्रम गत वित्तीय वर्ष से निरन्तर चल रहा है। लखनऊ महोत्सव-2014 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पवेलियन के माध्यम से विभिन्न वैज्ञानिक गतिविधियों का प्रदर्शन जनमानस के लिये किया गया।

वर्तमान वर्ष एवं आगामी वर्षों के दौरान सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र द्वारा प्रदेश के ऊसर प्रभावित क्षेत्रों का रेखांकन एवं खसरावार मानचित्रीकरण उपग्रहीय चित्रों के आधार पर किया जायेगा जिससे ऊसर सुधार कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान किया जा सके एवं ऊसर प्रभावित भूमि/बंजर भूमि तथा बीहड़ भूमि को कृषि के योग्य बनाया जा सके। पाला, ओलावृष्टि, बाढ़ एवं सूखे के कारण प्रभावित भूमि तथा फसलों इत्यादि का चिन्हांकन भी सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र द्वारा किया जायेगा ताकि उक्त से प्रभावित कृषकों एवं ग्रामीणों को राहत प्रदान करने में सहयोग दिया जा सके। प्रदेश के समस्त अपघटित भूमियों एवं परती भूमियों के चिन्हांकन का कार्य भी सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र द्वारा सम्पादित किया जायेगा ताकि भूमि अधिग्रहण के क्षेत्र में सहयोग प्रदान किया जा सके एवं चिन्हित परती/ अपघटित भूमि का कृषि/वनीकरण/भू-जल रिचार्ज हेतु उपयुक्तता भी ज्ञात की जा सके। पर्यावरण के क्षेत्र में भी जल एवं वायु प्रदूषण से प्रभावित भूमि एवं जलाशयों इत्यादि का भी उध्ययन किया जायेगा ताकि प्रदूषण से उत्पन्न प्रभाव को कम किया जा सके।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों के प्रत्येक गांव में मजरों में स्थापित सभी प्रकार के प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय की जी0पी0एस0 द्वारा अक्षांश एवं देशान्तर की सूचना एकत्रित कर जी0आई0एस0 डाटाबेस तैयार करके तथा नये प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने के मापदण्ड के अनुसार 01 कि0मी0 पर प्राथमिक विद्यालय एवं 02 कि0मी0 पर उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु डाटाबेस तैयार किया जायेगा। प्रदेश में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ एवं सूखे के अनुश्रवण का कार्य किया जायेगा ताकि भविष्य में क्षति निम्नीकरण की दिशा में उपयोगी सूचनायें सृजित की जा सकें। समस्याग्रस्त क्षेत्रों में भूमिगत जल बाहुल्य क्षेत्रों की खोज एवं छिद्रण हेतु उपयुक्त स्थलों को इंगित करने का कार्य भी उपयोगकर्ता विभागों की मांग के आधार पर सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र द्वारा सम्पादित किया जायेगा। वर्षा जल संरक्षण एवं भू-जल के रिचार्ज हेतु उचित स्थलों के चयन का कार्य भी प्रदेश

के चयनित विकास खण्डों में किया जायेगा ताकि जल समस्या के निराकरण में सहयोग प्रदान किया जा सके।

**भू-तत्व एवं खनिकर्म विभाग**

प्रदेश में बहुमूल्य खनिजों की खोज विगत वर्षों से की जा रही है जिसमें जनपद सोनभद्र व ललितपुर में स्वर्ण धातु की खोज तथा ललितपुर में प्लेटिनम समूह की धातुओं से सम्बन्धित खोज का कार्य किया जा रहा है। व्यावसायिक स्तर के अन्य खनिज भण्डारों की खोज का कार्य भी प्रगति पर है। अब तक किये गये खनिज अन्वेषण के अन्तर्गत प्रदेश में स्वर्ण, लौह अयस्क, ग्लूकोनाईट, पायरोफिलाइट, डायस्पोर व रॉक फास्फेट, पोटाश, सिलिका सैण्ड व चाइना क्ले के खनिज भण्डारों की पुष्टि हुई हैं। जनपद सोनभद्र में चायना क्ले का 16.5 मिलियन टन, ललितपुर में क्वार्ट्ज का 12 मिलियन टन, महोबा में क्वार्ट्ज का 10 मिलियन टन, झांसी में क्वार्ट्ज का 45 मिलियन टन, ऐस्बेस्टस का 0.3 मिलियन टन, चित्रकूट में पोटाश का 50 मिलियन टन तथा सोनभद्र में स्वर्ण धातु 250 कि0ग्रा0 एवं ललितपुर में 1687 कि0ग्रा0 स्वर्ण के अनुमानित भण्डारों का आंकलन किया गया है। प्रदेश के उत्तर प्रदेश राज्य भू-वैज्ञानिक कार्यक्रयी परिषद् द्वारा अनुमोदित 07 परियोजनायें विभिन्न जनपदों में ललितपुर, झांसी व सोनभद्र में चलाई जा रही हैं जिनमें मुख्यतः स्वर्ण धातु, प्लेटिनम समूह के तत्व, लौह अयस्क व दुर्लभ मृदा तत्वों की खोज संबंधी अन्वेषण कार्य तथा खनन का पर्यावरण पर प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है।

प्रदेश में मुख्य खनिजों की खोज में निजी कम्पनियों द्वारा भी रुचि ली जा रही है। जनपद चित्रकूट में पोटाश, ग्लूकोनाईट आदि खनिजों की खोज हेतु मेसर्स मानसरोवर माइनिंग प्रा0लि0 के पक्ष में आवीक्षी परमिट स्वीकृत किया गया है। जबकि जनपद सोनभद्र में चाइना क्ले खनिज की खोज हेतु मेसर्स गेलडा मार्बल, मेसर्स द्वारिकाधीश मार्बल एवं मेसर्स रियल लाइफ माइनिंग प्रा0लि0 के पक्ष में पूर्वेक्षण लाइसेंस स्वीकृत किया गया है। जनपद ललितपुर में आयरन, प्लेटिनम आदि एसोसियेटेड मिनरल की खोज हेतु बहुराष्ट्रीय कम्पनी मेसर्स मैक्सटेक रिसोर्सेस प्रा0लि0 के पक्ष में पूर्वेक्षण लाइसेन्स स्वीकृत किया जा रहा है।

निर्माण कार्यों एवं ईंट उद्योग में साधारण मिट्टी की आपूर्ति में आ रही कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 में संशोधन प्रख्यापित कर 02 मी0 की गहराई तक हस्तचालन विधि से साधारण मिट्टी एवं ईंट मिट्टी निकालने की क्रिया को खनन संक्रिया की परिभाषा से बाहर कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के हित को दृष्टिगत रखते हुए बर्तन बनाने, घर बनाने आदि कार्यों के लिये 10 ट्रैक्टर ट्राली तक साधारण मिट्टी के उपयोग को रायल्टी की देयता से छूट प्रदान की गई है। नदी तल में स्थित बालू/ मौरंग/बजरी/बोल्डर के क्षेत्रों को खनन पट्टे पर स्वीकृत किये जाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाये रखने के प्रयोजन से प्रथम आवत प्रथम पावत का सिद्धान्त समाप्त कर नई व्यवस्था लागू की गई है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत खनन पट्टा हेतु उपयुक्त आवेदक का चयन बिडिंग के आधार पर किया जायेगा अर्थात् जिनके द्वारा पट्टा लेने के लिये सरकार को अधिकतम धनराशि का प्रस्ताव किया जायेगा उनका चयन पट्टे के लिये उपयुक्त आवेदक के रूप में किया जायेगा। नदी के किनारे स्थित किसानों की भूमि पर बाढ़ के कारण बालू/मौरंग एकत्रित हो जाने से उनकी भूमि कृषि योग्य नहीं रह जाती है। ऐसे भूमि से बालू हटाकर

खेत को पुनः कृषि योग्य बनाने के लिये किसानों के पक्ष में तीन माह की अवधि के लिये अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत करने के प्राविधान नियमावली, 1963 में शामिल किये गये हैं।

**आबकारी विभाग**

आबकारी विभाग की मौलिक नीति मादक वस्तुओं के अनौषधीय उपयोग के निषेध का उन्नयन, प्रवर्तन एवं प्रभावीकरण है। तद्नुसार विभाग सुनिश्चित करता है कि उपयुक्त पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण द्वारा मादक वस्तुओं की वैधानिक बिक्री से अधिकतम राजस्व प्राप्त किया जाये। यह कार्य शीरा एवं अल्कोहल के उत्पादन एवं उपयुक्त वितरण के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बियर एवं भांग की दुकानों का व्यवस्थापन एवं मादक पदार्थों की अवैध बिक्री/मद्यनिष्कर्षण की रोकथाम करना विभाग का प्रमुख कार्य है।

माह दिसम्बर, 2014 तक रु0 8763.18 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है जो गत वर्ष की आलोच्य अवधि में रु0 7905.45 करोड़ था। इस प्रकार आलोच्य अवधि में गत वर्ष के सापेक्ष रु0 857.73 करोड़ अर्थात् 10.85 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

अल्कोहल वर्ष 2014-15 में माह दिसम्बर, 2014 तक 679.25 लाख लीटर अल्कोहल का उत्पादन हुआ है, जो गत वर्ष की आलोच्य अवधि में उत्पादित अल्कोहल 597.58 लाख लीटर के सापेक्ष 13.7 प्रतिशत अधिक है।

**आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग**

उत्तर प्रदेश सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2012 में, प्रथम चरण में लखनऊ में सूचना प्रौद्योगिकी नगर (आई0टी0 सिटी) का शिलान्यास दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 को किया गया है और इसका निर्माण कार्य शीघ्र ही आरम्भ हो जायेगा। इस आई0टी0 सिटी में युवाओं के कौशल विकास के लिये एक आधुनिक कौशल विकास केन्द्र की स्थापना भी की जायेगी। प्रस्तावित केन्द्र में 5000 छात्रों के प्रवेश की क्षमता होगी तथा उनके लिये छात्रावास की भी व्यवस्था होगी। मेरठ, आगरा और कानपुर में आई0टी0 पार्क्स की स्थापना के लिये योजना बनाई गई है और कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण उद्योग के विकास के लिये उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2014 प्रख्यापित की गई है तथा यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरणा में तथा ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (ई0एम0सी0) की स्थापना के लिये प्रार्थना-पत्र भारत सरकार को प्रस्तुत किये गये हैं। प्रदेश में तीसरे ई0एम0सी0 की स्थापना के लिये एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर के लिये कार्यवाही की जा रही है।

इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम डिजाइन एण्ड मैन्युफैक्चरिंग (ई0एस0डी0एम0) क्षेत्र में कौशल विकास योजना के अन्तर्गत, प्रदेश के मण्डल मुख्यालयों पर अगले चार वर्षों में आठवीं, दसवीं, बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण, स्नातक (विज्ञान विषय से इतर) एवं डिप्लोमा, विज्ञान विषय सहित स्नातक 15000 छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

राज्य में ई-गवर्नेन्स योजना के अंतर्गत प्रदेश के जनमानस को उनके निवास के समीप तक विभिन्न प्रकार की शासकीय सेवायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से मूलभूत अवस्थापना सुविधा

के रूप में राज्य में जिला, तहसील एवं ब्लाक स्तर तक स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान) की स्थापना की गई है। ग्रामीण अंचलों में विभिन्न शासकीय सेवाओं की डिलीवरी हेतु कामन सर्विस सेंटर्स (जन सेवा केन्द्रों) की स्थापना जनपदों द्वारा की जा रही है। इस सुविधा से समाज के सभी वर्गों को उनके निवास के समीप ही विभिन्न शासकीय सेवायें प्राप्त करने का अवसर मिलेगा जिससे उन्हें जिला एवं तहसील स्तर पर विभिन्न शासकीय कार्यालयों में आना नहीं पड़ेगा। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किये जा रहे कामन सर्विस सेंटर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

राज्य के 6 जनपदों यथा-गोरखपुर, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, सीतापुर, सुल्तानपुर एवं रायबरेली में ई-डिस्ट्रिक्ट योजना पायलट बेसिस पर लागू की गई है जिसके अन्तर्गत वर्तमान में 22 सेवाओं जिनमें आय/जाति/निवास प्रमाण-पत्र, जन्म, मृत्यु एवं विकलांगता प्रमाण-पत्र विभिन्न पेंशन सम्बन्धित सेवायें, राशनकार्ड एवं राजस्व न्यायालय संबंधित सेवाओं को जनसामान्य को उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक इस योजना के अन्तर्गत पायलट जनपदों में प्राप्त लगभग 1.22 करोड़ आवेदनों के सापेक्ष 1.21 करोड़ आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है। नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत ई-डिस्ट्रिक्ट पायलट योजना देश के 16 राज्यों में लागू की जा रही है तथा उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां इसे पायलट आधार पर सफलतापूर्वक लागू किया गया है जो कि राज्य की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना को राज्य के शेष 69 जनपदों में भी लागू किये जाने के लिये अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

''इलेक्ट्रानिक डिलीवरी आफ सिटीजन सैन्ट्रिक सर्विसेज'' के अन्तर्गत दिनांक 1-8-2012 से 8 विभागों की 26 सेवायें जन सेवा केन्द्र, लोकवाणी केन्द्रों इत्यादि के माध्यम से पूरे प्रदेश में प्रदान की जा रही है। अब तक इस योजनान्तर्गत प्राप्त लगभग 2.43 करोड़ आवेदनों के सापेक्ष लगभग 2.41 करोड़ आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त ई-डिस्ट्रिक्ट योजना अन्तर्गत पायलट जनपदों में प्राप्त लगभग 1.22 करोड़ आवेदनों के सापेक्ष 1.21 करोड़ आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है।

**वाह्य सहायतित परियोजना विभाग**

वाह्य सहायतित परियोजनाओं से वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि के साथ विकास कार्यों में अन्तर्राष्ट्रीय तकनीकी एवं आधुनिक विशेषज्ञता भी प्राप्त होती है। वर्तमान में वाह्य सहायता से पोषित पांच परियोजनाओं में विश्व बैंक द्वारा तीन तथा जापान बैंक फार इन्टरनेशनल कारपोरेशन (जायका) द्वारा दो परियोजनायें वित्त पोषित हैं।

आगामी वर्षों में उ0प्र0 कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेंट परियोजना लागत रु0 3,500 करोड, उ0प्र0 मुख्य जिला सड़क विकास परियोजना लागत रु0 2470 करोड़, प्रो-पुअर टूरिज्म डेवलपमेंट परियोजना लागत रु0 1800 करोड़, सॉलिड वेस्ट परियोजना लागत रु0 2410 करोड़, उ0प्र0 ऊर्जा क्षमतावर्द्धन परियोजना लागत रु0 3000 करोड तथा बीहड़ भूमि सुधार परियोजना लागत रु0 674.50 करोड़ प्रस्तावित है, जिन पर अग्रेतर विचार-विमर्श प्रगति पर है।

**नियोजन विभाग**

नेपाल सीमा सें लगे प्रदेश के सात जनपदों के सीमावर्ती इक्कीस विकास खण्डों तथा नक्सल प्रभावित तीन जनपदों में सामाजिक एवं आर्थिक तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सात जनपदों में सूखे की विशेष समस्याओं के दृष्टिगत समन्वित कार्यक्रम संचालित हैं। इन क्षेत्रों में विशेष रूप से अवस्थापना विकास हेतु पर्याप्त संसाधन दिये जाने की व्यवस्था की गई है।

मेरी सरकार के कुशल प्रबन्धन एवं सद्प्रयासों से वर्ष 2013-14 के लिये अद्यावधिक अनुमानों के अनुसार प्रदेश की विकास दर 5 प्रतिशत आंकलित हुई है, जो देश की विकास दर 4.7 प्रतिशत से अधिक है। वर्ष 2012-13 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 33482 रुपये आंकलित हुई थी, जो वर्ष 2013-14 में बढ़कर 36250 रुपये आंकलित हुई है।

**राज्य सम्पत्ति विभाग**

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन आवासीय भवनों के अन्तर्गत श्रेणी-1/ 2/3 के कर्मचारियों के आवासों की कमी के दृष्टिगत महानगर सचिवालय कालोनी में श्रेणी-2/3 के कुल 192 आवास तथा मीराबाई मार्ग स्थित विधायक निवास-5 परिसर में श्रेणी-1 के 42 आवासों के निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है। विभाग के अधीन विशिष्ट अतिथि गृह डालीबाग, राज्य अतिथि गृह मीराबाई मार्ग लखनऊ, राज्य अतिथि गृह कोलकाता तथा उ0प्र0 भवन/उ0प्र0 सदन, नई दिल्ली का जीर्णोद्धार/सुधारीकरण एवं साज-सज्जा का कार्य वित्तीय वर्ष 2015-16 में कराये जाने का प्रस्ताव है।

सचिवालय भवनों में स्थान की कमी के निराकरण हेतु दारुलशफा परिसर में एक कार्यालय भवन निर्माणाधीन है। दिल्ली जाने वाले महानुभावों/अधिकारियों के अवस्थान हेतु उ0प्र0 भवन/सदन में कक्षों की कमी के दृष्टिगत नोयडा में अतिथि गृह के निर्माण हेतु भूमि की व्यवस्था हेतु अग्रिम प्रयास किये जा रहे हैं।

मा0 मंत्रीगण व वरिष्ठ अधिकारियों को उपलब्ध कराने हेतु आवासों की कमी के दृष्टिगत लखनऊ स्थित दारुलशफा परिसर में श्रेणी-5 के 40 आवास तथा डालीबाग कालोनी में श्रेणी-6 के 24 आवासों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने का भी प्रस्ताव है।

**अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग**

प्रदेश के आर्थिक विकास के लिये आवश्यक है कि ऊर्जा की सतत आपूर्ति होती रहे। उत्तर प्रदेश में बिजली की आपूर्ति की समस्या के समाधान के लिये प्रदेश सरकार द्वारा भरसक प्रयास किये जा रहे हैं। ऊर्जा के परम्परागत स्रोत सीमित हैं और उनके दोहन से पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या जुड़ी है। इसके दृष्टिगत अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है।

प्रदेश में उपलब्ध अक्षय ऊर्जा स्रोतों यथा-सौर ऊर्जा, लघु जल विद्युत एवं बायोमास पर आधारित विद्युत उत्पादन के विकास हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिये प्रदेश की सौर ऊर्जा नीति के अन्तर्गत सोलर पावर प्लाण्ट्स स्थापित किये जा रहे हैं। आवासीय,

संस्थागत तथा सरकारी भवनों में सोलर पावर प्लांट की स्थापना को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश की रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लाण्ट नीति भी प्रख्यापित की गई है। प्रदेश की चीनी मिलों में को-जनरेशन तथा धान की भूसी आदि बायोमास पर आधारित विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के अतिरिक्त निजी उद्यमियों के सहयोग से जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग की व्यापक सम्भावनाओं के दृष्टिगत सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में विशेष योजनायें लागू की जा रही हैं। अविद्युतीकृत अथवा विद्युत आपूर्ति की समस्या से ग्रस्त ग्रामों में रिमोट ग्राम विद्युतीकरण अथवा मिनी ग्रिड सोलर पावर प्लान्ट की योजनायें ली जा रही हैं। डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामों में सामुदायिक मार्ग प्रकाश की सुविधा हेतु सोलर स्ट्रीट लाईट संयंत्रों की स्थापना की जा रही है। लोहिया आवास योजना के अन्तर्गत लोहिया आवासों में सोलर पावर पैक की व्यवस्था की जा रही है। कृषि के क्षेत्र में प्रदेश के तराई एवं पूर्वांचल क्षेत्रों में लघु एवं सीमान्त कृषकों को सिंचाई हेतु अनुदान पर सोलर पम्प स्थापित कर लाभान्वित किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के साथ-साथ कक्षाओं में पंखों की व्यवस्था हेतु सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना की योजना क्रियान्वित की जा रही है। गरीब ग्रामीण परिवारों को सब्सिडाइज्ड सोलर पैक की व्यवस्था से लाभान्वित किये जाने की योजना तथा ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक 8 स्थलों पर सोलर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की योजना प्रस्तावित है।

नविकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों/परियोजनाओं की स्थापना, संचालन, अनुरक्षण एवं सर्विसिंग के विषय में दक्षता के विकास हेतु लखनऊ तथा मऊ में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित हैं। प्रदेश में वृहद् स्तर पर स्थापित किये जा रहे अक्षय ऊर्जा संयंत्रों की सर्विसिंग/मरम्मत हेतु प्रशिक्षण की बढ़ती हुई आवश्यकता के दृष्टिगत जनपद कन्नौज में एक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जा रही है।

**बेसिक शिक्षा विभाग**

समाज के सर्वांगीण विकास हेतु प्रारम्भिक शिक्षा का विशेष महत्व है। कक्षा 1-8 तक की 6-14 वय वर्ग के समस्त बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रदेश सरकार कृत संकल्प है। प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बेसिक शिक्षा के सुनिश्चित कार्यक्रम जैसे-सर्वशिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना एवं मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम समयबद्ध रूप मैं संचालित किये जा रहे हैं।

वर्ष 2015-16 में यह प्राथमिकता है कि अवस्थापना सुविधाओं में जो गैप अभी विद्यमान है, उसका संतृप्तीकरण कर लिया जाये। इसके अतिरिक्त आउट ऑफ स्कूल बच्चों की शिक्षा, विद्यालयों में अध्यापकों की उपलब्धता, छात्र-छात्राओं की नियमित उपस्थिति तथा शिक्षा की गुयावत्ता में सुधार पर बल दिया जायेगा।

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के 1.69 लाख प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत लगभग दो करोड़ छात्र आच्छादित हैं, जिसमें 477 मदरसे भी शामिल हैं। इसी योजनान्तर्गत जनपद मथुरा में अक्षयपात्र संस्था द्वारा केन्द्रीयकृत किचेन के माध्यम से मध्यान्ह

भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी क्रम में नवीन प्रयास के रूप में जनपद लखनऊ, आगरा, कानपुर, वाराणसी, इटावा एवं कन्नौज में भी अक्षयपात्र संस्था द्वारा योजना का संचालन किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है।

**संस्कृति विभाग**

विभाग द्वारा प्रदेश की लोक संस्कृति की लुप्त होती विधाओं को गांव-गांव पहुंचाना, मंच प्रदान करना एवं इनसे सम्बन्धित सर्वेक्षण/दस्तावेजीकरण आदि का कार्य भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किया जा रहा है।

प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार की सहायता से प्राचीन संस्कृति की थाती को संरक्षित रखने हेतु पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति योजना का संचालन किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत उ0प्र0 में उपलब्ध 100 वर्ष पुराने पुरावशेषों का रजिस्ट्रीकरण का कार्य किया जाता है।

उ0प्र0 सरकार के विभिन्न विभगों एवं अर्द्ध शासकीय एवं व्यक्तिगत अधिकारों व स्रोतों से प्राप्त अप्रचलित अभिलेखों के स्थानान्तरण एवं समुचित संरक्षण का कार्य उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ एवं इसकी इकाइयों द्वारा आधुनिक उपकरणों के माध्यम से वैज्ञानिक ढंग से दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं प्रपत्रों का अभिलेखीकरण तथा अभिलेखों के डिजिटाइजेशन एवं शोध कार्य हेतु शोधार्थियों को सहायता प्रदान की जाती है।

प्रदेश में कला एवं संस्कृति के प्रदर्शन हेतु खुले मंच, चित्रकूट में लोहिया पेक्षागृह, आजमगढ़ में हरिऔध कला केन्द्र, इलाहाबाद में जनेश्वर मिश्र पुस्तकालय, मथुरा वृन्दावन के मध्य आडिटोरियम का निर्माण, भारत रत्न विस्मिल्लाह खां की स्मृति में संग्रहालय एवं मकबरे का निर्माण, मो0 अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर में मंच का निर्माण, बदायूं में प्रेक्षागृह का निर्माण, जसवन्तनगर, इटावा में पंचवटी भवन का जीर्णोद्धार, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार परिसर में आरकाईवल गैलरी का निर्माण, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय, कन्नौज के प्रथम व द्वितीय तल पर आधुनिकीकरण, जनपद कन्नौज में विज्ञान संग्रहालय एवं चिल्ड्रेन पार्क की स्थापना, राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर में साइंस म्यूजियम की स्थापना एवं आल इण्डिया कैफी आजमी अकादमी, लखनऊ में कला केन्द्र का निर्माण की योजनायें प्रस्तावित हैं।

**चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**

प्रदेश में जन सामान्य को स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार कृतसंकल्प है। प्रदेश के शहरों में स्थापित 150 जिला पुरुष/महिला/अन्य चिकित्सालय तथा ग्रामीण क्षेत्र में 773, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 3496 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा प्रदेश के 75 जनपदों में 822 विकास खण्ड में चिकित्सा सेवायें संचालित हैं। इनके माध्यम से रोगियों को उपलब्ध कराई जा रही बेहतर चिकित्सा सेवाओं का परिणाम है कि वर्ष 2014 में जनवरी से दिसम्बर, 2014 तक वाह्य रोगियों की संख्या 860 लाख तथा अन्तः रोगियों की संख्या 56.70 लाख हुई है जिसमें विगत वर्ष की अपेक्षा 2.54 लाख की वृद्धि हुई है।

प्रदेश में सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सालय की स्थापना लखनऊ स्थित चकगंजरिया फार्म में प्रक्रियाधीन है।

वर्ष 2015-16 में परियोजना द्वारा एन0ए0बी0एच0 आच्छादित 40 चिकित्सालयों में प्रदेश की जनता को दी जा रही सेवाओं को बेहतर, गुणवत्तापरक एवं जवाबदेही बनाये जाने हेतु उपकरणों की आपूर्ति, मानव संसाधन की आपूर्ति, चिकित्सकीय अपशिष्ट प्रबन्धन, चिकित्सालयों की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने, चिकित्सकीय एवं पैरामेडिकल कर्मियों के प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास, सोशल एकाउण्टबिल्टी, निजी सहभागिता के साथ गतिविधियों के संचालन तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

आकस्मिक परिस्थितियों में रोगियों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पूरे प्रदेश में आकस्मिक चिकित्सा परिवहन सेवाओं के अन्तर्गत टोल फ्री नम्बर 108 की एम्बुलेन्स समाजवादी स्वास्थ्य सेवा प्रारम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत 988 एम्बुलेंस का संचालन किया जा रहा है।

प्रदेश में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुरूप प्रदेश से कालाजार एवं फाईलेरिया से वर्ष 2015 तक मुक्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये अग्रसर है, वर्ष 2017 तक मलेरिया रोग से भी जनसामान्य को मुक्त करने की पूर्व स्थिति प्राप्ति की ओर अग्रसर है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जननी सुरक्षा योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित प्रसव एवं संस्थागत प्रसव के लिये प्रोत्साहित करना है ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके।

नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में 0 से 01 वर्ष तक के बच्चों को 07 जानलेवा बीमारियों (टी0बी0, पोलियो, गलाघोंटू, टिटनेस, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी तथा खसरा) के लिये टीके लगाये जा रहे हैं।

प्रदेश में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा गत वर्ष 17 जनवरी, 2014 को नेशनल एम्बुलेंस सेवा 102 एन0ए0एस0 प्रारम्भ किया गया। यह सुविधा पूरे प्रदेश में गर्भवती महिलाओं एवं एक वर्ष की आयु तक के शिशुओं को निःशुल्क घर से चिकित्सालय तथा चिकित्सालय से घर परिवहित करने के लिये हैं।

पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994 के क्रियान्वयन के सन्दर्भ में कन्या भ्रूण हत्या के प्रति हतोत्साहन उत्पन्न करने के साथ-साथ अधिनियम के प्राविधानों व दण्ड व्यवस्था की जानकारी जनसामान्य तक पहुंचाने हेतु विभिन्न प्रचार-प्रसार माध्यमों से प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जा रहा है।

वर्ष 2011 की जनसंख्या सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,95,81,477 है जिसमें से 4,44,95,063 की जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। प्रदेश के समस्त जनपदों में नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है तथा नगरीय क्षेत्रों के विकास के साथ काफी संख्या में अर्द्ध विकसित मलिन बस्तियां बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थापित अर्द्ध विकसित मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य की मूलभूत सेवायें उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

मा0 सदस्यगण मैंने, आपके समक्ष सरकार की प्रमुख नीतियों और कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की है। विधान मण्डल के इस सत्र में आपके समक्ष वर्ष 2015-16 के वित्तीय

वर्ष के लिये आय-व्ययक प्रस्तुत किया जायेगा जिन्हें पारित करने की आपसे अपेक्षा की जायेगी। विगत सत्र के बाद मैंने कुछ अध्यादेश प्रख्यापित किये हैं, जिनके प्रतिस्थानी विधेयक व कुछ अन्य विधेयक भी आपके समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे।

मा0 सदस्यगण, मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश की आम जनता के हित में सभी मा0 सदस्यगण मेरी सरकार का सहयोग कर जनाकांक्षाओं को पूरा करने के लिये दलीय निष्ठा से ऊपर उठकर विस्तृत विचार-विमर्श कर उसका समाधान निकालेंगे और मेरी सरकार ने इस प्रदेश को तीव्र गति से आगे ले चलने का जो बीड़ा उठाया है, उसको पूरा करने में आप अपनी महती भूमिका का निर्वाह करेंगे।

मेरी सरकार ने जनकल्याण के क्षेत्र में समर्पित और सुविचारित नीतियों से उत्तर प्रदेश में एक ऐसा माहौल तैयार किया है जहां से विकास और समृद्धि के अनेक पथ निकलते हैं। मैं आशा करता हूं कि प्रदेश को विकास के पथ पर तेजी से आगे ले चलने में आप सबका सकारात्मक सहयोग प्राप्त होगा, जिससे उत्तर प्रदेश भी अन्य अग्रणी प्रदेशों की भांति अग्रिम पंक्ति में पुनः खड़ा हो सकेगा।]

श्री अध्यक्ष-

अन्त में उन्होंने कहा है कि "मैं यह भी आशा करता हूं कि आप सब मा0 सदस्यगण इस सदन की उच्च गरिमा और पवित्रता को कायम रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके स्वस्थ एवं सफल जीवन की मंगल कामना करते हुये आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अपने मध्य आने और मेरी सरकार के कायकलापों को प्रस्तुत करने का सुअवसर प्रदान किया।

जय हिन्द!"

(घोर व्यवधान के मध्य ही)

## [12.36] उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया-कलाप (निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-1 सन् 2015)†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया-कलाप (निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-01 सन् 2015) को सदन के पटल पर रखता हूं।

## उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-2 सन् 2015) †

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-02 सन् 2015) को सदन के पटल पर रखता हूं।

† छापा नहीं गया।

**उत्तर प्रदेश विनियोग (2014-2015 का अनुपूरक) विधेयक, 2014**

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि-

1-उत्तर प्रदेश विनियोग (2014-2015 का अनुपूरक) विधेयक, 2014, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 19 नवम्बर, 2014 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 21 नवम्बर, 2014 को वापस प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 नवम्बर, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2014 का उत्तर प्रदेश का सोलहवां अधिनियम बन गया।

**उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2014**

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि-

2-उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2014, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 18 नवम्बर, 2014 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 19 नवम्बर, 2014 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 नवम्बर, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2014 का उत्तर प्रदेश का सत्रहवां अधिनियम बन गया।

**डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2014**

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि-

3-डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2014, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 18 नवम्बर, 2014 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 19 नवम्बर, 2014 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 24 नवम्बर, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2014 का उत्तर प्रदेश का अट्ठारहवां अधिनियम बन गया।

**उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014**

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि-

4-उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014, जो इस सदन द्वारा दिनांक 25 जून, 2014 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान

परिषद् के विचारार्थ पारेषित किया गया था और जो दिनांक 26 जून, 2014 को सदन की मेज पर रखा गया था, विधान परिषद् द्वारा बिना उसके पारित हुए तीन माह से अधिक का समय व्यतीत हो जाने पर उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 17 नवम्बर, 2014 को उसी रूप में, जिस रूप में वह इस सदन द्वारा दिनांक 25 जून, 2014 को मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया गया तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 19 नवम्बर, 2014 की बैठक में पारित किया, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 01 दिसम्बर, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2014 का उत्तर प्रदेश का उन्नीसवां अधिनियम बन गया।

**उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक, 2014**

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि-

5-उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक, 2014 जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 18 नवम्बर, 2014 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 19 नवम्बर, 2014 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 01 दिसम्बर, 2014 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2014 का उत्तर प्रदेश का बीसवां अधिनियम बन गया।

**उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2014**

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि-

6-उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2014 जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 18 नवम्बर, 2014 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 19 नवम्बर, 2014 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 01 दिसम्बर, 2014 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2014 का उत्तर प्रदेश का इक्कीसवां अधिनियम बन गया।

**उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक, 2014**

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि-

7-उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014, जो इस सदन द्वारा दिनांक 25 जून, 2014 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ पारेषित किया गया था और जो दिनांक 26 जून, 2014 को सदन की मेज पर रखा गया था, विधान परिषद् द्वारा बिना उसके पारित हुए तीन माह से अधिक का समय व्यतीत हो जाने पर उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 17 नवम्बर, 2014 को उसी रूप में, जिस रूप में वह इस सदन द्वारा दिनांक 25 जून, 2014 को मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया गया तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 19 नवम्बर, 2014 की बैठक में पारित किया, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 01 दिसम्बर, 2014 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2014 का उत्तर प्रदेश का बाइसवां अधिनियम बन गया।

**उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014**

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूं कि-

8-उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014 जो इस सदन द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2014 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ पारेषित किया गया था और जो दिनांक 02 जुलाई, 2014 को सदन की मेज पर रखा गया था, विधान परिषद् द्वारा बिना उसके पारित हुए तीन माह से अधिक का समय व्यतीत हो जाने पर उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 17 नवम्बर, 2014 को उसी रूप में, जिस रूप में वह इस सदन द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2014 को मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया गया तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 19 नवम्बर, 2014 की बैठक में पारित किया, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 01 दिसम्बर, 2014 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2014 का उत्तर प्रदेश का तेइसवां अधिनियम बन गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-6 एवं 7 में कुछ नहीं है। अब मैं कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश की सूचना सदन को देता हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य ही)

**[12.40] कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव**

श्री अध्यक्ष-

कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 18 फरवरी, 2015 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 18 फरवरी, 2015 से 27 मार्च, 2015 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 18 फरवरी, 2015 को प्रश्नकाल न हो तथा नियम-51, 56, 300 एवं 301 के अन्तर्गत सूचनाएं न ली जायं।

2-दिनांक 19, 23, 24 तथा 25 फरवरी, 2015 को श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दिनों में नियम-56 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायं।

3-दिनांक 20, 26 व 27 फरवरी, 2015 को सदन का उपवेशन न हो।

4-तद्नुसार दिनांक 18 फरवरी, 2015 से 27 मार्च, 2015 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

**फरवरी, 2015**

18 बुधवार **1-11.00 बजे पूर्वाह्न**

राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष श्री राज्यपाल का अभिभाषण।

**2-12.30 बजे अपराह्न**

(1) श्री राज्यपाल के अभिभाषण का पढ़कर सुनाया जाना।

(2) औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हो।

| | |
|---|---|
| 19 गुरुवार | श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पहला दिन)। |
| 20 शुक्रवार<br>21 शनिवार<br>22 रविवार | बैठक नहीं होगी। |
| 23 सोमवार | श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (दूसरा दिन)। |
| 24 मंगलवार | **1-12.20 बजे अपराह्न**<br>वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक का प्रस्तुतिकरण।<br>2-श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (तीसरा दिन)। |
| 25 बुधवार | श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (अन्तिम दिन)। |
| 26 गुरुवार<br>27 शुक्रवार<br>28 शनिवार<br>**मार्च, 2015**<br>01 रविवार | बैठक नहीं होगी। |
| 02 सोमवार<br>03 मंगलवार<br>04 बुधवार | वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा। |
| 05 गुरुवार<br>06 शुक्रवार<br>07 शनिवार<br>08 रविवार | (होली का अवकाश)<br>बैठक नहीं होगी। |
| 09 सोमवार<br>10 मंगलवार<br>11 बुधवार<br>12 गुरुवार | वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। |

| | |
|---|---|
| 13 शुक्रवार | 1-असरकारी दिवस (आधा दिन)।<br>2-विधायी कार्य (आधा दिन)। |
| 14 शनिवार<br>15 रविवार | बैठक नहीं होगी। |
| 16 सोमवार<br>17 मंगलवार<br>18 बुधवार<br>19 गुरुवार | वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। |
| 20 शुक्रवार | 1-असरकारी दिवस (आधा दिन)।<br>2-विधायी कार्य (आधा दिन)। |
| 21 शनिवार<br>22 रविवार | बैठक नहीं होगी। |
| 23 सोमवार<br>24 मंगलवार<br>25 बुधवार<br>26 गुरुवार | वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। |
| 27 शुक्रवार | 1-वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। |

**2-3.00 बजे अपराह्न**

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2015 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

श्रीमन् मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि ''यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन घोर व्यवधान के मध्य ही 12 बजकर 45 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 18 फरवरी, 2015

**प्रदीप कुमार दुबे,**

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 29 विधान सभा (54)-29-05-2015-813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।